Vol. 249
No. 33

Monday
5 August, 2019
14 Shravana, 1941 (Saka)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT

(FLOOR VERSION)

CONTENTS

Papers laid on the Table (pages 1-3)

Reports on Participation of Indian Parliamentary Delegations at International Conferences – *Laid on the Table* (page 3)

Messages from Lok Sabha —

The Dam Safety Bill, 2019 – *Laid on the Table* (pages 3-4)

The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019– *Reported* (pages 96-98)

The Motor Vehicles (Amendment), Bill 2019 – *Reported* (pages 96-98)

The National Medical Commission Bill, 2019 – *Reported* (pages 96-98)

The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019 – *Laid on the Table* (pages 135-136)

The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 – *Laid on the Table* (pages 181)

Resignation by Members – *Accepted* (page 4)

Recommendations of the Business Advisory Committee (pages 4-5)

[P.T.O.

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE : ₹ **100.00**

Statement by Minister correcting Answer to Question (page 5)

Observation by the Chair (pages 5-10)

Statutory Resolutions—

Cessation of all Clauses of Article 370 except Clause (1) - *Adopted* (pages 10-11, 22-96, 98-127 and 149-180)

The Jammu and Kashmir Re-organisation Bill, 2019 - *Adopted* (pages 11-12, 22-96, 98-127, and 149-180)

Government Bills—

The Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 – *Passed* (pages 12-19, 22-96, 98-127 and 149-180)

The Jammu and Kashmir Re-organisation Bill, 2019 – *Passed* (pages 12-19, 22-96, 98-127 and 149-180)

Withdrawal of Members (pages 19-22)

Matters raised with Permission—

Problems of unauthorised colonies and constructions in Delhi (pages 127-128)

Destruction of the Aravali Hills (pages 129-130)

Need for mandatory training in schools for life-saving skills in Disaster Management (page 130)

Menace of female foeticide in the country (pages 130-132)

Urgent need to implement directive of the National Green Tribunal on protection of Western Ghats (pages 132-133)

Need for introduction and passing of the Women's Reservation Bill (pages 133-134)

Non-disbursal of claims by insurance companies (page 135)

Special Mentions — *Laid on the Table*

Demand to issue identity cards to all the Handicraft Artisans of Odisha and share the data of the same with the Government of Odisha (page 136)

Demand to formulate and implement suitable measures for proper disposal and recycling of Lithiumion batteries (pages 136-137)

Website	:	http://rajyasabha.nic.in
		http://parliamentofindia.nic.in
E-mail	:	rsedit-e@sansad.nic.in

Demand to stop the killing of elephants for consumption of their meat (page 137)

Demand to take steps to increase participation of women in work force (pages 137-138)

Demand to reserve the seats for Odisha students in the National Law University at Cuttack (page 138)

Demand to set up the Coast Guard Academy in Mangaluru, Karnataka (pages 138-139)

Demand to increase minimum pension upto ₹ 3000/- per month under the Employees Pension Schemes (EPS) 1995 (pages 139-140)

Demand to remove encroachments from water bodies and choosing crops according to water availability to preserve ground water (pages 140-141)

Demand to issue advisory to the States to post the police force as per their sanctioned strength (page 141)

Demand to develop Areraj Someshwar Shiv Mandir in East Champaran as a tourist place (pages 141-142)

Demand to increase the retirement age of the High Court Judges and fill up the vacancies urgently (pages 142-143)

Demand to release funds for under construction bridges in Banda district, Uttar Pradesh (page 143)

Demand to expedite steps to notify Ecologically Sensitive Areas (ESA) in the Western Ghats (pages 143-144)

Demand to remove CSAT paper and give age relaxation to the candidates who appeared in the Civil Services Examination, 2015 (page 144)

Demand to address the stress and poor health of the IT employees (pages 144-145)

Demand to save people of Maharashtra from river water pollution caused by the industries (pages 145-146)

Demand to check Air Pollution and ensure fresh air for all citizens (page 146)

Demand to keep application fees of the non-creamy layer OBCs at par with the SC/ST candidates (pages 146-147)

Demand to release the extra water of Ravi-Beas to Rajasthan as per the 1981 Agreement (pages 147-148)

Demand to make the draft New Education Policy available for three months in all Regional Languages for comments (page 148)

Demand to extend benefits of OBCs to the women after their inter-State marriage (page 149)

Published under Rule 260 of Rules of Procedure and Conduct of Business
in the Council of States (Rajya Sabha) and Printed by Printograph,
Karol Bagh, New Delhi-110005

RAJYA SABHA

Monday, 5th August, 2019/14 Shravana, 1941 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair*.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table of the House.

Report and Accounts (2017-18) of BPCL, Naini, Allahabad and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of my colleague, Shri Arjun Ram Meghwal, I lay on the Table —

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: —

  (a) Forty-eighth Annual Report and Accounts of the Bharat Pumps and Compressors Ltd. (BPCL), Naini, Allahabad, for the year 2017-18, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

  (b) Statement by Government accepting the above Report.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 675/17/19]

Notifications of the Ministry of Electronics and Information Technology

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DHOTRE SANJAY SHAMRAO): Sir, I lay on the Table, under sub-section (3) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Electronics and Information Technology:—

(1) G.S.R. 176 (E), dated the 5th March, 2019, publishing the Information Technology (Certifying Authorities) (Amendment) Rules, 2019.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 667/17/19]

(2) S.O. 1119 (E), dated the 5th March, 2019, amending the Second Schedule to the Information Technology Act, to insert certain entries as mentioned therein. [Placed in Library. *See* No. L.T. 668/17/19]

I. Notifications of the Ministry of Finance.

II. Report and Accounts (2018-19) of NABARD, Mumbai and related papers.

III. Valuation Report of the LIC of India.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications the Ministry of Finance (Department of Financial Services), under sub-section (2) of Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976:—

(1) No. SGB (Service Amend) Regulations 2018, dated the 30th November, 2018, publishing the SUTLEJ GRAMIN BANK (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018.

(2) No. SGB (Pension Reg.) 2018, dated the 30th November, 2018, publishing the SUTLEJ GRAMIN BANK (Employees') Pension Regulations, 2018.

(3) No. MGB Service Regulation (Amendment)/19, dated the 4th December, 2018, publishing the Malwa Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018.

(4) F. No. MGB/Pension Regulation/01, dated the 4th December, 2018, publishing the Malwa Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018.

(5) No. MBGB/HO/HRDD/11428/18/S, dated the 12th December, 2018, publishing the Madhya Bihar Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018.

(6) F. No. MBGB/HO/HRDD/11428/18/P, dated the 12th December, 2018, publishing the Madhya Bihar Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018.

(7) F. No. 4341/2018-19, dated the 18th December, 2018, publishing the Bihar Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018.

(8) F. No. 4341/2018-19, dated the 18th December, 2018, publishing the Bihar Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018.

[Placed in Library. For (1) to (8) *See* No. L.T. 72/17/19]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 48 of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) Act, 1981:—

(a) Annual Report and Accounts of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Mumbai, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Bank.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 727/17/19]

III. A copy (in English and Hindi) of the Forty-ninth Valuation Report of the Life Insurance Corporation of India (LIC), as on 31st March, 2019, under Section 29 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Placed in Library. See No. L.T. 728/17/19]

REPORTS ON PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATIONS AT INTERNATIONAL CONFERENCES

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the Reports on the participation of the Indian Parliamentary Delegations at the 134th to 140th Statutory Assemblies of the Inter-Parliamentary Union.

MESSAGES FROM LOK SABHA

The Dam Safety Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Dam Safety Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 2nd August, 2019."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

RESIGNATION BY MEMBERS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make. I have to inform the Members that I have received letters, dated 2nd August, 2019 and 5th August, 2019, from hon. Members, Shri Surendra Singh Nagar, Shri Sanjay Seth, representing the State of Uttar Pradesh, and from hon. Member Shri Bhubaneswar Kalita, representing the State of Assam, resigning their respective seats in the Rajya Sabha. I have accepted their resignations with immediate effect from 2nd and 5th of August, 2019, after having met the hon. Members personally enquiring from them and verifying their handwritings and also asking them whether they had any re-thinking. They confirmed that they had done that voluntarily and they wanted their resignations to be immediately accepted. Hence, I have accepted the resignations of these three Members. ...*(Interruptions)*... Please, please, शांति। ...(**व्यवधान**)...

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: I have to inform the hon. Members that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 2nd August, 2019, has allotted time for Government Legislative Business, as follows:

	Business	Time Allotted
1.	Consideration and passing of the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019, after its introduction	Two Hours
2.	Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Lok Sabha:-	
	(a) The Dam Safety Bill, 2019	Two Hours

	Business	Time Allotted
(b)	The Chit Funds (Amendment) Bill, 2019	Two Hours
(c)	The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019	Three Hours

---

STATEMENT BY MINISTER CORRECTING ANSWER TO QUESTION

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I lay on the Table, a Statement (in English and Hindi) correcting the answer to Unstarred Question 830 given in the Rajya Sabha on the 18th December, 2018, regarding 'Electoral Bonds Purchased'.

OBSERVATION BY THE CHAIR

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा मंदिर, यह संसद भवन अपने 92 स्वर्णिम वर्ष पूरा कर चुका है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस मंदिर के भवन से सभी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की इस सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है और इससे देश की अपेक्षाओं का विस्तार भी किया है। ऐसे में यह हम सबकी आकांक्षा है कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र और सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य और सबसे आकर्षक बने। इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री जी से, सरकार से हम सब की ओर से आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष 2022 तक पूरा होने पर नवभारत के उनके संकल्पों में संसद भवन का विस्तार और आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया जाए।

मैं सदन के सभी सदस्यों की तरफ से देश और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संसद की पवित्रता और गरिमा को अक्षुण्य रखा जाएगा। The sum and substance of this is —because I do not have any other arrangement —that this Parliament has become a pretty old building. You are seeing, now and then, some or the other things happening. So, there has been a request by Members since long. Earlier, I was Minister of Urban Development and also the Parliamentary Affairs Minister. We met a number of times to modernise the building with all the facilities, which are comfortable for the Members. So, we have been appealing to the Government to consider this. Of course, before taking a final decision, they will consult us also, Rajya Sabha as well as Lok Sabha, to make it more comfortable, more functional and more useful for Members with all the modern facilities. That is the observation I have made, for your information.

Hon. Members, I have received notices under Rule 267 by Shri Ghulam Nabi Azad, the Leader of the Opposition, and some other Members, Prof. Ram Gopal Yadav, Shri

Binoy Viswam, Shri Sanjay Singh and Shri Elamaram Kareem. पहले इसमें कलिता जी का नाम भी था, किंतु उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया गया है, इसलिए वह नहीं आएगा। I have gone through the subject. The subject is, definitely, important. But, what I am suggesting is that I have received a letter from the hon. Home Minister that they want to introduce an Amendment Bill in the House, the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019. We have already circulated that also. There are also some more legislations which the Government wants to propose. The subject is the same. So, I suggest these issues can be raised during the discussion. As the Chairman, I have waived the rule requiring advance notice, then, circulation beforehand and all. As the matter is very important and serious, I have decided to waive that rule, according to the power given to the Chairman. Now, I will be asking the Minister to first introduce the Bill, and, then, during the discussion, all the issues raised by the LoP and others can be discussed at length. I will be allowing them and also give reasonable time, particularly, to the Members who have raised the issue, because we do not have Zero Hour. We cannot entertain that because this Session is basically extended for completing the Legislative Business proposed by the Government. You are all aware of it. So, I call upon Shri Amit Shah to move for leave to introduce the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019. ...*(Interruptions)*... I have already said this. ...*(Interruptions)*...

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, they are totally different issues. ...*(Interruptions)*... The issue which we want to raise is about the prevailing situation in Jammu and Kashmir, ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: प्लीज़ आप बैठ जाइए; otherwise, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। The LoP is speaking. कृपया आप बैठ जाइए, अन्य कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

SHRI GHULAM NABI AZAD: The entire Valley is under curfew. Some parts of Jammu and Kashmir. ...*(Interruptions)*... वह भी कर्फ्यू के अंदर है, कश्मीर भी कर्फ्यु के अंदर है, तीन-तीन चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स, सभी house arrest हैं। पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण है, जैसे वार सिचुएशन है। सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए।

† وہ بھی کرفیو کے اندر ہے،

کشمیر بھی کرفیو کے اندر ہے، تین تین چیف منسٹر اور دوسری پارٹیوں کے لیڈرس، سبھی ہاؤس اریسٹ ہیں۔ پورے اسٹیٹ میں ایک ایسا ماحول ہے، جیسے وار سچویشن ہے۔ سب سے پہلے اس پر چرچہ کرنی چاہئیے۔

श्री सभापति: इस Bill के साथ... तीन Bills आ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: हम बिल को पास करेंगे। हम Bill पर चर्चा करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام نبی آزاد:** ہم بل کو پاس کریں گے۔ ہم بِل پر چرچہ کریں گے۔ ...(مداخلت)...

श्री सभापति: रिजॉल्यूशन भी आ रहे हैं, उसके साथ हम इन सभी विषयों को मिलकर चर्चा कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: हमने जो रूल 267 की नोटिस दी है। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد:** ہم نے جو رول 267 کا نوٹس دی ہے...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि ...(**व्यवधान**)...

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, please, sit down. ...*(Interruptions)*... I have not permitted you. ...*(Interruptions)*... I have permitted only the LoP. ...*(Interruptions)*... I will permit you as the occasion comes ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि मैं जो संकल्प और बिल लेकर आया हूं, वह जम्मू-कश्मीर के विषय पर है।

MR. CHAIRMAN: Don't show banners, please. Otherwise, I will have to ask these to be removed. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर के लिए विपक्ष के नेता को, समूचे विपक्ष को और सत्ताधारी पार्टी के लोगों को जो कुछ भी चर्चा करनी हो, मैं सब के लिए तैयार हूं और सब चीज़ों पर जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ।

MR. CHAIRMAN: No display of banners, please. ...*(Interruptions)*... Mr. Laway,

†Transliteration in Urdu Script.

both of you are important Members. ...*(Interruptions)*... You can protest, but that is not the way. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: महोदय, जब तक आप मुतमइन न हों, मैं तब तक जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what the Home Minister says. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: गुलाम नबी जी, आप मेरी बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is saying that he is ready to answer; what is your problem?

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no; I have already given my ruling on this. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is the point of order? ...*(Interruptions)*... What is the rule? ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Not, everyday. ...*(Interruptions)*... Every day, it is not happening. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... You can't speak without my permission. ...*(Interruptions)*... श्री मधुसूदन मिस्त्री जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... श्री पी. एल. पुनिया जी, आप भी अपनी जगह पर बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... What is the rule? ...*(Interruptions)*... Everything will come for discussion. ...*(Interruptions)*... Everything will come for discussion. ...*(Interruptions)*... What can I do? ...*(Interruptions)*... You all are friends. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my point of order is on Rule 69. Rule 69 allows the Chairman to use his discretionary power to introduce a Bill on the same day without circulating it, without Members reading it. It allows you the power, Sir. It allows you the power. I have no quibble on that. Sir, my simple point is, the rest of the Rule 69 (1) (2) (3) (4) and the first four lines, on that I appeal to you to please, when these Bills are circulated, allow us the time to read these Bills, to understand these Bills. For example, this is a good Bill. But when we are not given the time, Sir, I appeal to you, you have the power to circumvent all, we feel deprived, Sir, ...

MR. CHAIRMAN: I got your point. There is a reason. I do admit that Members need time to read it. So, even after the Minister introduced the Bill, the Members will be given an opportunity to give amendments upto 12.30 today. Any Member, on any Bill, can give amendments. Then, there will also be time available to you to even study before you speak. That arrangement has been made, and I am saying it officially. It will go on record. Once the Bill is introduced, Members can move amendments and also start applying their mind because we have only two days left. So, we have to understand the importance. ...*(Interruptions)*... सुश्री दोला सेन जी, आपकी पार्टी के लीडर ने बोला है। He is capable. I heard him and also I have taken it positively. ...*(Interruptions)*... Anandji, it is not only that Bill. There are two Bills and one Resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय चेयरमैन सर, हम बिल के खिलाफ नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** ماننیے چیئرمین سر، ہم بل کے خلاف نہیں ہیں

---(مداخلت)---

MR. CHAIRMAN: Agreed. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय चेयरमैन सर, हम बिल के खिलाफ नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... लेकिन हमने जो रूल 267 का नोटिस दिया है। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد :** ماننیے چیئرمین سر، ہم بل کے خلاف نہیں ہیں ---(مداخلت)--- لیکن ہم نے جو رول-267 کا نوٹس دیا ہے ---(مداخلت)---

श्री सभापति: उसके बारे में भी जवाब होगा।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: उसको एक-डेढ़ घंटे के अंदर डिस्पोज़ ऑफ करके ...(**व्यवधान**)... माननीय गृह मंत्री जी उसका जवाब दे दें, ...(**व्यवधान**)... तो हम बिल ले लेंगे। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام نبی آزاد :** اس کو ایک-ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ڈسپوز-آف کرکے ---(مداخلت)--- ماننیے گرہ منتری جی اس کا جواب دے دیں ---(مداخلت)--- تو ہم بل لے لیں گے ---(مداخلت)---

श्री अमित शाह: श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप मुझे पांच मिनट सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

---

†Transliteration in Urdu Script.

श्री सभापति: श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, रूलिंग देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगी। ...(**व्यवधान**)... Please, you are the Leader of the Opposition. You are well aware of the rules. You raised a relevant point. It is important. The country is also taking note of the same, what is happening and all that. It is the duty of the Government to explain it to the House. The Home Minister told me that he is going to explain it; and he says, now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the Bills also be moved, and then we will discuss it. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Shri Amit Shah, hon. Home Minister. ...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record other than what the Home Minister says. Other than the Home Minister, nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, श्री तिरुची शिवा जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Mr. Rangarajan, please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, मैं आज बिजनेस की रिवाइज़ लिस्ट है, उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल, प्रिंटिड बिजनेस के अलावा प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीज़ें एक-साथ प्रस्तुत करूंगा। इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं जवाब भी दूंगा। उन चारों चीज़ों पर एक के बाद एक करके डिविजन करना चाहते हैं, तो डिविजन भी कर सकते हैं। मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीज़ों पर एक सहमति हो जाएगी, तो हम इस पर चर्चा करके वोटिंग करेंगे।

सभापति महोदय, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब जी ने कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं, वे कश्मीर इश्यू पर ही हैं। उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त आप कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए। उस पर भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल प्रस्तुत करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I have permitted him. ...*(Interruptions)*... I have permitted the Home Minister. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... In my own wisdom, I have permitted. It is very important. It is a serious issue. ...*(Interruptions)*... It will come. It will come to you. ...*(Interruptions)*... One after another, it will come to you. ...*(Interruptions)*.. Please. ...*(Interruptions)*....

STATUTORY RESOLUTIONS*

Cessation of all Clauses of Article 370 except Clause (1)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

*Discussed together with Government Bills.

"कि यह सदन अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित सार्वजनिक अधिसूचना की सिफारिश करता है:

संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि (*दिनांक*) से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे, सिवाय खंड (1) जो निम्नानुसार होगा:-

"इस संविधान के अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 अथवा किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा किसी विधि, दस्तावेज, न्याय निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, भारत के भू-भाग पर विधि का बल रखने वाले रीति अथवा रिवाज़ अथवा अनुच्छेद 363 के अंतर्गत यथापरिकल्पित अन्य दस्तावेज संधि अथवा करार में, किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, उस संविधान के समय-समय पर यथासंशोधित सभी उपबंध, बिना किसी संशोधन अथवा अपवाद के जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।" ...(**व्यवधान**)...

(*दिनांक*) से तात्पर्य वह दिनांक होगी जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, where is it listed? ...*(Interruptions)*... Where is it in the List of Business? ...*(Interruptions)*...

The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं यह भी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परंतुक के अधीन 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019' को सभा के विचारार्थ इस सभा को संदर्भित किया है क्योंकि 19 दिसम्बर, 2018 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गयी उद्घोषणा के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य विधान सभा की शक्तियां इस सभा में निहित हैं। यह सभा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को स्वीकार करने के लिए विचार व्यक्त करने का संकल्प करती है।" ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will come to you. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please go back. ...*(Interruptions)*... Let me tell you. ...*(Interruptions)*... Shri Amit Shah to move for leave to introduce the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019. ...*(Interruptions)*...

GOVERNMENT BILLS*

The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

श्री अमित शाह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

The Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

श्री अमित शाह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: The Bill has been introduced. ...*(Interruptions)*... We are only discussing the Reservation Bill. ...*(Introductions)*... We are discussing only the Reservation Bill. Please go back to your seats. ...*(Interruptions)*... We are discussing the Reservation Bill. ...*(Interruptions)*... We are discussing only the Reservation Bill. ...*(Interruptions)*... Try to understand. Please. ...*(Interruptions)*... We are only discussing the Reservation Bill. The Reservation Bill has already been circulated. Please go back to your seats. This is not the way. ...*(Interruptions)*... I am coming to that. ..*(Interruptions)*... We would be discussing only the Reservation Bill now. Other Bills would be taken up after they are circulated. ...*(Interruptions)*... We would take up other

---

*Discussed together with Government Bills.

Bills. ...*(Interruptions)*... We would take up other Bills after they are circulated. The Jammu and Kashmir Reservation Bill has been circulated. That is being discussed now. Other Bills will be circulated and then only we would have discussion. ...*(Interruptions)*... Nothing should be shown... यह तो नहीं चलेगा। यह पद्धति नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह पद्धति नहीं है। ...(**व्यवधान**)... Are you opposing reservation? ...*(Interruptions)*... We are discussing only the Reservation Bill. ...*(Interruptions)*... We are discussing only the Reservation Bill. ...*(Interruptions)*... The Bill that is moved is about reservation for people in Jammu and Kashmir and I heard the Leader of the Opposition saying that they are supporting the reservation. ...*(Interruptions)*... Once the other Bill is circulated, we will have the discussion. ...*(Interruptions)*... The Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill has been circulated. ...*(Interruptions)*... It is there in the agenda. ...*(Interruptions)*... We are starting a discussion on that first. ...*(Interruptions)*... After that, we can discuss other things. ...*(Interruptions)*... Mr. Siva, you go to your seat and then raise your point of order. ...*(Interruptions)*... I will allow you once you go there. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is your point of order? ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Allow me to raise my point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: There is no order; how can I? ...*(Interruptions)*... यह सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... Why are you wasting your energy? ...*(Interruptions)*... Whatever you want to say, you say it when discussion takes place. ...*(Interruptions)*... You first hear what I am saying. ...*(Interruptions)*... What I have permitted is only mention of the Bill. ...*(Interruptions)*... He is moving the Jammu and Kashmir Reservation Bill which has already been circulated. ...*(Interruptions)*... Copies have been given. ...*(Interruptions)*... Let us dispose of that Bill. ...*(Interruptions)*... After others are distributed, we can take up other Bills also. ...*(Interruptions)*... Try to understand what I am saying. ...*(Interruptions)*... What you are raising is the same thing I am saying. ...*(Interruptions)*... What is on the Agenda is this. ...*(Interruptions)*... It is very much on the Agenda. ...*(Interruptions)*... It has been circulated. ...*(Interruptions)*... We will take up only the Reservation Bill. ...*(Interruptions)*... The Resolution and the Reservation Bill is circulated. ...*(Interruptions)*... Is it okay? ...*(Interruptions)*... Not circulated! ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, more than 33 times, Rule 69 and 20B direction have been violated. ...*(Interruptions)*... It is not the first time that we are doing it. What for the Constitution 38th Amendment, 1975 was done? ...*(Interruptions)*... It was for the ...*(Interruptions)*... of the Congress Party and Shrimati Indira Gandhi. ...*(Interruptions)*... It was done to continue in power. ...*(Interruptions)*... That was a constitutional Amendment. ...*(Interruptions)*... On that constitutional Amendment, Shrimati Indira Gandhi said then that the founders of the Constitution had allowed changes from time to time. ...*(Interruptions)*... It is repaired and restructured by Modiji led Government under the leadership of Shri Amit Shah, we should understand that. ...*(Interruptions)*... The Constitution (Thirty-ninth Amendment) Bill presented on 07.08.1975 was passed on 07.08.1975; so also, the President's Emoluments and Pension (Amendment) Bill. ...*(Interruptions)*... A total of more than 30 Bills had been introduced and passed on the same day. ...*(Interruptions)*... Now, for what are we doing this? ...*(Interruptions)*... We are doing this in the interest of the nation. ...*(Interruptions)*... Already whatever the Bills that have been introduced, they have been circulated. ...*(Interruptions)*... And at the initial stage, we are discussing the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019. ...*(Interruptions)*... Let them spell out whether they are against the reservation; let them spell it out. ...*(Interruptions)*... I urge, I appeal to them, to go to their seats and discuss the issue. ...*(Interruptions)*... Sir, people's mandate is there. ...*(Interruptions)*... This 370 is the historic blunder of the Congress Party and the then Prime Minister, Shri Nehru. ...*(Interruptions)*... Now, Amit Shahji is rectifying it. ...*(Interruptions)*... Please allow us for a discussion. ...*(Interruptions)*... This is what I want to appeal. ...*(Interruptions)*...

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, आपने रूल को exempt किया है। Under the Rules 266 of the Rules of Procedures, you have got full powers to exempt. हमारे पास पूरे decisions, actions of the Chairman है। ...**(व्यवधान)**... पावर्स नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**... हमारे पास ...**(व्यवधान)**... जिसमें कांग्रेस पार्टी के समय सेम बिल इंट्रोडयूस हुए, सेम डे पास हुए। ...**(व्यवधान)**... उसके बाद राज्य सभा में तमिलनाडु स्टेट बिल ...**(व्यवधान)**... अमेंडमेंट बिल इंट्रोडयूस हुए और उसी दिन पास हुए। ...**(व्यवधान)**... There is enough empirical evidence, enough precedents. सर, जम्मू और कश्मीर में ...**(व्यवधान)**... जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे, कितने लोग मरे हैं। ...**(व्यवधान)**... वहां के विकास के लिए, वहां के नियोजन के लिए, वहां के एम्प्लॉयमेंट के लिए, भारत सरकार एक विकास का पूरा सिस्टम लेकर आ रही है। ...**(व्यवधान)**... आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना

पड़ेगा कि जो सैंकड़ों, हजारों मरे हैं, वे किन कारणों से मरे हैं। ...**(व्यवधान)**... वे उन कारणों से मरे हैं, जो शासन चला है। ...**(व्यवधान)**... आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार एक पूरा नया विज़न लेकर आ रही है। ...**(व्यवधान)**... अभी उस पर चर्चा होगी, उनको बोलने का मौका मिलेगा। सर, इसीलिए इस पर बहस शुरू की जाए। ...**(व्यवधान)**... *...(Interruptions)...* It is happening on precedents, on empirical evidence, on past precedents. *...(Interruptions)...* I request, let them. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Mr. Derek O'Brien has raised a point of order. *...(Interruptions)...* Please Vaikoji, one minute. *...(Interruptions)...* I will be giving opportunity to you also, please go to your seat. *...(Interruptions)...* Number one, please सुनने के लिए तैयार रहिए, otherwise ऐसे ही चलता रहा है...**(व्यवधान)**... the point or order that Mr. Derek. *...(Interruptions)...* Your leader has raised a point of order. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Otherwise, I have to name people, it won't look nice. *...(Interruptions)...* My point is that Shri Derek O'Brien has raised a point of order saying, "Sir, only one Bill is distributed. The copies of other Bills have not even come." *...(Interruptions)...* I see the merit in what he has said. *...(Interruptions)...* That is why, *...(Interruptions)...* Please, please, please, you don't want to hear anything! *...(Interruptions)...* You want to create disturbances like this. *...(Interruptions)...* Then, I will have to ask the Home Minister to introduce other Bills also. *...(Interruptions)...* बाकी बिल भी करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वर्तमान जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सर, यह जो जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक तथा जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 नाम से पुरःस्थापित किया है, ...**(व्यवधान)**... संघ सरकार द्वारा भारत के संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत निश्चित रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। ...**(व्यवधान)**... यह आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और सीमा के आरक्षण के अलावा ...**(व्यवधान)**... आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया जाएगा। ...**(व्यवधान)**... आरक्षण का लाभ जम्मू और कश्मीर के

[श्री अमित शाह]
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उसमें जो talented बच्चे हैं, ...**(व्यवधान)**... उन बच्चों को देंगे, शिक्षा में भी देंगे और नौकरियों में भी देंगे।

MR. CHAIRMAN: Mr. Siva, go to your seat. I will allow you. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: महोदय, उक्त आदेश के अनुसार ...**(व्यवधान)**... इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। सर, जम्मू-कश्मीर की सरकार ...**(व्यवधान)**... उनके प्रस्ताव पर इस मंत्रालय ने विचार किया था ...**(व्यवधान)**... और मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर जम्मू-कश्मीर में यह सुधार करने के लिए ...**(व्यवधान)**... राष्ट्रपति जी ने जम्मू-कश्मीर के अंदर, यह सुधार करने के लिए ...**(व्यवधान)**... संशोधन आदेश, 2019 नियामक 1 मार्च, 2019 को पारित किया था ...**(व्यवधान)**... अब संविधान में संशोधन आदेश को प्रभावी बनाने के लिए ...**(व्यवधान)**... उस उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनयम, 2004 में संशोधन लाने की जरूरत है ...**(व्यवधान)**... चूंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियां ...**(व्यवधान)**... संसद के दोनों सदनों में निहित होती हैं...**(व्यवधान)**... अत: जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2004 को संशोधित करने के लिए सदन के दोनों सदनों ...**(व्यवधान)**... द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। तदनुसार जम्मू-कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ...**(व्यवधान)**... 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए ...**(व्यवधान)**... भारत के संविधान के 103वें संशोधन को लागू किए जाने के प्रावधान के बारे में ...**(व्यवधान)**...जम्मू-कश्मीर संशोधन विधेयक, 2019 को यह सदन स्वीकार करे। मैं सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को पारित किया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: First, you hear what I am saying. ...*(Interruptions)*... मैंने अनुमति दी, केवल ... ...**(व्यवधान)**... Mr. Vaiko please ...**(व्यवधान)**... आरक्षण के बारे में, क्योंकि LoP ने कहा कि हमें भी आपत्ति नहीं है, जिसकी कॉपीज़ हाउस में सर्कुलेट की गई हैं। ...**(व्यवधान)**... आरक्षण के बारे में ...**(व्यवधान)**... कॉपीज़ सर्कुलेट की गईं, मंत्री जी ने introduce किया। ...**(व्यवधान)**... मैंने उन्हें चर्चा के लिए अनुमति दी ...**(व्यवधान)**... बाकी जो तीन हैं, वे अभी सर्कुलेट हो रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... सर्कुलेट होने के बाद वे प्रस्ताव रखेंगे। ...**(व्यवधान)**...उसके बाद चर्चा करेंगे ...**(व्यवधान)**... जहां सहमति है, क्या आप लोग उसके लिए भी तैयार नहीं हैं? ...**(व्यवधान)**... पूरे देश में reservation है, उसी reservation को जम्मू-कश्मीर में extend करने के लिए ...**(व्यवधान)**... श्री तिरुची शिवा आप अपनी सीट पर जाइए ...**(व्यवधान)**... Mr. Siva, if you were on your seat, I would have allowed you. Even now, I am ready to allow you. ...*(Interruptions)*... If anybody wants to speak on reservation. ...*(Interruptions)*... Ram Gopalji, please speak on reservation. ...*(Interruptions)*... Just a minute, Mr. Siva wants to raise some point of order. Let him go to his seat. ...*(Interruptions)*... One minute, Ram Gopalji, I will just allow you. ...*(Interruptions)*... Let Mr. Siva go to his seat. ...*(Interruptions)*... Prof. Ram Gopal Yadav may be given the mike. ...*(Interruptions)*...

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, जो EWS के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ...**(व्यवधान)**... औचित्य का सवाल यह है कि जब जम्मू-कश्मीर को आप स्टेट नहीं मानते ...(व्यवधान) ...जम्मू-कश्मीर एक territory हो गई, लद्दाख दूसरी टेरिटरी हो गई, तो इस बिल को बाद में लाना चाहिए था ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: प्रो. राम गोपाल जी, ऐसा है, यह बिल पहले से सर्कुलेट हो चुका था, ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय ने इसकी परमीशन पहले दे दी है, इसलिए, मैंने इसे प्रस्तुत किया है। ...**(व्यवधान)**... वैसे, इसके पास होते ही यह automatically null and void हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**... धारा 370 खत्म होते ही यह बिल automatically कानून का रूप ले लेगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have permitted you. Your Members are coming and sitting here. ...*(Interruptions)*... You can't have the cake and eat it too. ...*(Interruptions)*... Mr. Siva, please speak. ...*(Interruptions)*... Go to your seat, यहां से नहीं हो सकता।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, when you brought up notice under Rule 267, you said that we could discuss everything under the Bill, but nothing is related to the Bill and the Resolution that was given. Later, the Home Minister introduced two Bills, which were not circulated to us. ...*(Interruptions)*... After he introduced the Bills, we got the Supplementary List of Business. ...*(Interruptions)*... It is totally unprecedented in the Parliament. ...*(Interruptions)*... Sir, you are our protector, the protector of... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have not understood, what I have said. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: They circulated the Bill only later. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I agree. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*... All of you are standing and showing the Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we were raising point of order, ...*(Interruptions)*... even when the Minister was introducing the Bill. ...*(Interruptions)*... But, we were not allowed. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Siva, you have raised a point of order. ...*(Interruptions)*... Do you want to hear my response or not? ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सर, मैं कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य श्री तिरुची शिवा ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है और इससे पहले ऐसा कभी सदन में नहीं हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी 38 बार इस सदन में ऐसा हो चुका है। यह आज की बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर को हम लोग ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You go to your seat. ...*(Interruptions)*... I have not allowed you. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मेरी बात समाप्त हो जाने दो ...(**व्यवधान**)... श्री देरेक ओब्राईन जी, मेरी बात समाप्त हो जाने दो फिर आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Go to your seat, ...*(Interruptions)*... I will not allow you. ...*(Interruptions)*... As long as you are here, ...*(Interruptions)*... I will not allow you. ...*(Interruptions)*... Please go to your seat. ...*(Interruptions)*... You are a doctor. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let us try to understand. ...*(Interruptions)*... The point of order raised by Shri Derek O'Brien and also the point of order raised by Shri Tiruchi Siva. ...*(Interruptions)*... You just hear me. ...*(Interruptions)*... You do not want to hear me. ...*(Interruptions)*... Do you want to dictate? ...*(Interruptions)*... Do you want to dictate like this? ...*(Interruptions)*... You ask your Members to go to their seats first. ...*(Interruptions)*... The point of order is that the Bill is not circulated, so the discussion should not be there. ...*(Interruptions)*... I agree. ...*(Interruptions)*... But, the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 is already circulated. ...*(Interruptions)*... So, let us first dispose of the Reservation Bill. ...*(Interruptions)*...

Secondly, now that all the Bills are circulated, ...*(Interruptions)*... I will be asking the Home Minister to again introduce the Bills. ...*(Interruptions)*... You introduce the other three Bills again. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You cannot raise a point of order to disrupt the House. ...*(Interruptions)*... First, ask your Members to go to their seats. ...*(Interruptions)*... Show the rule book to those people and ask them to go to their seats. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"कि यह सदन धारा 370 (3) के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है ...(**व्यवधान**)...संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के अन्तर्गत घोषणा ...(**व्यवधान**)... भारत के संविधान की अनुच्छेद 370(3) के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर ...(**व्यवधान**)... यह घोषणा करते हैं कि ...(**व्यवधान**)... जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ...(**व्यवधान**)... और इसे जब सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा ...(**व्यवधान**)... उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे। वे समाप्त हो जाएंगे। ...(**व्यवधान**)...संविधान के समय-समय पर संशोधित ...(**व्यवधान**)... सभी उपखंड बिना संशोधन और अपवाद के जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होंगे ...(**व्यवधान**)... और भारत का पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू होगा। ...(**व्यवधान**)... इस बात के सिवाय अनुच्छेद 354 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू-कश्मीर के संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानून दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, विनियम, अधिसूचना, रीति-रिवाज़ अथवा भारत के भूभाग के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित ...(**व्यवधान**)... कोई संधि अथवा समझौता, जैसा अनुच्छेद 363 के अन्तर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो!" ...(**व्यवधान**)...

माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति महोदय की ...(**व्यवधान**)... दिनांक 19 दिसंबर, 2018 ...(**व्यवधान**)... की उद्घोषणा के अनुरूप, ...(**व्यवधान**)... जम्मू-कश्मीर राज्य की ...(**व्यवधान**)... विधायी शक्तियाँ इस सदन में निहित होने ...(**व्यवधान**)... एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के ...(**व्यवधान**)... अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019" को ...(**व्यवधान**)... सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर ...(**व्यवधान**)..." जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019" को स्वीकार करने का विचार प्रस्तुत करती है।" ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, मैं "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019" पर विचार किया जाए ...(**व्यवधान**)... ऐसा अनुरोध करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

WITHDRAWAL OF MEMBERS

MR. CHAIRMAN: Mr. Derek, you ask your people to go back to their seats, otherwise, I will not give permission. ...*(Interruptions)*... Yes, Mr. Vaiko, what do you want to say? Please. ...*(Interruptions)*... Switch on your mike please. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, this House.. ...*(Interruptions)*... Sir, this is killing of democracy. ...*(Interruptions)*... It should not have been permitted. ...*(Interruptions)*... It is murder of democracy and killing of democracy. ...*(Interruptions)*... Only during emergency, it has been. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is your point of order? ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Mr. Chairman, Sir, we are the victims of emergency. ...*(Interruptions)*... Emergency days have come back. ...*(Interruptions)*... Emergency days have come back. ...*(Interruptions)*... This is nothing but murder of democracy.

MR. CHAIRMAN: There is no emergency, only urgency. ...*(Interruptions)*... Please try to understand this. If you want to hear the Chairman, once again, I want to clarify. There seems to be some confusion. ...*(Interruptions)*... Please hear me. ...*(Interruptions)*... Please hear what I want to say, then, you say whatever you want to say. ...*(Interruptions)*... You don't want to hear, then, I do not want to hear you also. ...*(Interruptions)*... Mr. Derek, you have to ask your people to go back to their seats. You cannot create disorder and then raise a point of order. How can these two things go together? ...*(Interruptions)*... For the sake of record, I want to say one thing. ...*(Interruptions)*... What I permitted the Home Minister was to move the Reservation Bill, which had been circulated on Friday, which I have permitted. ...*(Interruptions)*... So, he circulated it today again, and, spoke about it. Agreed. ...*(Interruptions)*...

Secondly, he started reading about other Bills, which were not circulated. ...*(Interruptions)*... That is the point of order raised by Mr. Siva, and, partly, by Shri Ghulam Nabi Azad. What I want to say is, after my office told me. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, you have to go to your seat. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, please go to your seat. You are an elderly man. ...*(Interruptions)*... I gave you an opportunity to speak. ...*(Interruptions)*...

Moreover, after coming to know that these Bills were not circulated, I told the Home Minister, after circulation, to move them again. They have been circulated, and, Ram Gopal Yadav ji also brought it to my notice. On Reservation issue, he said, no problem. ...*(Interruptions)*... On other Bills, there was problem. ...*(Interruptions)*...

संविधान को ...**(व्यवधान)**... इन दोनों मेम्बर्स के नाम क्या हैं? ...**(व्यवधान)**... इनके नाम बताइए। ...**(व्यवधान)**... Shri Nazir Ahmed Laway and Mir Mohammad Fayaz have been named by

me. They have to go out. Marshalls, take them out. If they do not go out, take them out. They are breaking the Constitution? I cannot tolerate it in the Indian Parliament. This cannot be so. ...*(Interruptions)*... इन दोनों को बाहर भेज दीजिए। ...(**व्यवधान**)... इन दोनों को बाहर भेज दीजिए। ...(**व्यवधान**)... Other Marshalls, other Marshalls, come. ...*(Interruptions)*... No, Members, go to your place. ...*(Interruptions)*... Members, go to your place. How can they break the Constitution? How can they throw the Constitution? ...*(Interruptions)*... Ghulam Nabi ji, you are a senior Member. They are tearing the Constitution. Indian Constitution is supreme. ...*(Interruptions)*... Nobody can do it. Nobody can do it. ...*(Interruptions)*... The House shunts them out. ...*(Interruptions)*... No discussion. ...*(Interruptions)*... No argument.. ...*(Interruptions)*... Please, Ruling Party Members, go to your seats. ...*(Interruptions)*... Ruling Party Members, go to your seats. ...*(Interruptions)*... Please go to your seats. ...*(Interruptions)*... Ruling Party Members, go to your seats. ...*(Interruptions)*... TMC Members, go to your seats. ...*(Interruptions)*... Mr. Sanjay, please go to your seat. ...*(Interruptions)*... I would like to put it on record. ...*(Interruptions)*... No Member has the right to tear the Constitution. ...*(Interruptions)*... They have thrown the Constitution. ...*(Interruptions)*... They have been sent out. ...*(Interruptions)*... All of you go to your seats. ...*(Interruptions)*... All of you go to your seats. ...*(Interruptions)*... Please go to your seats. ...*(Interruptions)*... We have sent them. ...*(Interruptions)*... I am giving the Leader of the Opposition an opportunity ...*(Interruptions)*... Please go to your seats. ...*(Interruptions)*... I have got every right to name somebody who is doing unparliamentary things. ...*(Interruptions)*... Communist Members, please go to your seats. ...*(Interruptions)*... Mr. Elangovan, please go to your seat. ...*(Interruptions)*... Ruling Party Members, please sit down. ...*(Interruptions)*... You are not supposed to touch or argue with anybody. ...*(Interruptions)*... Please take note. ...*(Interruptions)*... That is not your duty. ...*(Interruptions)*... That is not your duty. ...*(Interruptions)*... Please. I will be. ...*(Interruptions)*... The LOP wants to say something. ...*(Interruptions)*... I want to hear him. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... आप लोग कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... But before the LOP says something, I want to repeat what I have said as the Chairman of the House. I can understand any amount of anxiety, anger and also protest. ...*(Interruptions)*... And anguish also. ...*(Interruptions)*... But try to understand. ...*(Interruptions)*... I will give you. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Bhupender Yadav *ji*, I am saying something. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... One thing I would like to tell everybody ...*(Interruptions)*... Anybody tearing the Constitution in the House or saying something against India will not be allowed at all. ...*(Interruptions)*... Not only will I name them ...*(Interruptions)*... I will take action against them also. ...*(Interruptions)*... This has to be understood by all. ...*(Interruptions)*... The Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... The Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... I have permitted him. ...*(Interruptions)*... I have permitted the Leader of the Opposition ...*(Interruptions)*... Please have patience.

STATUTORY RESOLUTIONS – *(Contd.)*

CESSATION OF ALL CLAUSES OF ARTICLE 370 EXCEPT CLAUSE (1)

THE JAMMU AND KASHMIR RE-ORGANISATION BILL, 2019

AND

GOVERNMENT BILLS–(*Contd.*)

THE JAMMU AND KASHMIR RE-ORGANISATION BILL, 2019

THE JAMMU AND KASHMIR RESERVATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था। जम्मू-कश्मीर को हिन्दुस्तान के साथ रखने के लिए पिछले 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं; हजारों security forces, Army के, paramilitary forces के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं; हजारों politicians ने अपने जीवन का बलिदान दिया है; mainstream political parties ने अपने leaders खो दिए हैं, अपने workers खो दिए हैं और हजारों civilians, बल्कि लाखों, अगर 1947 से ले लें, कुर्बान हो गए हैं। यह बड़ी कुर्बानी के साथ हुआ। यह attempt पहली दफा नहीं हुई, बल्कि जब-जब इस तरह की attempt हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू-कश्मीर के अवाम, लद्दाख के आवाम हिन्दुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख-दर्द में खड़े रहे। यह सत्य है कि वहाँ कुछ लोग थे, हैं और 1947 से, जो accession के खिलाफ थे।

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** مائنے چیئرمین سر، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی آرٹیکل 370 کے ذریعہ جموں وکشمیر اسٹیٹ کو دیش کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ جموں وکشمیر کو ہندوستان کے ساتھ رکھنے کے لیے پچھلے 70 سال میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں؛ ہزاروں security forces ، آرمی کے، paramilitary forces کے، پولیس کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہزاروں پالیٹیشینس نے اپنے جیون کا بلیدان دیا ہے؛ mainstream political parties نے اپنے لیڈرس کھودیئے ہیں، اپنے ورکرز کھودیئے ہیں اور ہزاروں civilians ، بلکہ لاکھوں، اگر 1947 سے لے لیں، قربان ہوگئے ہیں۔ یہ بڑی قربانی کے ساتھ ہوا۔ یہ attempt پہلی دفعہ نہیں ہوئی، بلکہ جب جب اس طرح کی attempt ہوئی، کشمیر کے عوام، جموں وکشمیر کے عوام، لداخ کے عوام ہندستان کے ساتھ کھڑے رہے، ہر وقت کھڑے رہے، دکھ درد میں کھڑے رہے۔ یہ سچ ہے کہ وہاں کچھ لوگ تھے، ہیں اور 1947 سے، جو accession کے خلاف تھے۔

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am coming to that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am coming to that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*... You know my temperament. ...*(Interruptions)*... The point is, if you are starting the discussion, I can give you longer time ...*(Interruptions)*... If you are responding on that ...*(Interruptions)*... If you want to have a discussion, I will allow you ...*(Interruptions)*... I am trying to understand. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Hon. Chairman, Sir, something historical has happened. It is not ordinary day-to-day functioning of Bills passing ...*(Interruptions)*...

†Transliteration in Urdu Script.

SHRI Y. S. CHOWDARY: *

SHRI GHULAM NABI AZAD: *

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. ...*(Interruptions)*... This allegation will not go on record. ...*(Interruptions)*... Both the allegations will not go on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Ramesh, you please go to your seat. ...*(Interruptions)*... This will not go on record. ...*(Interruptions)*... Ghulam Nabiji, please. ...*(Interruptions)*... You cannot speak to any Member like that. ...*(Interruptions)*... You are the Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... Please confine to the issue. ...*(Interruptions)*... Nothing about the charges shall go on record. ...*(Interruptions)*... नहीं, नहीं, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... No, no. ...*(Interruptions)*... You cannot insult a Member like this. ...*(Interruptions)*... You cannot make personal allegations. ...*(Interruptions)*... If you want to say something, please speak; otherwise, it will not go on record. ...*(Interruptions)*... Even what LoP is saying will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I strongly condemn the act of two or three Members of Parliament —none from my Party and none from those of us —who are sitting here. We stand by the Constitution of India.

हम हिन्दुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाज़ी लगा देंगे ...(**व्यवधान**)... लेकिन हम उस act को condemn करते हैं, जिसके द्वारा ...(**व्यवधान**)... हम उस act को condemn करते हैं, जो हिन्दुस्तान के संविधान को जलाते हैं या उसको फाड़ते हैं। ...(**व्यवधान**)... लेकिन आज बीजेपी ने इस संविधान का मर्डर भी किया और लोकतंत्र का मर्डर भी किया। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने लोकतंत्र और डेमोक्रेरेसी, दोनों का मर्डर किया। ...(**व्यवधान**)... जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिन्दुस्तान को जम्मू-कश्मीर दिया...(**व्यवधान**)...

† ہم ہندوستان کے سنودھان کی رکشا کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے ---(مداخلت)--- لیکن ہم اس ایکٹ کو کنڈمن کرتے ہیں، جس کے ذریعے ---(مداخلت)--- ہم اس ایکٹ کو کنڈمن کرتے ہیں، جو ہندوستان کے سنودھان کو جلاتے ہیں یا اس کو پھاڑتے ہیں ---(مداخلت)--- لیکن آج بی جے پی۔ نے اس سنودھان کا مرڈر بھی کیا ہے اور لوک تنتر کا مرڈر بھی کیا---(مداخلت)--- انہوں نے لوک تنتر اور ڈیموکریسی، دونوں کا مرڈر کیا ہے ---(مداخلت)--- جس سنودھان کے ذریعے، جس آرٹیکل 370 کے ذریعے ہم نے ہندوستان کو جموں-کشمیر دیا---(مداخلت)---

*Not recorded

†Transliteration in Urdu Script.

MR. CHAIRMAN: They have got a right. You have got a right to oppose. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आज मोदी सरकार ने उस संविधान की और उस अज़ीम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। ...**(व्यवधान)**... इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठते हैं। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب غلام نبی آزاد :** آج مودی سرکار نے اس سنودھان کی اور اس عظیم لوک-تنتر کی دھجّیاں اڑا دی ہیں ... (مداخلت)... اسی لئے ہم دوبارہ پروٹیسٹ پر بیٹھتے ہیں ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... Now, the Home Minister. ...*(Interruptions)*...

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय सभापति महोदय, गुलाम नबी साहब ने अभी कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। ...**(व्यवधान)**... मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता हूं, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह भी ऐतिहासिक है और इतिहास बनाने वाला बिल है। ...**(व्यवधान)**... धारा 370 के कारण आज जम्मू-कश्मीर की आवाम गुरबत में जी रही है, गरीबी में जी रही है। ...**(व्यवधान)**... उनको रिज़र्वेशन का फायदा नहीं मिलता। ...**(व्यवधान)**... वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है।...**(व्यवधान)**... वहां के दलितों और ट्राइबल्स के साथ अन्याय हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। ...**(व्यवधान)**... धारा 370 की छाया में तीन परिवारों ने ...**(व्यवधान)**... तीन परिवारों ने जम्मू-कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing shall go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है, यह सत्य नहीं है। ...**(व्यवधान)**... महाराजा हरि सिंह द्वारा, 27 अक्टूबर, 1947 को 'Instrument of Accession of Jammu and Kashmir' पर साइन किया गया। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... जो चिल्ला रहे हैं, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**... Your leader has protested, what to do? ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मैं फिर से यह बात बताना चाहता हूं कि 27 अक्टूबर, 1947 को 'Instrument of Accession of Jammu and Kashmir' पर साइन किया गया ...**(व्यवधान)**... और जम्मू-कश्मीर के भारत से जुड़ने के पूरे दो साल के बाद, 1949 में धारा 370 आई। ...**(व्यवधान)**... यह सत्य नहीं है कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। ...**(व्यवधान)**... हकीकत यह

†Transliteration in Urdu Script.

है कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ कभी भी एकरस होने ही नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब कहते हैं कि यह गैर-संवैधानिक तरीका है, तो वे वाद-विवाद करें। ...**(व्यवधान)**... शोर-शराबा न करें। ...**(व्यवधान)**... वे संविधान की जिस धारा के लिए भी कहना चाहते हैं, मैं उसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए तैयार हूं। ...**(व्यवधान)**... जब से हमारा संविधान बना, तभी से धारा 370 को अस्थायी माना गया। ...**(व्यवधान)**... अस्थाई क्यों माना गया? अस्थाई इसलिए माना गया, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था। ...**(व्यवधान)**... इसको बहुत पहले ही हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी और इसके आधार पर वोट बैंक बनाना था। ...**(व्यवधान)**... हमें न तो वोट बैंक बनाना है और न ही हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। ...**(व्यवधान)**... नरेन्द्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के धनी हैं। इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि कृपया इस पर चर्चा करिए। ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही! ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि इतने समय कश्मीर के अन्दर भ्रष्टाचार क्यों हुआ! ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला! ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि कश्मीर के ट्राइबल्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला! ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि 35ए के तहत कश्मीर की माताओं-बहनों को, अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला! ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय, देश जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अन्दर गया, फिर भी कश्मीर के लोग आज गरीब क्यों हैं, यह देश जानना चाहता है। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी सभासदों से अपील करता हूँ कि कृपया चर्चा करिए, आप अपने तर्क बेखौफ़ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं हरेक तर्क का जवाब दूँगा। ...**(व्यवधान)**... मैं दृढ़ मानसिकता के साथ आया हूँ कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड की देरी भी नहीं करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Ram Gopal Yadav. ...*(Interruptions)*... Do you want to say something? ...*(Interruptions)*... Do you want to participate in the debate? ...*(Interruptions)*... Now, the debate is open on all four issues but voting will be separate. ...*(Interruptions)*... Voting will be separate. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I want to participate. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, Prof. Ram Gopalji. ...*(Interruptions)*... Shri Satish Chandra Misra, do you want to speak? ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Please, others go to your seats. ...*(Interruptions)*...

मनोज जी, आप प्लीज़ अपनी जगह पर जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, जम्मू कश्मीर ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*... Anyone can effectively counter the Government. ...*(Interruptions)*... You can oppose; you can protest and you can vote against the Bill also. ...*(Interruptions)*... What Shri Satish Chandra Misra speaks will go on record. ...*(Interruptions)*... What Shri Satish Chandra Misra speaks will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: ऑनरेबल चेयरमैन साहब ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन ...**(व्यवधान)**... को हमारी पार्टी पूरे तरीके से समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि यह विधेयक पास होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... धारा 370 पर और जो दूसरा बिल है, उस पर हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Satish Chandra Misra has spoken. ...*(Interruptions)*... मित्रों, इस विधेयक के लिए अगर किसी को संशोधन देना है, तो उसके लिए मैंने 12.30 बजे तक मौका दिया है। ...**(व्यवधान)**... I have already announced that upto 12.30 p.m., any Member who desires to move any Amendment to any clause or sub-clause, they are free to give it. ...*(Interruptions)*... Before that, the discussion will be going on. ...*(Interruptions)*... Voting will take place, only after this discussion is over, one-by-one and not together. ...*(Interruptions)*... Discussion will be together but voting will be separate. ...*(Interruptions)*... Please understand this. ...*(Interruptions)*... So, I now request Shri Ghulam Nabi Azad. ...*(Interruptions)*... Shri Ghulam Nabi Azad, do you want to participate in the debate? ...*(Interruptions)*... Now, Shri Bhupender Yadav. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): माननीय सभापति महोदय, इस देश में आज एक ऐतिहासिक दिन है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मैंने पहले ही कहा कि इस बिल के लिए ...**(व्यवधान)**... 4 बिल्स के लिए 4 घंटे का समय दिया है। ...**(व्यवधान)**... So, we will have time upto that and there won't be any lunch break. ...*(Interruptions)*... Whoever want to have lunch, they can go and come back. ...*(Interruptions)*...

12.00 NOON

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : माननीय सभापति महोदय, इस देश में आज एक ऐतिहासिक दिन है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मैंने पहले ही कहा कि इस बिल के लिए ...**(व्यवधान)**... 4 बिल्स के लिए 4 घंटे का समय दिया है। ...**(व्यवधान)**... So, we will have time up to that and there won't be any lunch break. ...*(Interruptions)*... Whoever want to have lunch, they can go and come back. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, इस देश में आज एक ऐतिहासिक दिन है। ...**(व्यवधान)**... यह ऐतिहासिक दिन हमारे देश में इसलिए है कि आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा इस सदन में संकल्प लाये गये हैं, बिल्स लाये गये हैं, जो भारत की एकता और अखंडता को भारत के विषय को आगे बढ़ाने के लिए हैं और एक ऐसा भारत बनाने के लिए संकल्प लाये गये हैं, जहाँ. "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, हम एक सांसद के रूप में यहाँ पर शपथ लेते हैं। ...**(व्यवधान)**... एक सांसद के रूप में हम जो शपथ लेते हैं, उस शपथ में हम सबसे पहले यह कहते हैं कि "हम भारत के संविधान में निष्ठा रखेंगे। "...**(व्यवधान)**... भारत के संविधान में निष्ठा रखने के साथ-साथ, हम अपनी शपथ में जो दूसरी बात कहते हैं कि "भारत की sovereignty, भारत की integrity और भारत की unity हमारे लिए सबसे बड़ा काम रहना है।" ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: यह सब नारेबाजी रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: तीसरा विषय, जो हम हमेशा कहते रहे हैं कि एक सांसद के रूप में जो दायित्व हमें दिया जाता है, हम उसे पूरा करने का काम करें। इस बहस को शुरू करते हुए, प्रारम्भ में मैं इस संसद की कुछ प्रक्रियाओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। महोदय, विपक्ष ने आज सुबह नियम 267 के अंतर्गत नोटिस दिया। माननीय सभापति जी द्वारा उन्हें बोलने के लिए कहा गया। इस सदन में नियम 267 के साथ-साथ, नियम 266 में माननीय सभापति जी को पावर दी गई हैं कि वे किसी भी रूल को waive कर सकते हैं। आज मुझे विनग्रता से यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि विपक्ष के नियम 267 के नोटिस पर माननीय सभापति महोदय ने कहा कि आप जम्मू-कश्मीर विधेयक और संकल्प पर होने वाली चर्चा के दौरान अपने बिन्दु उठा सकते हैं, लेकिन बिल पर बोलने की बजाय उन्होंने आज इस संसद की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जिस संविधान की आपने शपथ ली है, भारत की एकता और अखंडता की बात की है, आप अपने संसदीय दायित्व को निबाहने का काम भी करें। मेरा आग्रह होगा कि आप कृपा कर बहस में हिस्सा लीजिए।

यहां बैठे हुए विपक्ष के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि नियम 235(vii) में कहा गया है कि जब यह सदन चलेगा तो सभी माननीय सदस्यों को अपनी सीट पर बैठना होगा, लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी सीटों पर बैठने का काम नहीं कर रहे हैं। महोदय, इस सदन में पहले भी ऐसा हुआ है कि बिल कई बार Business Supplementary के साथ introduce होते रहे हैं। आज विपक्ष का कोई माननीय सदस्य नहीं कह सकता कि इस बिल को लाने के लिए Business Advisory Committee में चर्चा नहीं हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि 2 अगस्त, 2019 को Business Advisory Committee की जब बैठक हुई थी, उस बैठक के Agenda No.1 पर जम्मू-कश्मीर Reservation Bill लगा था। उस BAC मीटिंग में Agenda No.1 पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य बैठे हुए थे। उसी मीटिंग में जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

उस Business Advisory Committee की चर्चा को छोड़कर, अगर विपक्ष के माननीय सदस्य यहां विरोध कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका विरोध केवल राजनैतिक है। इस विरोध का जम्मू-कश्मीर से, जम्मू-कश्मीर के नागरिकों से, जम्मू-कश्मीर की जनता से कोई लेना-देना नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को कम-से-कम यह समझना चाहिए कि उसने कभी भी देश की एकता के लिए जम्मू-कश्मीर के संबंध में जो कदम उठाने चाहिए थे, उन्हें उठाने का काम नहीं किया। पिछले 70 सालों में जो काम आप नहीं कर सके, उस विषय को आज हमारे गृह मंत्री जी सदन में लाए हैं। आपको आज उनके साथ आना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि - when we enter into this august House, we take oath that we shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India and we will uphold the sovereignty and integrity of India. इसका तात्पर्य यह है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, हम सब लोगों को सदन में हो रही चर्चा में भाग लेना चाहिए। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे चर्चा में भाग लें।

महोदय, जो हमारा Article 1 है, उसमें Union Territory की व्याख्या की गई है। Article 1 में जम्मू-कश्मीर को भारत की Union Territory के रूप में व्याख्या की गई है। उसमें यदि कुछ permanent है, तो वह Article 1 है | अगर कोई temporary या provisional Article था, तो वह Article 370 था। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि इसे provisional क्यों रखा गया? उस समय देश की परिस्थितियां क्या थीं? माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि जब जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय किया गया था, उस समय जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने विलय के समय कहा था कि जम्मू-कश्मीर भारत का भाग होगा। उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार, धारा 370 का temporary provision किया गया था।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव: लेकिन हमारे देश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत सदन इस बात का साक्षी रहा है कि हम लोगों ने समय-समय पर भारत में अनेक प्रदेशों को शामिल करने के लिए इसी सदन के द्वारा एक मत हो करके प्रस्ताव पास किया है। ...**(व्यवधान)**... मैं कांग्रेस के सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 7 मार्च, 1974 को सिक्किम को इस देश की territory में शामिल किया गया था, तब पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा एक दिन के अंदर इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। ...**(व्यवधान)**... विपक्ष के लोग यह नहीं भूले कि यह भारत की एकता और अखंडता का विषय है। ...**(व्यवधान)**... मैं उनको यह भी कहना चाहता हूँ कि 7 मार्च, 1974 को सिक्किम को शामिल किया गया और उसके बाद हमारे देश में आगे भी रही प्रक्रिया जारी रही। ...**(व्यवधान)**... उससे पहले 2 मार्च, 1962 को गोवा, दमन और दीव तथा और Union Territories को इसी सदन ने भारत की एकता और अखंडता की व्याख्या करते हुए एक मत से शामिल करने का काम किया था।...**(व्यवधान)**... मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुदुचेरी को भी इसी सदन ने एक साथ व्याख्या करके शामिल करने का काम किया था। ...**(व्यवधान)**... इस सदन में एक ऐसा क्षण आया है, जब देश के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हैं, उन महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार किया गया। ...**(व्यवधान)**... अभी हाल ही में हमने पूरे देश में गरीबों को जो 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का काम किया, उस 10 प्रतिशत के आरक्षण को इस सदन ने एक मत से पारित किया था। ...**(व्यवधान)**... वह Business Advisory Committee में भी नहीं आया था, लेकिन वह देश के लिए जरूरी था, इसलिए देश के दोनों सदनों ने इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसको एक मत से पारित करके इस देश के 10 प्रतिशत गरीबों को आरक्षण देने का काम किया। ...**(व्यवधान)**... आज विपक्ष यह नहीं कह सकता है कि इसमें किसी प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... सदन में चर्चा करने का, सदन में विषय रखने का, सदन में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस आज जो जम्मू-कश्मीर बिल का विरोध कर रही है ...**(व्यवधान)**... कांग्रेस ने किस प्रकार से इस सदन की मर्यादा को तार-तार किया था। ...**(व्यवधान)**... हमको ध्यान होना चाहिए कि जब कांग्रेस की एक पूर्व प्रधान मंत्री थीं, जब उन पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ निर्णय आया था, तब केवल उस निर्णय को ध्वस्त करने के लिए एक ही दिन में लोक सभा बुलाई गई, राज्य सभा बुलाई गई और शनिवार को 17 राज्यों को दिल्ली में बुलाया गया और इस प्रकार से 17 राज्यों को दिल्ली में बुला कर वह संवैधानिक संशोधन किया गया। ...**(व्यवधान)**... यहां ऐसा करने का काम नहीं किया गया है। ...**(व्यवधान)**... यहां पर जो विषय रखा गया है, वह Business Advisory Committee के माध्यम से रखा गया है और Business Advisory Committee के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सबसे पहले रिज़र्वेशन के बिल को रखा है। ...**(व्यवधान)**... यह रिज़र्वेशन की हमारी संकल्पना क्या है? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर में आज तक रिज़र्वेशन क्यों नहीं लागू हो पाया है? ...**(व्यवधान)**... हमने यह रिज़र्वेशन का सेकंड अमेंडमेंट बिल रखा है, लेकिन यह जानना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में इससे पहले सदन में जब एक मत होकर रिज़र्वेशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल रखा था, उस फर्स्ट अमेंडमेंट बिल को सभी दलों ने सहयोग दिया था। ...**(व्यवधान)**... वह क्यों दिया गया था? ...**(व्यवधान)**... वह सहयोग इसलिए दिया गया था, क्योंकि जम्मू की सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं, लगातार पड़ोसी देश के आक्रमण होने के कारण उनको बार-बार घर और परिवार से बेदखल किया जाता है। ...**(व्यवधान)**... इस कारण से उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। ...**(व्यवधान)**... वह भारत की एकता, भारत की सुरक्षा के लिए लगे हुए लोग थे, लेकिन उनको जो रिज़र्वेशन देने का एक लंबे समय से, 70 साल से जो पेंडिंग काम था, उसको पूरा करने का काम इस सदन में सबसे पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। ...**(व्यवधान)**... लेकिन जब हम यह पहला रिज़र्वेशन का कानून लेकर आए, तब निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षा बढ़ी है। ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर के लोगों की जो आकांक्षा बढ़ी है, उस आकांक्षा को पूरा करना आज हम सबका दायित्व है। ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर का विकास हो, आखिर इसके बारे में सोचने का काम कौन करेगा? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर में निवेश का माहौल बने, आखिर इसके लिए सोचने का काम कौन करेगा? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर में भारत के सब नागरिक आवागमन कर सके, इसको सोचने का काम कौन करेगा? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर से जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई निकाले गए हैं, उन कश्मीरी पंडित भाइयों को, उनके जीवन और सम्मान के विषयों को देने का काम किया जाए, उसको देने का काम कौन करेगा? ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं आपके माध्यम से यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि जब भी गरीबों की बात आती है, जैसे आधार कानून की बात आई, तब विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है। ...**(व्यवधान)**... जब इस देश में ओबीसीज़ के रिज़र्वेशन की बात आई, तब विरोध करने का काम, सेलेक्ट कमिटी का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। ...**(व्यवधान)**...जब महिलाओं की बात आई, ट्रिपल तलाक की बात आई, तब उसका भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। ...**(व्यवधान)**... आज जब हम जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू-कश्मीर को भारत की एकता और अखंडता के साथ भारत के सब राज्यों से मिलाने के लिए धारा-370 को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं, उसका भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहूँगा कि सभी दलों में आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के विषय पर आकर इसको समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। ...**(व्यवधान)**... यहाँ पर अनेकों दल के सांसद बैठे हैं, अनेकों दल के सांसदों के द्वारा हमारा विषय शुरू किया जाएगा, लेकिन हमारा जो विषय शुरू किया जाएगा, उसमें यहाँ पर अनेकों दलों का समर्थन प्राप्त होने वाला है। ...**(व्यवधान)**... मैं आज यह आह्वान करना चाहता हूँ कि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक गौरव

का क्षण आया है।...**(व्यवधान)**...यह एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो विलय जम्मू-कश्मीर का हुआ था, जिसके लिए एक लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के लोगों की जो आकांक्षा थी, लद्दाख के लोगों की जो आकांक्षा थी, जो भारत की आकांक्षा थी, उसे पूरा करने का काम हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं सबको यह आह्वान करना चाहता हूँ कि हम इसे इस डिबेट के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं कर सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर का विकास कैसे होगा? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए पिछले पाँच सालों में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वहाँ आईआईटी खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू-कश्मीर में आइआईएम खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू-कश्मीर में एम्स के हॉस्पिटल खोलने का विषय हो, लेकिन उसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए हमें आगे आना होगा। ...**(व्यवधान)**... आखिर कॉंग्रेस के लोग यह क्यों नहीं बताते हैं कि 70 सालों में जम्मू-कश्मीर में एससी-एसटी को रिज़र्वेशन क्यों नहीं मिला? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर में ओबीसीज़ को रिज़र्वेशन क्यों नहीं मिला? ...**(व्यवधान)**... इस मामले में कॉंग्रेस के लोग चुप रहे, क्योंकि अगर इसके बीच में कोई विषय था, तो वह धारा-370 का विषय था, इसलिए जम्मू-कश्मीर में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आज धारा-370 को समाप्त करने का एक सही संकल्प पारित किया गया है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, आपके माध्यम से मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि जब धारा-370 एन. गोपालस्वामी आयंगर के द्वारा मूव किया गया था, तब भी यही विषय कहा गया था कि यह एक किस्म से temporary clause है। ...**(व्यवधान)**... इस देश के संविधान को हम लोगों ने एक लचीले संविधान के रूप में स्वीकार किया है। ...**(व्यवधान)**... एक ऐसे संविधान के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें जब-जब आवश्यकता होगी, जब-जब आवश्यकता पड़ेगी, देश के लोगों के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाएगा और निश्चित रूप से इसकी व्याख्या की गई है। ...**(व्यवधान)**... धारा-368 के अंतर्गत एक पावर दी गई है कि संविधान में जो हमारे मूल विषय हैं, हमारा मूल विषय भारत के लोकतंत्र का विषय है। हमारी पार्टी उसके प्रति प्रतिबद्धता रखती है। भारत एक गणतंत्र है, हमारी पार्टी इसकी प्रतिबद्धता रखती है। भारत में चुनाव निष्पक्षता के साथ हों, इसके लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्धता रखती है। ...**(व्यवधान)**... भारत के लोगों की मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हम तो उस पार्टी के लोग हैं, जो वर्ष 1975 में इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए अपने career को छोड़कर जेल में गए थे। ...**(व्यवधान)**... हमने जेल में जाकर यातनाएं झेली थीं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की जो दूसरी लड़ाई लड़ी थी, वह भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के दलों ने लड़ी थी। ...**(व्यवधान)**... मैं यहाँ यह कहना भी चाहूँगा कि जम्मू-कश्मीर में भारत की एकता का सपना भारत के महापुरुषों का सपना है। यह डॉ लोहिया का सपना है, बाबा साहेब का सपना है, देश के उन सब लोगों का सपना है, जिन्होंने भारत को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। ...**(व्यवधान)**... मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हम उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पार्टी के संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने

अपना बलिदान जम्मू-कश्मीर के लिए दिया था। ...**(व्यवधान)**... हम लोग बचपन से कहते हुए आए हैं कि

"जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है।"

लेकिन कश्मीर के लिए जो दो विधान के विषय थे, उन विषयों को समाप्त किया गया। इसलिए 370 का temporary provision उस तात्कालिक समय में था। ...**(व्यवधान)**... यह एक ऐतिहासिक विषय था, जिसे पूरा करने का काम आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया है, जिसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। महोदय, हमारी सरकार जो पाँच साल चली है, वह किस philosophy पर चली है? ...**(व्यवधान)**... हमारा यह कहना है और हमने यह देखा भी है कि इस देश में लोगों ने देशभक्ति पर केवल भाषण दिए हैं, लेकिन अब देशभक्ति पर भाषण नहीं, देशहित में कदम उठाकर भारत की एकता को मजबूत रखा जाए, यह काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, इस संसद को यह पूरा अधिकार है कि संसद उन संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करे, जो संवैधानिक प्रावधान या तो तत्काल प्रभाव से लागू न होते हों या जिन संवैधानिक प्रावधानों में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे रखकर, अपने देश का एक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है, उस कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को आगे बढ़ाएँ। ...**(व्यवधान)**... मैं प्रतिपक्ष के लोगों से यह पूछना चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

PROF. RAM GOPAL YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I am on a point of order only on the point he is speaking.

श्री उपसभापतिः ठीक है। भूपेन्द्र जी, एक मिनट...

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, धारा 370 भारत के संविधान का अंग है। इसको हटाने के लिए, इसको संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। इसको संविधान संशोधन के जरिये ही हटाया जा सकता है, किसी रिजॉल्यूशन के जरिये नहीं हटाया जा सकता है। संविधान की किसी भी धारा में अगर परिवर्तन करना है, उसमें कुछ जोड़ना है या घटाना है, that may be amended only by a constitution amendment. सर, मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, पहले आप इस पर रूलिंग दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः मैं आपको बताता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाहः उपसभापति महोदय, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर सारे सदस्य सरकार से कम से कम यह जान लेते कि हम किस पद्धति से और किस धारा के अंतर्गत यह करने जा रहे हैं। अच्छा हुआ माननीय सदस्य प्रो. राम गोपाल जी ने इसको उठाया। ...**(व्यवधान)**...

[श्री अमित शाह]

उपसभापति महोदय, धारा 370 के अंदर ही इसका प्रोविज़न है। ...**(व्यवधान)**... 370 (3) को जरा ध्यान से पढ़ें। ...**(व्यवधान)**... मैं सदन के सभासदों के लिए 370 (3) को पढ़ता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कोई अन्य बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, केवल माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI AMIT SHAH: Article 370(3) says: "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify:

> Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification."

देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को cease करने के अधिकार हैं। ...**(व्यवधान)**... आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, constitutional order निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है "Constituent Assembly of Jammu and Kashmir means Jammu and Kashmir Assembly." क्योंकि अब Constituent Assembly तो है ही नहीं, Constituent Assembly समाप्त हो चुकी है, तो Constituent Assembly के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेम्बली में ही निहित होते हैं। ...**(व्यवधान)**... चूंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेम्बली के सारे अधिकार इन दोनों सदनों के अंदर निहित हैं और राष्ट्रपति के इस ऑर्डर को हम एक सादे बहुमत से पारित कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ...**(व्यवधान)**... इससे पहले कांग्रेस पार्टी 1952 में और 1962 में धारा 370 को इन्हीं तरीकों से अमेंड कर चुकी है और हम आज उसी रास्ते पर हैं। ...**(व्यवधान)**... अगर इतनी चर्चा कर लेते, तो मैं पूरी डिटेल बताता, देश की जनता भी जान जाती, जम्मू-कश्मीर की आवाम भी जान जाती, मगर मेरिट्स इतना नीचा है, मेरिट्स है नहीं, सिर्फ पोलिटिकल बातें करनी है, इसलिए यहाँ बैठकर ये शोर-शराबा कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं आपके माध्यम से गुलाम नबी साहब से अभी भी अपील करता हूं कि आप तो कश्मीर से आते हैं, आप कश्मीर की पीड़ा को जानते हैं। ...**(व्यवधान)**... धारा 370 कैसे कश्मीर का नुकसान कर रही है। ...**(व्यवधान)**... मुझे मेरी बात रखने दीजिए, क्या आप मुझे इतना भी अधिकार नहीं देंगे। ...**(व्यवधान)**... वाद-विवाद हो, तर्क हो, मगर आप लोगों को कुछ नहीं करना है।

सिर्फ शोर-शराबा करना है।...**(व्यवधान)** ...मैं अभी भी मानता हूं कि सदन के सारे सदस्य अपनी-अपनी सीट पर चले जाएं। ...**(व्यवधान)**... आपकी जितनी भी शंका-कुशंका या आपके सवाल हैं, मैं सबके जवाब देने के लिए बाध्य हूं और तैयार हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैंने आपकी रूलिंग नोट कर ली है, मैं बाद में अपना डिसीज़न दूंगा। ...**(व्यवधान)**... माननीय गृह मंत्री जी ने कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अब मैं भूपेन्द्र जी से कहता हूं कि वे अपनी बात continue करें।...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ इस पूरे सदन के सामने यह स्पष्ट किया है कि धारा 370 को लेकर पूर्व में जिस प्रकार के संशोधन कांग्रेस के द्वारा उसके समय में लाए गए थे, उन्हीं उपबंधों को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया है और केवल राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस उसको रोकने का काम कर रही है।

महोदय, आखिर हमारे देश में जितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों में से केवल जम्मू-कश्मीर ही आतंकवाद से पीड़ित क्यों है? जम्मू-कश्मीर की आतंकवाद की पीड़ा को आखिर वहां पर कौन झेलता है, उसके आतंकवाद की पीड़ा को वहां की महिलाएं झेलती हैं। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जम्मू-कश्मीर में एक लम्बे समय से वहां की महिलाओं को, वहां की बहनों ने आतंकवाद की पीड़ा के कारण जो उन्होंने एक लम्बे समय तक जम्मू-कश्मीर में एक दंश झेला है, जम्मू-कश्मीर में उन्होंने जिस दर्द को सहा है, उससे मुक्ति का रास्ता, धारा 370 को समाप्त करके शांतिपूर्ण जम्मू-कश्मीर के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि धारा 370 के प्रोविजन को पहले जिस प्रकार से बदला गया है, यह हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और मैंने पूर्व में भी कहा है कि 20 दिसम्बर, 1961 को इस देश में territory में शामिल करने के लिए गोवा और दमन-दीव को territory में शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया, 28 दिसम्बर, 1962 को पुदुचेरी का incorporation किया गया। महोदय, इस देश में संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों की सीमा के पुनर्निधारण का, राज्यों की सीमा के विकास का और उसके संबंध में कानून बनाकर लाए। निश्चित ही जम्मू-कश्मीर के संबंध में इस प्रकार का कानून, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लाया गया है।

महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या धारा 370 temporary है और जो आर्टिकल 1 है, जिसमें भारत की सारी भूमि और सीमा को बताया गया है, वह उसके अंतर्गत ही आता है, इसलिए जो पॉवर धारा 370 (3) में है, धारा 370 की उपधारा 3 में जो पॉवर है, उसका सरकार ने विवेक से दृढ़तापूर्वक भारत के हित में इस्तेमाल करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, इसके लिए हम माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज

[श्री भूपेन्द्र यादव]

जम्मू-कश्मीर में, चूंकि वहां पर इस समय राष्ट्रपति शासन है और इस समय विधान सभा स्थगित है, इस विषय पर विचार करने के लिए यह संसद बैठी है और ऐसा नहीं है, यह संसद इसी सत्र में जम्मू-कश्मीर के रिज़र्वेशन के फर्स्ट बिल पर पूरी तरह से विचार कर चुकी है और जब फर्स्ट बिल पर हमने विचार किया था तो इन सब दलों ने अपनी consensus के साथ विचार किया था।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में जो लम्बे समय तक शासन चला है और जम्मू-कश्मीर में लम्बे समय तक शासन करने के कारण भावनात्मक मुद्दों | को उठाया गया है, जम्मू-कश्मीर का विकास नहीं होने दिया है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि काँग्रेस बताए कि जम्मू-कश्मीर में करप्शन क्यों रहा, काँग्रेस बताए कि जम्मू-कश्मीर में गुड गवर्नेंस क्यों नहीं आ पायी, कांग्रेस बताए कि जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार से नौजवानों को उनके रास्ते से भटकाने का प्रयास किया जाता रहा है... इस सदन में पहले भी चर्चा आयी है। इस सदन के पूर्व नेता श्री अरुण जेटली जी, जब इस सदन के नेता के रूप में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए थे और ख़ालिक मोहम्मद नाम के जिस अधिकारी के माध्यम से लोगों को निर्वाचन में निष्पक्ष रूप से भाग नहीं लेने दिया जा रहा था। क्या कांग्रेस बता सकती है कि जम्मू-कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव करने में उनकी धारा 370 काम में आई? आज हम धारा 370 को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर को भारत के सब राज्यों के समान विकास करने के लिए, भारत के सब राज्यों के समान आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं आपके माध्यम से आज एक और विषय यहां पर रखना चाहता हूं। मेरा विषय यह है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए क्या भारत में सब राज्यों को समान अधिकार नहीं देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... सर, मान लीजिए कि 70 सालों से कोई धारा टेम्परेरी धारा के रूप में इस देश के अंतर्गत थी, अगर 70 सालों में उस परिस्थिति के कारण, तात्कालिक परिस्थिति के कारण वह धारा अगर भारत में टेम्परेरी थी, तो क्या उसके बारे में पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? क्या यह देश, जब हम कहना चाहते हैं कि 21वीं सदी का भारत एक बड़ा देश बनना चाहता है। ...**(व्यवधान)**... अगर भारत जब बड़ा देश बनना चाहता है, तो भारत अपने सभी नागरिकों के साथ, जम्मू-कश्मीर के लोगों के विकास के साथ महान भारत बनना चाहता है और इसलिए मैं पुन: आज यह कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा यहां संकल्प लाया गया है और संकल्प के साथ ही साथ जम्मू-कश्मीर के reorganisation के लिए माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा एक विधेयक भी पेश किया गया है। राज्यों के reorganisation को लेकर समय-समय पर चर्चा चलती रही है। राज्यों के reorganisation को लेकर विभिन्न आयोगों और समितियों की रिपोर्ट आई है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी तीन राज्यों का गठन करने का काम किया गया था। आखिर राज्यों के विकास की आवश्यकता क्यों है? ...**(व्यवधान)**... सीमावर्ती क्षेत्रों में हम लोगों को पता है कि हमें ज्यादा सघन तरीके से छोटी इकाइयों

के माध्यम से विकास के आयामों को आम आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि विकास सब लोगों तक पहुंचे, विकास के साधन सब लोगों को उपलब्ध हों, इसलिए प्रशासनिक इकाइयों को एक प्रकार से समायोजन करने का काम किया गया है, ताकि प्रशासनिक इकाइयों को ज्यादा सुदृढ़ता के साथ काम करने का अवसर मिले।

महोदय, हम जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है और हम यह भी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में कई बार कश्मीर की वैली में जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा और विशेष रूप से हमारे पड़ोसी देश के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद किया जाता है, उसके कारण भी कभी जम्मू और लद्दाख क्षेत्र के लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है और इसलिए एक व्यवस्थित रूप से इन राज्यों की इकाई का पुनर्गठन करके सब को विकास की सहभागिता में काम देने का काम किया जाए। यह बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है।

महोदय, मैं आज यह कहना चाहूंगा कि सरकार का जो पहला सत्र है, वह सत्र पूरे देश में एक ऐतिहासिक दृष्टि से हुआ है। लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि पिछले 70 सालों में अगर कोई सबसे productive पार्लियामेंट का सेशन हुआ है, तो इस सरकार का यह पहला सत्र हुआ है। इस सरकार के पहले सत्र में महिलाओं के लिए 'ट्रिपल तलाक' जैसा कानून आया, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 'Insolvency' जैसा कानून सरकार लेकर आई, देश में मेडिकल क्षेत्र के विस्तार के लिए 'मेडिकल काउंसिल' जैसा संशोधन लेकर आए, बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उनके लिए 'पोक्सो' जैसा कानून लेकर आए। ...**(व्यवधान)**... आज जम्मू-कश्मीर के लोगों को विकास की धारा में शामिल करके एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप देते हुए धारा 370 के संकल्प के साथ जम्मू-कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाने का यह संकल्प प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लाया गया है।

महोदय, हम एक कल्याणकारी राज्य के रूप में जी रहे हैं। कल्याणकारी राज्य के रूप में उसका अर्थ यह है कि लोगों को उनके विकास के अधिकार मिलें, लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मिले, भारत के सभी नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का अधिकार मिले। हम विपक्ष के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम Insolvency and Bankruptcy जैसा कानून लेकर आए, लेकिन धारा 370 लागू है, इसलिए हम उसको लागू नहीं कर सकते। हम बैंक में 'सरफेसी' जैसा कानून लेकर आए, लेकिन धारा 370 लागू है, इसलिए हम उसे लागू नहीं कर सकते हैं। मैं हमारे सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि कृपया करके वे यह बताएं कि क्या भारत के सारे सुधारवादी कानून और भारत के आर्थिक विकास के रास्तों पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उनका हक मिलने के लिए, सब का समान विकास करने के लिए धारा 370 की समाप्ति और जम्मू-कश्मीर का जो प्रशासनिक गठन है, उसको करने का काम हम लोगों ने किया है।

महोदय, आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि कांग्रेस अपने मोह से निकल नहीं पा रही है। उनका मोह कैसा होता है। जब हम लोगों ने जन-धन खाते

[श्री भूपेन्द्र यादव]

खोलने का काम किया - क्यों, कहां और कैसे; जब हम 'आधार' कानून लेकर आए - क्यों, कहां और कैसे! उन्हें हर बात पर ऐसा लगता है, जैसे देश चलाने का एक स्वाभाविक अधिकार उन्हें है, लेकिन हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि अब कांग्रेस के वे सारे विषय समाप्त हो गए हैं - क्यों, कहां और कैसे - अब वह क्यों भारत के हित में है, उसे करने का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता उन मानवाधिकारों की रक्षा करना है, जिसमें हमारे देश की माताएं और बहनें सुरक्षित रूप से अपने घर में रह सकें, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ सबसे कड़ा कदम यदि किसी ने उठाने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। ...**(व्यवधान)**... इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पहली बार यह तय किया है कि अगर इस देश में कोई प्रायोजित आतंकवाद लाने का काम किया जाएगा, तो हम उस आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करके surgical strike और air strike करेंगे - यह दृढ़ निर्णय लेने का काम हमारी सरकार ने किया है। ...**(व्यवधान)**... काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। ...**(व्यवधान)**... मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से गरीब ...**(व्यवधान)**... कल्याणकारी योजनाओं को चलाया, जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के विषय को आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से भारत के गौरव को आगे बढ़ाया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... इतना ही नहीं, हम तभी इस देश को सुरक्षा दे पाएंगे, जब अपनी सीमा को सुरक्षा दे पाएंगे और अपनी सीमा को तभी सुरक्षा दे पाएंगे जब हम न जम्मू-कश्मीर को अच्छा प्रशासनिक स्टेटस दे पाएंगे - और उसका प्रावधान इस बिल में रखने का काम किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, कांग्रेस के लोगों से मैं पुन: कहना चाहता हूं कि आइए, आप लोग इस दुर्भावना को छोड़िए; आइए, आप लोग अब इस सदन की मर्यादा को तार-तार मत करिए; आइए, आप देश के विकास में आगे बढ़िए ; आइए, आप हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को आगे बढ़ाइए; आइए, हम सब मिल-जुलकर भारत माता की जय करके हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करें। हम हमारे विपक्ष से फिर से आह्वान करना चाहते हैं कि चुनौतियों के अवसर बहुत कम आते हैं। महोदय, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। मुझे महाभारत का एक उदाहरण ध्यान में आता है। ...**(व्यवधान)**... महाभारत की पूरी कथा दो भाइयों में चलती है। ...**(व्यवधान)**... वह कौरवों और पांडवों में चलती है। एक समय ऐसा आता है, जब पांडव जंगल में जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... उस समय दुर्योधन उनके पीछे-पीछे देखने के लिए आते हैं कि जंगल में उनकी स्थिति क्या है। तब दुर्योधन को जंगल में घेर लिया जाता है। यह देखकर भीम खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुर्योधन हमारा विरोध कर रहा था, आज इसको घेर लिया गया है। उस समय युधिष्ठर कहते हैं कि भीम, यहां पर वे सौ और हम पांच नहीं हैं - वयं पंचाधिक शतम् ...**(व्यवधान)**... मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप और हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हमारा लक्ष्य

जम्मू-कश्मीर का विकास करना है। हमारा लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को एक अच्छी प्रशासनिक सुविधा वाला राज्य बनाना है। हमारा काम जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करना है और हमारा लक्ष्य 70 साल पहले उस परिस्थिति में अगर कोई temporary clause आया था, तो उसे समाप्त करके भारत के 125 करोड़ लोगों को जम्मू-कश्मीर में आने-जाने की स्वतंत्रता देकर, जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाकर भारत को आगे बढ़ाने का काम करना है।

इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सदन बहुत ऐतिहासिक डिबेट का साक्षी रहा है। वाद-विवाद और एक-दूसरे के खिलाफ तर्कों की इस उच्च सदन की परम्परा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी आपके माध्यम से यहां पर आह्वान किया है। माननीय राम गोपाल यादव जी ने जो प्रश्न पूछा था, माननीय गृह मंत्री जी ने उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ...**(व्यवधान)**... माननीय गृह मंत्री जी सदन को आश्वासन दे चुके हैं कि हम विपक्ष के हर संशय का, विपक्ष के हर विषय का, विपक्ष के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**... वाइको साहब, यह गलत है कि हम किसी प्रकार के कोई emergency के प्रावधान ला रहे हैं। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह सदन है। इस सदन में उधर बैठकर आप अपनी बात कहिए। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं अपने इस भाषण में पुन: कहना चाहता हूं कि जब रूल बुक दी जाती है ...**(व्यवधान)**... तो रूल 235(vii) में कहा गया है कि सब अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठें। ...**(व्यवधान)**... आप लोग एक बार विवेक के साथ, विचार के साथ इस विषय पर तसल्ली से अपने पक्ष को रखने का प्रयास करें। जिसका जो भी पक्ष होगा - देश की जनता आज सारे पक्षों को देख रही है , लेकिन वाद-विवाद से भागना, वाद-विवाद को छोड़ना, नारे लगाना, सदन को नहीं चलने देना, सदन को गुमराह करना - ये सारे काम, जो कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, मुझ े लग रहा है कि ये कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते हैं, जिसमें उन्हें रूलर होने की भावना है। इस देश में रूलर अगर कोई है, तो देश की जनता है। हमारे देश की जनता इस देश की रूलर है। जम्मू-कश्मीर की जनता हमारे अपने भाई-बहन हैं। ...**(व्यवधान)**... उनको सुरक्षा देना, उनको आतंकवाद से मुक्ति देना, उनके लिए अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था करना, यह संकल्प आज सरकार के द्वारा लाया गया है। ...**(व्यवधान)**... इस ऐतिहासिक क्षण में, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व को और हमारे गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी की जो दृढ़ता है, जिसके साथ उन्होंने देश की सुरक्षा के विषयों को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं पुन: बधाई देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... हम इसी दृढ़ता के साथ जम्मू-कश्मीर की सेवा करेंगे। जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ भारत का जो एकात्मकता का भाव है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ...**(व्यवधान)**... महोदय, हमारी पार्टी में, हम लोग बचपन से नारा लगाते रहे हैं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सारे देश में एकता का भाव है। कश्मीर का पूरे देश में एक सांस्कृतिक चैतन्य का पूरा भाव है। ...**(व्यवधान)**... कश्मीर पूरे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसका विकास भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विकास की बातें केवल भाषण से नहीं आ सकती हैं, दृढ़ता के साथ उसे आगे

[श्री भूपेन्द्र यादव]

बढ़ाने से आती हैं। ...**(व्यवधान)**... विकास की बात के लिए एक आवश्यक प्रशासनिक ढ़ांचा देने की तैयारी करनी होती। विकास की बात के लिए संकल्प के साथ नेतृत्व को आगे बढ़ना पड़ता है। ...**(व्यवधान)**... आज हमारे देश का नेतृत्व, जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, वह निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर और भारत के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए आपके माध्यम से, मैं आज आपके माध्यम से, जो यह संकल्प माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा रखा गया है, जो विधेयक माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा रखा गया है और देश के कल्याणकारी राज्य के द्वारा, जो जम्मू-कश्मीर में आर्थिक आरक्षण का विषय रखा गया है, इन सभी विषयों के लिए मैं पुन: सरकार को बधाई देना चाहूंगा। ...**(व्यवधान)**... मैं चाहता हूं कि सारा सदन एक मत होकर, भारत के विकास की इस यात्रा का सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत।

श्री उपसभापति: माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी। प्रो. राम गोपाल यादव जी। इस बहस में आपका क्रम है, कृपया अब आप बोलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। ...**(व्यवधान)**... मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपसभापति: श्री ए. नवनीतकृष्णन।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I may be permitted to go back and speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I permit you to go there and speak. ...*(Interruptions)*... Please speak. सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN : Mr. Deputy Chairman, Sir, I welcome these two Statutory Resolutions and also the Reorganisation and Reservation Bills applicable to the State of Kashmir. ...*(Interruptions)*... There is nothing to worry. I may be permitted to read Article 370, because Articles 370(1)(a) and (b) contemplate limited power to Parliament to make laws with regard to Jammu and Kashmir. ...*(Interruptions)*... At the same time, I would like to draw the kind attention of this House to sub-clause (3) of Article 370, which says, "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify." ...*(Interruptions)*... So, Article 370 is only temporary in nature. Also, Part XXI of the Constitution reads as follows, "Temporary,

Transitional and Special Provisions". ...*(Interruptions)*... So, Article 370 is only temporary in nature. Now, the Central Government has rightly brought forward these two Resolutions and also two enactments. ...*(Interruptions)*... Hon. Amma is well known for her upholding the sovereignty and integrity. ...*(Interruptions)*... So, we, the AIADMK Government, Amma's Government, the AIADMK Party, support the two Resolutions and also support the Reorganization Bill and also the Reservation Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Prasanna Acharya. आपकी ही स्पीच रिकॉर्ड पर जाएगी। Only your speech will go on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, please. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रसन्न आचार्य (ओडिशा): उपसभापति महोदय, आज सदन के लिए, पार्लियामेंट के लिए और हिन्दुस्तान के लिए बड़ा ही शर्मनाक दिन है। ...(**व्यवधान**)... इसी सदन में जिस संविधान के लिए इस देश के हजारों-लाखों लोगों ने कुर्बानियां दीं, भारत के लिए पवित्र संविधान को इस सभा में आज अपमानित किया गया है। I condemn this. Sir, this is unpardonable. ...*(Interruptions)*... Many lives have been scarified to create the Constitution of this country. ...*(Interruptions)*... And in this House, we are dishonouring the Constitution. ...*(Interruptions)*... I agree with the Leader of the Opposition ...*(Interruptions)*... I really condemn this. Me and my Party also unequivocally condemn this action to ...*(Interruptions)*... the Constitution of India.

But, secondly, at the same time, Sir, मुझे लगता है कि आज सही अर्थों में जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना है। हम हमेशा कहते हैं कि Jammu and Kashmir is an integral part of India. ...*(Interruptions)*... But was it really an integral part of India? ...*(Interruptions)*... इस देश का संविधान वहां लागू नहीं हो पाएगा। ...(**व्यवधान**)... भारत का नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद पाएगा और हम कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भारत का संविधान in real sense of the term, Jammu and Kashmir became an integral part of India today only. ...*(Interruptions)*... मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं और आज ज्यादा बोलने का माहौल भी यहां नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मुझे तो उस दिन खुशी होगी और पूरा हिन्दुस्तान इस सरकार को बधाई देगा, जिस दिन Pakistan-Occupied Kashmir कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आज हिन्दुस्तान के 130 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर और हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग बनेगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सर, मैं एक बात कहूंगा कि हम कश्मीरियों के लिए बहुत रोते हैं, and

[श्री प्रसन्न आचार्य]

we are very concerned about the freedom of the people of Kashmir. ...*(Interruptions)*... We want to redeem the people of Kashmir from torture, we want to take the people of Kashmir at par the rest of India. ...*(Interruptions)*... But at the same time, we are forgetting what happened to the Kashmiri Pandits. ...*(Interruptions)*... For the last 70 years, 70 साल did anybody who are now shedding crocodile tears for Kashmir ever think about the Kashmiri Pandits? पिछले 70 साल में उनकी क्या हालत हो गई? All those people who are shedding crocodile tears for a Kashmiri have ever thought of the Kashmiri Pandits? What have we done with them? सर, अगर इस हाउस में आज discussion का माहौल होता, तो बहुत कुछ सामने आता। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

Therefore, Sir, I support this Resolution. ...*(Interruptions)*... My Party, the Biju Janta Dal, supports this Resolution. We are a Regional Party. But for us, the nation is first. The integrity, safety and security of India is first. ...*(Interruptions)*... We are a Regional Party. We have our regional aspiration. But for us, our Motherland, Bharat Mata, is the utmost. ...*(Interruptions)*... Therefore, Sir, I support this Resolution. ...*(Interruptions)*...

Sir, on this Reservation (Second Amendment) Bill, I have only one query to seek from the hon. Home Minister. ...*(Interruptions)*... After this Resolution, this reservation will be null and void. So, I don't understand why the Government has come forward with this Resolution. After this House approves this Resolution, this Bill is going to become null and void. I hope the hon. Home Minister would clarify this.

I would once again reiterate my point that the freedom, integrity, sovereignty and honour of Bharatmata is utmost for us. Therefore, my only submission is that so far as Kashmir is concerned, let us all rise above petty politics. I reiterate once again that my party, the Biju Janata Dal, my leader, Shri Naveen Patnaik, and me, in this House, equivocally support this Resolution and the Bill.

Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ram Nath Thakur. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I have. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not permitted you. ...*(Interruptions)*...

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): माननीय उपसभापति जी, श्री अमित शाह, गृह मंत्री जी ने जो बिल एवं संकल्प पेश किया है, उसका अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इस स्पष्टीकरण के साथ मैं बहिष्कार करना चाहता हूं कि वर्ष 1996 से धारा 370, सिविल कोर्ट और विवादित मामले में हमारे दल की मान्यता है कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय है, उसे धारण करें या समझौते के द्वारा जो निर्णय है, उसे धारण करें। आपसी समझौते से मामला हल हो जाए, मैं इसके पक्ष में हूं और मेरा दल इस पक्ष में है। पिछले 70 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया? मैं बताना चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, न विकास हुआ, न SC और OBC को आरक्षण मिला। ...**(व्यवधान)**... हम राष्ट्रवाद के नाम पर सब एक हैं। इन शब्दों के साथ हमारा दल बहिष्तार करता है।

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Prof. Manoj Kumar Jha.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, unless the House is in order...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is in order.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, the House is not in order. This is unprecedented. This has never happened.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Swapan Dasgupta. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, you have not been allowed to speak. When your turn comes, I would allow you. Please, take your seat. ...*(Interruptions)*... Shri Swapan Dasgupta.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Sir, this is a very proud day for the whole country, and it is a very proud day, particularly, for us who came from Kolkata because the movement for the abolition of Article 370 was begun by the local MP for Kolkata (South), Dr. Shyama Prasad Mukherjee, in 1953.

Sir, it is a very, very proud day. It is a very proud day because in future, we will not have Bills which would have the clause which says that 'this will not be applicable to the State of Jammu and Kashmir.' Only the other day, in this House, we passed the Triple Talaq Bill. That was a very important Bill because it was a major step towards getting rid of what can be called a differentiated citizenship. Today, Sir, we have taken the other step. We have made all citizens of this country equal. That equality was not there. But it is far more important that we have established the sovereignty of the Indian Parliament to the whole of India.

[Shri Swapan Dasgupta]

Sir, this is a very momentous step. The great political will this needed is something I wish to compliment both the Prime Minister as well as the Home Minister for. This is a momentous step, Sir. It is a step which really once again brings the country together.

Sir, on 15th August, 1947, Pandit Nehru gave a very good speech which we call the 'Tryst with Destiny' speech. One of the statements that he used there was "the soul of a nation long suppressed finds expression". Sir, that expression was not fully met on 15th August, 1947. Today, I believe, we have taken a giant step towards redeeming that pledge and, I think, it is unfortunate that it has been marred by some ugly scenes. Two questions that I want to ask the hon. Home Minister by way of clarification are these. One, does the repeal of Article 370 require a formal constitutional Amendment? I think, he needs to clarify it explicitly. I may know the answer personally but, I think, the country would like to know that. Secondly, at present the status of Jammu and Kashmir becomes that of a Union Territory. I think it would in the fitting nature of things if an assurance can be given that this is only transitional and, in due course, Jammu and Kashmir will become a full-fledged State and join other parts of the Union of India and the equal status. Thank you very much for giving me the opportunity to speak.

SHRI VAIKO: What happened to my turn to speak? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is there. I will call you; it will come ...*(Interruptions)*... You are not permitted. Only Shri Sanjay Raut's speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। गृह मंत्री जी, जब आप धारा 370 को हटाने की बात कह रहे थे, तब पूरे देश में नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व में, जहाँ-जहाँ भारतीय बैठे हैं, वहाँ-वहाँ एक आनन्द का, एक उत्साह का माहौल था। धारा 370 को हटाने का मतलब है एक भस्मासुर को खत्म करना, एक शैतान को खत्म करना, एक कलंक को नष्ट करना, जिसे सत्तर सालों से यह देश, यह संविधान लेकर जी रहा था। मैं गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देश तो खुश है ही, लेकिन आज वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने भी आप पर स्वर्ग से फूल बरसाए होंगे।

महोदय, हमारे देश का, हमारे बुजुर्गों का हमेशा से एक अखंड भारत का सपना रहा है। अगर देश की, अखंड हिदस्तान की बात करते हैं, तो 1947 में नहीं, बल्कि आज जम्मू-कश्मीर का विलय हो गया है। आपने सत्तर सालों से रुका हुआ वह फैसला लिया है, जिसका देश को इंतजार था, इस सदन को इंतजार था। धमकियाँ मिल रही हैं कि दंगे होंगे। ऐसा कहा गया है कि अगर धारा 370 हटाई, तो दंगे होंगे, जो धारा 370 को हाथ लगाएगा, वे हाथ जल जाएंगे। जलाइए, अगर हिम्मत है तो? हम यहाँ क्यों बैठे हैं, गृह मंत्री क्यों बैठे हैं, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी क्यों बैठे हैं? यह जलाने की और धमकाने की भाषा आज से बंद हो जानी चाहिए। एक मजबूत सरकार, जिसने दिखाया कि सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे चलाई जाती है और देश को अखंड रखने के लिए जो कुरबानी देनी पड़ती है, जो हिम्मत देनी पड़ती है, वह हिम्मत आज सरकार में दिख रही है। जो विरोध करते हैं, जिसने विरोध किया है, वे वही लोग हैं, जिसने सत्तर सालों तक जम्मू-कश्मीर की जनता का शोषण किया ...**(व्यवधान)**... बुरा किया। उन्हें हिंदुस्तान की मुख्य धारा में आने से रोका, उन्हें हमेशा सिखाया कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित हों, हमारे वहाँ के मुस्लिम भाई हों, सभी चाहते थे कि यह धारा हटे, हम हिंदुस्तान के अंग बनें, हम हिंदुस्तान की मुख्य धारा में शामिल हों, लेकिन यह होने नहीं दिया गया। इतिहास में आज का दिन याद किया जाएगा। 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिन, 8 अगस्त हमारा क्रांति दिन और आज अगस्त महीने का 5 अगस्त,ज्क्रांति का दिन, हमने इतिहास में एक और दिन अगस्त पन्ने पर लिख दिया है। मैं मानता हूं कि आपने बहुत कठिन निर्णय लिया है, आपने साहस से निर्णय लिया है, इसका विरोध होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि विरोध यहाँ सोया पड़ा है। आप देखिए, विरोध कैसे आराम से सोया पड़ा है, इनको आराम करने दो, हम काम करेंगे। आज जम्मू-कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान लेंगे, पीओके लेंगे। हमारे देश का अखंड हिन्दुस्तान का जो सपना है, मुझे विश्वास है कि इस देश की सरकार, इस देश के प्रधान मंत्री और इस देश के गृह मंत्री अखंड हिन्दुस्तान का सपना जरूर पूरा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, जम्मू-कश्मीर के re-organization के बारे में जो बिल लाया गया है, उसके लिए मैं पूरी शिव सेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिन्द।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, एक message है। ...**(व्यवधान)**... Message from Chairman, please hear. Some leaders met hon. Vice-President and requested to extend the time for giving amendments beyond 12.30 p.m. ...*(Interruptions)*... Now, the Chairman has decided to extend the time for amendments up to 2.30 p.m. ...*(Interruptions)*... He wanted Members to go to their seats and participate in the debate. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्यगण, मैं पुन: बताना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब ने पहले भी सूचना दी थी और हाउस ने सहमति दी थी कि आज लंच नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**... जो माननीय सदस्य लंच के लिए जाना चाहें, वे जा सकते हैं और फिर बहस join कर सकते हैं। यह बहस continue रहेगी। ...**(व्यवधान)**... श्री सतीश चन्द्र मिश्रा।

SHRI VAIKO: Sir, when will my turn come? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When your turn comes, I will call you. ...*(Interruptions)*... You are not permitted, Mr. Vaiko. ...*(Interruptions)*... No permission to you. ...*(Interruptions)*...Only Satish Chand Misraji's speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, हमने यह कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हम इसके कुछ कारण बताना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... इस देश में केवल जम्मू-कश्मीर में ही minority Muslim Community नहीं रहती है, बल्कि Muslim community जितनी जम्मू-कश्मीर में रहती है, उससे कहीं ज्यादा तादाद में बाकी पूरे देश में रहती है। ...(**व्यवधान**)... उनका हक कि वे जम्मू-कश्मीर में जाकर अपनी property बनाएँ, वहाँ के बाशिंदे बनें, उनका यह हक अभी तक छिना हुआ था, लेकिन इसके आने के बाद इस देश के जितने भी minorities के लोग होंगे, दलित होंगे, backwards होंगे, जो देश के और कोनों में रहते हैं, जो ज्यादा संख्या में हैं, खास तौर से minority Muslims, उनको अब एक right मिल जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर में जाकर वहाँ पर property बना सकते हैं और वे वहाँ के बाशिंदे कहलाएँगे। इस वजह से हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है। हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री वि. विजयसाई रेड्डी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAIKO: Sir, what about me? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When your turn would come, I will call you. Your name is there in the list of speakers. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... No, I have not allowed you. ...*(Interruptions)*... Only Shri V. Vijayasai Reddy's speech will go on record. ...*(Interruptions)*... You are not allowed. ...*(Interruptions)*... Vijayasai Reddyji, only your speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, can I speak on all the four Bills? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak. कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, सिर्फ आपकी स्पीच रिकॉर्ड पर जाएगी। आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, it is a great privilege and honour for me to speak on this very important subject which has been pinching the country for the last many

1.00 P.M.

years. ...*(Interruptions)*... And, hats-off to the hon. Home Minister and the hon. Prime Minister for their vision. ...*(Interruptions)*... This will completely solve the problem of Kashmir. ...*(Interruptions)*... The courageous, bold and daring step by the hon. Home Minister will be remembered in the Indian Parliamentary history for ever. ...*(Interruptions)*... Our Party President, Shri Jaganmohan Reddy Guru and our Party wholeheartedly support this move of the hon. Home Minister and the hon. Prime Minister of the country. ...*(Interruptions)*... Sir, I have a few questions to be asked to the principal Opposition party, in this august House, the Congress Party. ...*(Interruptions)*... Had Pt. Nehru not recalled the Indian Army which had gone 25 kilometers inside Pakistan and over-powered the Pakistani Army, we would not have been discussing this issue here. ...*(Interruptions)*... Secondly, had Pt. Jawaharlal Nehru entrusted the job to Sardar Vallabhbhai Patel, who was the icon of unification of India, we would not have been discussing this issue. Had Pt. Jawaharlal Nehru not succumb to the dictates of the then Kashmir Ruler for Article 370, we would not have been discussing this issue. Had this provision in the Constitution, which is temporary in nature, been dispensed with by the Congress Party, which they have not done, we would not have been discussing this issue now. Sir, I have a few points to bring to the notice of this House. As two swords cannot be incorporated in one sheath, how can we have two separate entities within the Union of India? Number one, how can this country have two Constitutions? Number two, how can a State have two separate flags? Number three, just show me one country on this earth where a national flag is burnt, torn off and such an act does not constitute a crime? It happens only in Jammu and Kashmir. Then, how can a Pakistani become a citizen of India by simply marrying a Kashmiri girl? How can a country have two Prime Ministers and a separate Governor? We had this in Jammu and Kashmir. How can a Kashmiri girl become untouchable and lose all her rights and her children's rights if she marries a boy from any other part of India? How can a boy retain all rights and privileges even if he marries a girl from other parts of the country? Is it gender justification or blatant gender discrimination?

Sir, I have one more point to be brought to the notice of this House. The people of this country have been fighting since 1947 to realize their dream of looking India as one entity, one Union and one nation, which is possible only because of the present

[Shri V. Vijayasai Reddy]

Home Minister, Shri Amit Shah. And, the proposed move of the hon. Home Minister —I am very happy that the hon. Home Minister is fulfilling the task that had been left out by Sardar Vallabhai Patel, albeit, due to blunder of the Congress Party and Jawahar Lal Nehru, I am repeating due to blunder of the Congress Party and Nehru --is applauded by 130 crore people of this country, because the objective is to achieve Sab Ka Vikas.

Now, I will make last few points. This move will definitely strengthen the sovereignty of the country. This move will remove discrimination between citizens of India. This move paves the way to remove sub-clause (3) of Article 370, which is absolutely temporary in nature. This move will bring peace and tranquility in Jammu and Kashmir. This move will help to develop Jammu and Kashmir along with other States and improve the socio-economic conditions of the people.

With these submissions, I once again reiterate our full-fledged support to the vision of the Home Minister and the Government of India. I once again congratulate hon. Prime Minister and hon. Home Minister for taking this bold and courageous step. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापति: माननीया श्रीमती अम्बिका सोनी, माननीया श्रीमती अम्बिका सोनी, माननीया श्रीमती अम्बिका सोनी। श्री बिश्वजीत दैमारी। ...(**व्यवधान**)...

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया।

SHRI VAIKO: Sir, what about my name?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When it comes, I will call you. Please take your seat.

श्री अमित शाह: उपसभापति महोदय, वाइको जी को जल्दी बुलवा दीजिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप पहले बोलने का नम्बर दे दीजिए। वाइको जी, अभी आप बैठिए, आप इनके बाद बोल लीजिएगा। अभी तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है।

श्री बिश्वजीत दैमारी : सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि यह बिल समय का अह्वान है, समय की आवश्यकता है। इस समय में इस बिल को लाना, देश के लिए, देश की कानूनी व्यवस्था के लिए, हमारी सार्वभौमिकता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी था। लास्ट पांच-छः साल से जम्मू-कश्मीर में बहुत खराब हालत बनती चली आ रही है।

जम्मू-कश्मीर इतनी खराब परिस्थिति में चला गया था कि हमारे नियंत्रण से बाहर जाने लगा था। अगर इसको नियंत्रण में लाना है, तो डेफिनेटलि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है। आज यहां यह Constitutional Amendment लाकर, स्टेट का reorganization करने के लिए जो व्यवस्था लाई गई है, वह समय का अह्वान है। जब तक वहां की व्यवस्था existing provision से चलती रहेगी, तब तक हमारी केन्द्रीय सरकार वहां बदलाव लाने के लिए जतनी भी कोशिश क्यों न करे, वह उसको कर नहीं सकती है। इसलिए हमारे संविधान में संशोधन लाना बहुत जरूरी था। संशोधन लाना कोई illegal बात नहीं है। यह हमारे संविधान की ही वह व्यवस्था है कि जब देश में किसी समय कुछ भी जरूरत हो, तो हम Constitution में कोई भी नयी चीज़ डाल सकते हैं और हमारे देश में अच्छी कानूनी व्यवस्था के लिए existing Constitution के किसी भी provision को हम निकाल भी सकते हैं। यह सिर्फ एक सिस्टम है। सर, मैं सोचता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में आने वाले 10, 15, 20 सालों में अगर normalcy आ जायेगी, एक विश्वास आ जायेगा, तो संविधान संशोधन करके फिर उन लोगों को वापस राज्यों की मर्यादा भी दे सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं हमारे प्रधान मंत्री जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ कि धारा 370 को उठाने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए वहाँ पर केन्द्र शासित राज्य बनाने के लिए, उन लोगों ने इतना strong and bold decision लिया। केन्द्र शासित राज्य होने के नाते, केन्द्रीय सरकार की तरफ से वहाँ के बॉर्डर पर जो गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में हट समय यहाँ पर पता चलता रहेगा और इस विषय पर देश की सुरक्षा के लिए हम लोग कुछ न कुछ strategy बना सकते हैं। इस तरह से यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

सर, इसके साथ कुछ और बातें मैं गृह मंत्री जी की दृष्टि में लाना चाहता हूँ। हमारे देश में इसी तरह की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, जिनको भी इसी ढंग से देखते हुए समाधान करने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नॉर्थ-ईस्ट में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, जो पृथक राज्य की माँग करते आ रहे हैं। पृथक राज्य की माँग के बाद, वहाँ की समस्या का समाधान करने के लिए, Sixth Schedule के जरिए वहाँ पर कुछ संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं। इसके बाद भी वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं और separate State की डिमांड कर रहे हैं। सर, हमारे संविधान में आर्टिकल 244ए है। आर्टिकल 244ए में, असम में जो जनजातीय लोग हैं और जनजातियों के रहने वाले इलाकों को लेकर, वहाँ के Sixth Schedule के इलाकों को लेकर, एक राज्य के अन्दर ही autonomous State गठन करने की एक व्यवस्था है। तो मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि संविधान में यह जो आर्टिकल 244ए है, इसको वहाँ पर लागू करने के लिए भी थोड़ा सा विचार करें।

इसके बाद पृथक बोडोलैंड की माँग की बात भी है। ...(**समय की घंटी**)... जो लोग पृथक बोडोलैंड की माँग कर रहे हैं, वह भूटान के बॉर्डर पर है और भूटान के साथ चीन लगा हुआ है। डोकलाम में जो ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अब आप conclude करें। ...**(व्यवधान)**... इसमें और स्पीकर्स भी हैं। ...**(व्यवधान)**... आप conclude करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री बिश्वजीत दैमारी: थोड़ा-सा समय और दीजिए, सर। ...**(व्यवधान)**... दो मिनट और ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**... आप conclude करिए। ...**(व्यवधान)**... इस लिस्ट में दो सदस्य और बोलने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**... समय सिर्फ 3 मिनट है। ...**(व्यवधान)**... आप conclude करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, मैं खत्म करने वाला हूँ। ...**(व्यवधान)** ... अब मेरा सिर्फ एक ही प्वाइंट है। ...**(व्यवधान)**... मेरा सिर्फ एक प्वाइंट यह है कि भूटान का जो बॉर्डर एरिया है, यह चीन के साथ लगा हुआ है। तो वहाँ पर भी जो लोग पृथक राज्य बोडोलैंड की माँग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर Union Territory दिया जा सकता है, तो वहाँ चीन के border पर जो गतिविधियाँ हैं, उनको देखते हुए हमारी केन्द्रीय सरकार की तरफ से हम लोग देखभाल कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं उसका अनुरोध करता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*...

श्री बिश्वजीत दैमारी: इसी तरह कार्बी, दिमासा, गोरखालैंड और मणिपुर में ...**(व्यवधान)**... सर, यह सब उसके साथ मिला हुआ है। ...**(व्यवधान)**... वह म्यांमार के साथ थोड़ा लगा हुआ है। ...**(व्यवधान)**... वह म्यांमार के साथ लगा हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... I am calling another speaker. ...*(Interruptions)*... Shri Vaiko. ...*(Interruptions)*...

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, पाकिस्तान के साथ ...**(व्यवधान)**... म्यांमार के साथ ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Vaiko, your name was third in the list. ...*(Interruptions)*... I am calling you as per the norm and your time is three minutes only. ...*(Interruptions)*...

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, इन सारी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है, धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Vaiko, please speak. Your speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Sir, I would request the hon. Home Minister that just now he stated that Vaiko will be permitted to speak. But, hon. Deputy Chairman is saying that my time is only three minutes. Opposition parties have not spoken.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me clear that there are nine speakers ...*(Interruptions)*... and only 27 minutes' time is left. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: If you are not giving me time then do not allow me to speak also. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you one more minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: This is very important and you are telling me that my time is only three minutes!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you one more minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO; Shouting takes place for three hours and you are allowing me for only three minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not waste your time. ...*(Interruptions)*... You are a senior Member and a seasoned parliamentarian. ...*(Interruptions)*... Please speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Is it possible to talk in three minutes? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am going as per the record ...*(Interruptions)*... and norms of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: I will first ask the Government. ...*(Interruptions)*... Sir, the great parliamentarian, Shri H.V. Kamath, when Article 356 was discussed, he stated that this day is a day of shame and sorrow. Today, it is a day of sorrow because we have not kept our promise that when the Pakistani troops, Pakhtoons, entered the terrain of Kashmir, King Hah Singh sent the emissary to Jawaharlal Nehru. Lord Mountbatten was also there. Jawaharlal Nehru accepted it and the Instrument of Accession was signed. Sheikh Abdullah, the Lion of Kashmir, the great leader of the Muslim population of the Valley supported and said, "Let us go with India but with the condition that the individuality and the originality of the State of Jammu and Kashmir cannot be compromised, and, therefore, there should be a plebiscite." This was promised by none other than late Pandit Jawahar Lal Nehru. He wrote a letter to the Prime Minister of the United Kingdom that plebiscite will be held. In 1948, 1949, 1950, 1952 till 1958, for Sheikh Abdullah, what was the reward? He was put behind the bars in Kodaikanal prison in Tamil Nadu. Then, what happened in 1964? M.C. Chagla, India's Ambassador to the

[Shri Vaiko]

United States, said, "Already elections have taken place, and, that is the plebiscite." A fraud was committed by the Congress Party. I have got all the respect for Jawahar Lal Nehru's Discovery of India and Glimpses of World History. There is no parallel book in the history. I have all the respect for Jawahar Lal Nehru but the promise of plebiscite was not kept. You did a plebiscite in Junagarh. Here, what has happened further? You said the individuality will be protected by Article 370 and 35A. Today, Mr. Nazir Ahmed Laway did tear the Constitution here. He did tear the Constitution here. I won't object even if the * by him. I won't object. Please listen. * in 1986 on the issue of imposition of Hindi language and I was imprisoned when Mr. Chidambaram asked, "You write your version on a piece of paper that you did not *." In the same House, I asked, "Mr. Chidambaram, would you yield for a minute?" I filed a separate affidavit in the court saying that I have * I was prepared even to be expelled. Mr. Chidambaram kept quite. Now, I tell you, all these years, every time, the Congress Party killed democracy. When Farooq Abdullah was taking a cup of tea in the morning, he came to know that his Government was dismissed. I told my friend, Farooq Abdullah, "You forgot the advice given by your great father, Sheikh Abdullah." When he took me to meet Sheikh Abdullah in 1980, Sheikh Abdullah told me, "My young friend from Tamil Nadu, don't forget that in the dictionary of Indian political history, there is no place for either for friendship or for gratitude in the Congress Party." These are the words of Sheikh Abdullah. Now, what has happened? You have not only bifurcated. Nomenclature, it has always been changed. When the Puducherry is claiming for Statehood, you are equating Puducherry with Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. When the Kargil War took place, Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of this country. My beloved friend, late George Fernandes, was the Defence Minister of the country. Our Tamil boys sacrificed their lives in Kargil, shed their blood, we gave our lives for the protection of Kashmir. But, what has happned now? Taliban, one side, Al Qaeda, one side. Now, you are playing into the hands. This Government, I am telling you. ...*(Interruptions)*... Please listen to me. Please listen if you are really interested in this issue. Shakespeare said in Macbeth, "Even thousand perfumes of Arabia will not sweeten this little hand of Lady Macbeth". That has happened today. That has happened today. You have removed all the powers. The Statehood, a separate State, a separate Constituent Assembly, a separate Constitution, a separate flag, a Prime Minister, all these things were assured by the Congress Party. Not by that side. Not

*Expunged as ordered by the Chair.

by the BJP. It is you who promised that. You did break the promise by toppling the Governments frequently. You played with the sentiments of the people of Kashmir.

Sir, what has been bothering me for the last few days is that Army personnel in large numbers are being deployed there. Really, my heart is burning because it should not become a Kosovo. Kashmir should not become a Kosovo. Kashmir should not become an East Timor. Kashmir should not become a South Sudan. This may happen. Kashmir will become a South Sudan. Kashmir will become a Kosovo. Please listen to me. If you are really interested in democracy, listen to my view. You may differ with my view. It will be internationalized by the United Nations. There are countries which are opposed to India. There are enemies of India. They will use this card. The United Nations Human Rights Council will definitely interfere and Trump is playing his cards very carefully. He is a *. Donald Trump is a *. He is playing his cards very carefully. On one side, we have China. On the other side, we have Pakistan. Then we have Afghanistan this side. From one side, we have Taliban and from another side, we have Al Qaeda. They will say that it has become a Kosovo; it has become a South Sudan; it has become an East Timor; therefore, we have to interfere. This will come. The interference is going to come from the United Nations. Now Jammu and Kashmir has been made a powder keg. I am worried. I am really worried about the future. Today, on this particular Bill, I shed my tears of blood. I am not going to live for more than ten or fifteen years. But even after my demise, my grandchildren will not forget this day. This Bill should be thrown out. This Bill should be rejected lock, stock and barrel. But the main culprit is the Congress Party. I am opposing this Bill. I am terribly opposing this Bill. You are playing with the sentiments. Here was my colleague, Shri Nazir Ahmed Laway. You may throw him out using your marshals. Mr. Deputy Chairman, you can throw him out through your marshals. But there are lakhs and lakhs of Muslim youths of Kashmir. Will you throw them out? Will you throw them out? No. No. Fire is burning. Fire is burning in the hearts and minds of the Kashmiri people. For powder keg, one spark is enough. That spark is the Bill. I oppose the Bill. This is a day of shame, murder of democracy. Today, democracy has been murdered.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, the hon. Member has made a very eloquent speech. He is entitled to his views. But there are certain very disturbing references to the Constitution. ...*(Interruptions)*... Those references must be deleted.

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be examined. And as per the norms, we will take action.

डा. सुभाष चन्द्र (हरियाणा): उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस हाउस में यह मेरी पहली maiden speech है और मुझे पता नहीं कि मैं यह कहूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्य की बात है, लेकिन as an independent Member of this House. मैं इस सदन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल रात तक मुझे नहीं पता था कि आज जो अमेंडमेंट आने वाली है, वह कोई अच्छी आएगी या बुरी आएगी। उस समय तक मुझे यह नहीं पता था, लेकिन जब आज सुबह मैंने यह अमेंडमेंट सुनी, तो मैं अंदर से गदगद हो गया और इस देश के प्रधान मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और इस सरकार को एक इंडेपेंडेंट मेम्बर होने के नाते बहुत बधाई देता हूँ कि आप यह अमेंडमेंट लाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को इसका कारण भी बताना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 1994-95 में पाकिस्तान में आम चुनाव थे। वहाँ की पार्लियामेंट के चुनाव थे। उस समय श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो वहाँ की प्रधान मंत्री थीं। वहाँ केवल दूरदर्शन के बराबर एक पाकिस्तान टेलीविजन या हमारा जी टीवी देखा जाता था। ...**(व्यवधान)**... मिसेज़ बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज़ शरीफ़ और आज के प्रधान मंत्री इमरान खान के चुनाव प्रसार को पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैन कर दिया था। ...**(व्यवधान)**... हमने लंदन से अपनी टीम्स को भेजा और हमने पूरे पाकिस्तान में सभी का प्रचार-प्रसार बराबरी से किया। उसके बाद वहाँ की सरकार ने हम लोगों को as a guest बुलाया। ...**(व्यवधान)**... वहाँ की जो Judiciary समिति है, उनकी एक एसोसिएशन है "Judiciary समिति", उन्होंने मुझे वहाँ डिनर पर बुलाया और चर्चा करते-करते उन्होंने एक ज़िक्र किया कि अगर आपकी सरकार वहाँ पर धारा-370 खत्म कर दे, तो कश्मीर का विषय ही आपके यहाँ से खत्म हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**... महोदय, यह बात वर्ष 1994-95 की है। वहाँ से वापस आने के बाद सभी राजनीतिक दलों में मेरे जो मित्र हैं और मैं कहूँगा कि मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी से अधिक कांग्रेस पार्टी में हैं, मैंने उन सबसे पूछा, सभी पार्टियों से पूछा कि आप यह धारा-370 क्यों नहीं हटा रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी ने यह कहा कि यह हटनी चाहिए, लेकिन यह एक बड़ा political issue है, यह politically किसी को suit नहीं करता, हमको suit नहीं करता, इसलिए हम नहीं हटा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... यह एक बात थी और इस बात का मुझे आज सुबह याद आया, तभी मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ कि आप यह बिल लेकर आए और बहुत अच्छा किया। ...**(व्यवधान)**... आज इसी सदन में मेरे मित्र लीडर ऑफ ऑपोज़िशन, वे अभी नहीं हैं, शायद बाहर गए हैं, उन्होंने कहा कि धारा-370 की वजह से देश में कश्मीर का विलय हुआ। ...**(व्यवधान)**... महोदय, यह गलत है, क्योंकि विलय सन् 1947 में हुआ, लेकिन 370 की धारा वर्ष 1949 में लाई गई। इसलिए यह कहना गलत है और उन्होंने यह बात कही कि तब से लेकर अब तक कश्मीर में लाखों लोगों की जान जा चुकी है, चाहे वह Paramilitary Forces हों, चाहे कश्मीर के बच्चे हों, युवा हों, चाहे कोई हो, राजनीतिक दल हों, अगर जानें जा चुकी हैं, तो यह केवल धारा-370 के कारण ही है कि ये जानें गई हैं। अगर यह धारा-370

न होती, तो आज जो इस सदन में हुआ, दो सदस्यों ने जो किया, जिन्होंने संविधान की बेइज्जती की, वे यह बात नहीं करते। इससे उनके दिल की बात सामने दिखकर आई। ...**(व्यवधान)**... उनके मन में कभी भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी सीट्स पर जाकर बोलें। ...**(व्यवधान)**... हाउस की परंपरा रहने दें। ...**(व्यवधान)**... सीट्स पर जाकर बोलें। ...**(व्यवधान)**...यह House of Elders है। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुभाष चन्द्र: मैं अपने आपको इस बात का निर्णय लेने के लिए सक्षम मानता, जैसा मेरे साथी श्री वि. विजयसाई रेड्डी ने पंडित नेहरू के विषय में कहा, उन्होंने और घटनाओं का भी जिक्र किया, मैं अपने आप को इसके लिए सक्षम नहीं मानता कि मैं यह कह सकूँ कि वह ठीक हुआ या गलत हुआ? ...**(व्यवधान)**... लेकिन जब आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, पिछली बातों को देखते हैं, तो यह जरूर समझ में आता है, सही समझ में आता है कि अगर धारा-370 न होती, तो कश्मीर में इतना अशांतिपूर्ण वातावरण न होता। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, मैं यह मानता हूँ कि इस सदन की, दूसरे सदन की और हम सब की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस देश के लोगों के लिए जहाँ एक तरफ प्रगति की बात करें, डेवलेपमेंट की बात करें, लेकिन साथ-साथ उनके सुख और शांति की भी बात करें। ...**(व्यवधान)**... मैं पिछले वर्ष 2018 में कश्मीर गया था। मैं युवाओं के साथ अपना एक सुभाष चन्द्र शो करता हूँ। बारामूला में मेरा एक कार्यक्रम था, जहाँ पर 2,000 युवा उपस्थित थे। वहाँ उस वक्त की मुख्य मंत्री, मैडम महबूबा ने मुझसे कहा कि सुभाष जी, वहाँ मत जाइए, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गया और 2,000 युवकों से मैंने चार घंटे चर्चा की, खुलकर चर्चा की। यहाँ दिल्ली वापस आकर मैंने बताया कि वहाँ का युवा, वहाँ का हर कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये जो अलगाववादी लोग हैं, ये उसे ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं। इनसे वे डरते हैं, इनके कारण वे चिंता करते हैं, इसलिए वे परेशान हैं। उन्होंने यह कहा कि आप लोग भी कश्मीरियों को केवल टेररिस्ट मत समझिए, अपने टेलीविजन पर उनको टेररिस्ट मत दिखाइए। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि तब हमने एक प्रण लिया था और आज भी उसको पूरा कर रहे हैं कि हम कश्मीरी लोगों को कभी टेररिस्ट नहीं मानते हैं और न वे टेररिस्ट हैं। कुछ लोग अलगाववादी हैं, जो इस काम के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए मैं एक इंडिपेंडेंट होने के नाते आज के बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मैं अपोज़िशन के लोगों से भी यह रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अपने विचार जरूर दें, जिससे अगर आपकी बात जरूरी हो, तो उसको भी incorporate किया जा सके। कश्मीर, जो किसी समय में जन्नत था, वहाँ पर एक कहावत है:

"गर फिरदौस बर रुये ज़मी अस्त,
हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त।"

इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, तो वह कश्मीर में है, लेकिन वह स्वर्ग कहाँ गया? आप लोगों ने उसे क्या से क्या बना दिया। आज वह जन्नत के बदले दोजख बन चुका है। मेरे

[डा. सुभाष चन्द्र]

विचार से यह जो आज का बिल गृह मंत्री जी लाए हैं, यह उस कश्मीर को वापस जन्नत बनाने में मदद करेगा वह दोजख से वापस जन्नत बनेगा ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ।

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द शर्मा जी। श्री सुशील कुमार गुप्ता। श्री अमर सिंह।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय गृह मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि विधान सभा की विधायी शक्ति अब सदन के पास है और उसके अंतर्गत यह सदन का अधिकार है कि हम धारा 370 के बारे में निर्णय लें। मैं अपने जीवन में एक लम्बे समय तक समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। कुछ दिनों से-- मैंने कोई दल नहीं छोड़ा, एक बार नहीं दो बार दल से निकाल दिया गया, इसलिए आप मुझे दलबदलू नहीं कह सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि विरोध कहाँ है? डा. राम मनोहर लोहिया चित्रकूट में रामायण मेला करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी महादेवी वर्मा को बुलाया करते थे। देश का अस्वाभाविक विभाजन, इसके लिए 'My Country, My Life' में आदरणीय आडवाणी जी ने लिखा भी है। भगवान उनको शतायु करे, वे अभी हमारे बीच में हैं। उनकी मध्यस्थता में डा. राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दोनों मिले। लोहिया जी ने "अखंड भारत" की बात की व भारत-पाकिस्तान-बंग्लादेश के महासंघ की बात की और दीनदयाल जी ने "अखंड भारत" की बात की। 1962 के कानपुर के अधिवेशन में जब "आर्थिक-एकात्मवाद" की बात शुरू हुई, तो उसमें लोहिया जी मुख्य अतिथि थे और अटल जी उनके सहायक थे। मैं धारा के प्रतिकूल बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस सदन का रिकॉर्ड देखा जाए, तो पता चलेगा कि इसी सदन में "एक देश, एक ध्वज और एक संविधान" की बात डा. लोहिया ने एक बार नहीं, कई बार कही। इसलिए इतिहास की जो भूल वर्षों पहले हुई कि कश्मीर को एक अलग स्थिति में देखा गया, एक अलग कानून बनाया गया, उसे देश की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। आज उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का एक ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन है और इसके लिए हम, हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। अभी भूपेन्द्र जी कह रहे थे कि कॉंग्रेस के साथी भी कश्मीर के निर्माण में हमारे साथ आएं और धारा 370 को खत्म करके भेदभाव खत्म करें। महोदय, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि-

"हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है।
दिल ए नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है?"

महोदय, सत्ता अगर चली गई तो चली गई, इसको मान लो, क्योंकि राजनीति बड़ी विचित्र चीज़ है, राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी हम भूतपूर्व, कभी आप भूतपूर्व।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, I rise to support this Bill on behalf of my party, Asom Gana Parishad. It is my privilege and honour to associate myself with this historic movement of the country. We must congratulate the hon. Prime Minister, the hon. Home Minister for this historic, bold and courageous step. Hon. Home Minister, Sir, the country will always remember you for your bold and historic step. For the last seventy years, Article 370 was in Kashmir. Maximum money was allotted for the development of Jammu and Kashmir. But Kashmir was not developed. The money was spent. But Jammu and Kashmir was not developed. Only a few persons developed personally. From today, I am sure a new journey will begin for Jammu and Kashmir for their development purpose. Like Jammu and Kashmir, Assam and other North-eastern States are also international bordering States. But earlier, there was discrimination. Jammu and Kashmir enjoyed Article 370, but the north-eastern region States and Assam were deprived from this provision. But from today, we will be equal. Equal constitutional rights will be enjoyed by the people of north-eastern region. Equal constitutional rights will be enjoyed by the people of north-east India and also by the people of Assam. Today, we remember Sardar Vallabhbhai Patel, the then Home Minister of the country who reunited our country. Today, we must congratulate the hon. Prime Minister, hon. Home Minister for reuniting the country again. The country will always remember you. The country will always remember the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. With these words, I, on behalf of my party, Asom Gana Parishad and myself, fully support the Bill.

श्री उपसभापति: माननीय सरदार बलविंदर सिंह भुंडर जी।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): उपसभापति महोदय, आज यह जो जम्मू-कश्मीर रि-आर्गेनाइज़ेशन बिल, 2019 आ रहा है। मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, मैं कहना चाहता हूं कि हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इसके लिए जितनी कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी हैं, मैं किसी को कम नहीं कहता हूं, लेकिन शायद किसी ने भी न दी हों। वर्ष 1947 के डिविजन को हमने भुगता है। हमने अपने 10 लाख लोगों को खोया, अपना घर-बार छोड़ा, इस देश को चुना, इस देश को अपना माना, इसलिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया। उसके बाद जब भी समय आया, चाहे देश के बॉर्डर पर लड़ाई हुई, उसके लिए सिर्फ हमारे जवानों ने ही नहीं, बल्कि हमारी बीबियों और बहनों ने भी वहां जाकर मदद की और कोई भी मौका आया, चाहे फूड का मौका आया, उसकी भी मदद की। जनरल अरोड़ा जैसे, जिन्होंने 90 हजार कैदी surrender

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

कराए, जनरल हरबक्श जैसे हमारे जरनेल और एयर मार्शल Arjun Singh जैसे हमारे जरनेलों ने हमेशा जंग में सबसे आगे जाकर हिस्सा लिया। ...**(व्यवधान)**... इसलिए, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस देश को कोई तोड़े, हम इस देश के साथ हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी कुर्बानी वाली पार्टी ने, जिसने शहीद भगत सिंह जैसे इंसान पैदा किए, जिसने करतार सिंह सराबा जैसे इंसान पैदा किए, जिसने उधम सिंह सुनाम जैसे इंसान पैदा किए | जलियांवाला बाग जैसे हादसे इस पंजाब की धरती पर, काले पानी जैसी सजा के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं, उस कौम के साथ आज़ादी के बाद भी बहुत अन्याय हुआ, जो पीछे हुआ, वह हमने झेला। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारा देश, हमारा ही कत्लेआम दिल्ली में और सारे देश में, 34 साल हो गए, उसका हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो हरिमंदिर है, हरि का मंदिर है, जो सब की रक्षा चाहता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, उस पर हमला हुआ। उस देश में उस पर हमला हुआ, जिसके लिए हमने अपने आपको सदा कुर्बान किया है। हम आज भी साथ हैं। गुरू तेगबहादुर, जब इस देश में कोई बोलता नहीं था, तब भी minorities की रक्षा के लिए जुल्म के खिलाफ अपना शीश दिया। गुरू गोविंद सिंह जी ने इस देश के लिए अपने सारे परिवार की कुर्बानी दी। अगर गुरू गोविंद सिंह जी न होते, न कहू अब की, न कहू तब की, अगर न होते गुरू गोविंद सिंह, तो सुनत होती सबकी। उस वक्त यह नारा था। 35-35 किलो देसी जनेऊ उतरते थे। हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दीं। अंग्रेज़ों के वक्त हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दीं। देश में फिर इमरजेंसी की लड़ाई हो या कोई भी हो, हम देश के हक में रहे। हम यह कभी नहीं सोच सकते हैं कि कभी इसे आंच भी आए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम minority community को रिप्रेजेंट करते हैं । हमारे साथ जो हो रहा है, उसे सब देख रहे हैं। पंजाब में कैसा अन्याय हो रहा है, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से चाहेंगे कि जैसे आप देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश और मजबूत होना चाहिए, वैसे ही इस देश की बहुधर्मी, बहुभाषी, multi-culture, multi-language, multi-religion country है और हमारा जो संविधान है, वह सेक्युलर और फेडरल है, इसलिए उसकी रक्षा भी, मैं मुकम्मल तौर पर यह कहना चाहता हूं, करनी चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि minority को कहीं भी कोई चिंता न हो, कहीं भी उस पर कोई ज्यादती न हो, इसके लिए हम minority के साथ हैं, उसकी हम मांग करते हैं। इसमें ज्यादा लंबा-चौड़ा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी भी देश पर आंच आई, तो हम साथ रहे हैं, लेकिन minority की रक्षा के लिए, हमारी पार्टी सबसे ओल्ड पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, जो हिंदुस्तान में हमारी पार्टी है, इसलिए हम चाहते हैं कि minority की रक्षा के लिए भी होम मिनिस्टर साहब पूरा भरोसा दें। इस आश्वासन के साथ, इन लफ़्ज़ों के साथ, मैं देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा हुआ हूं और सपोर्ट करता हूं और यह भी चाहता हूं कि minority की हमेशा रक्षा होनी चाहिए।

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, today will be remembered as a great day, for a great step taken for the consolidation of the unity of India, which was lacking. ...*(Interruptions)*... Therefore, what I found surprising is that the Leader of the Opposition does not seem to know the law. He says that that Article 370 is the one that connects Jammu and Kashmir to India. He quotes Article 370. Mr. Deputy Chairman, Sir, I will quote what Article 370 says. This is Article 370(1)(c): "The provisions of Article 1 and of this article shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir." Article 1 says, "THE UNION AND ITS TERRITORY, that is Bharat, shall be a Union of States." Then it goes on to say, "The States and territories thereof shall be specified in the First Schedule." If you look at the First Schedule, Jammu and Kashmir is mentioned clearly there. Hence, Article 1 has the feature that shows that once a part of India is part of the Union of India, it, therefore, can't be separated. That is why, in Berubari, we had such a number of problems when we could not give it away to Bangladesh even though it was a commitment made by us. Therefore, every inch of India, which is part of the Schedule, is inalienable. ...*(Interruptions)*...

Then, Article 370 further says, "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative partially. In other words, there is no mention of Parliament. There is no mention of a Constitutional Amendment. It says, "The President, by a notification, can remove Article 370," which is what is now being done. It further says, "Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir shall be necessary before the President issues such notification." The Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir concluded its proceedings in 1956. What did they recommend? The Preamble of Jammu and Kashmir Constitution says, "Jammu and Kashmir shall be an inalienable part of India." Jammu and Kashmir will be integral part of India. It is there in the Jammu and Kashmir Constitution. There is no mention of Article 370 in the Constitution. So, what appears here? The Congress party leaders are totally ignorant of the law. They are unaware of what actually the law says. What we are proceeding now is on the basis of law. Bringing in the Resolution was an additional recognition that this be informed to Parliament. Hence, on this basis, I say that the Article 370 removal was overdue and Article 370 was a temporary provision. ...*(Interruptions)*...

[Dr. Subramanian Swamy]

Mr. Deputy Chairman, Sir, Article 370 which prevents the people from outside to come to Jammu and Kashmir died the day 5,00,000 Kashmiri Pandits were driven out. 5,00,000 Kashmiri residents who are called Pandits and Sikhs were driven out of Kashmir, and not a word was said in their favour or any attempt made to ask them to return. How can you have Article 370 in a one-way direction? ...*(Interruptions)*... It cannot be and, therefore, Article 370 has been violated repeatedly by the parties which were ruling all this time before the President's Rule. I also say that what remains now to be done is the Resolution passed by Parliament unanimously, that the portions of Kashmir in possession, in name of Azad Kashmir in Pakistan, illegally occupied, will be taken back. This is a Resolution of this House and it was unanimously passed during Narasimha Rao's period and that is another thing that we need to do. We also need to withdraw the petition filed by Pt. Jawaharlal Nehru in the United Nations Security Council because it was done without the permission of the Cabinet of Jawaharlal Nehru. ...*(Interruptions)*... Why are they objecting to the question of temporary provision being removed? They are objecting to it because of the fact that there is a vested interest in that. As long as Article 370 is there, other elements will take advantage of it. In fact, certain elements were encouraged recently by the fact that Imran Khan met the President of the United States and the President of the United States mistakenly said that he is willing to mediate. There is nothing to mediate. Article 370 is gone. ...*(Interruptions)*... There is nothing to mediate except for Mr. Trump to tell Mr. Imran Khan to return the land which they illegally took from India, which is a part of Azad Kashmir. ...*(Interruptions)*... Return of the territory in the possession of Pakistan is the next agenda item for us, and I hope the decisiveness with which the Prime Minister and the Home Minister have taken the steps, they will take the next step when we are ready to recover the land as per the Resolution of the Parliament. This is what I have to say. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Ambika Soni. Not present. Shri Sasmit Patra.

SHRI SASMIT PATRA (Odisha): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on the Statutory Resolution relating to Article 370 moved by hon. Home Minister, the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 and the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019. ...*(Interruptions)*... Sir, I hoped I had a better thing

today to speak about, the fact being that today I complete one month as a Member of this House. I hope, that today, having completed one month as a Member of this House, it would have been a joyous occasion, but, Sir, I feel pained. I feel pained because today I saw the Constitution of my country being ripped apart in front of my eyes. I feel sad that in this House, as a one-month old Member, I saw what happened in front of my eyes. It has shocked me and I am sure it has shocked the nation as well that if in Rajya Sabha the Constitution of the land is being torn apart, if this is the sentiment, then it is good that Article 370 is being scrapped. It is good that today we are talking about Jammu and Kashmir Reorganisation. ...*(Interruptions)*... It is good that this action is being taken by the Government. On behalf of Biju Janata Dal and my hon. Leader, Naveen Patnaikji, I support the J&K Reorganisation and I support the scrapping of Article 370 and I also support the J&K Reservation (Second Amendment) Bill, 2019.

Sir, firstly on Article 370, the question today before us is, with Article 370 was Kashmir a part of *Bharat Ma*? No, it wasn't, Sir. It was always away from us and Article 370 kept it away from us. Today with Article 370 going, it is truly a part of *Bharat Ma* and I thank the hon. Government for this. ...*(Interruptions)*... In terms of Reorganisation of J&K, Ladakh is in a strategic position within the country. The Kargil war reminded us one thing that we must protect Ladakh in all respects. ...*(Interruptions)*... And, today, with this Reorganisation Bill and Ladakh being made as UT without Legislature, it is in the right direction which will ensure that national security is protected. ...*(Interruptions)*...

Sir, J&K as UT is also extremely important, because we are seeing, over the past decades, how it is being used for political opportunism. ...*(Interruptions)*... We hope that the Government, through the Reorganisation Bill, will also ensure that law and order prevails appropriately.

I would like to say something about the J & K Reservation Bill. Today, since Article 370 is being scrapped and this entire episode is brought about with J&K Reorganisation Bill, the J & K Reservation Bill will completely become void. Today, I am confident that the House will ensure both Article 370, the Statutory Resolution as well as the J&K Reorganisation Bill will be passed and, therefore, there is no need to actually pass the J&K Reservation Bill today.

[Shri Sasmit Patra.]

Finally, I would like to end with a few lines from the movie 'Haider' that I saw some time back. It was a movie on Kashmir. These few lines epitomize Kashmir. Today, it is about emotions; today it is not about clause-by-clause for me. I would like to recite it for you.

दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं
झेलम भी मैं, चिनार भी मैं।
दैर भी हूं, हरम भी हूं
शिया भी हूं, सुन्नी भी हूं।
मैं हूं पंडित
मैं था, मैं हूं और
मैं ही रहूंगा

यह कश्मीर है, यह कश्मीरियत है, यह कश्मीरियत की सोच है। Sir, today, when we talk about this, कश्मीर था, कश्मीर है, कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग था और रहेगा। To do that, we must strengthen the Government. We must pass this resolution. We must pass this Bill and ensure that our Kashmiri brothers and sisters are together with us. And, at the same point of time, I urge the Government to do one thing. ...*(Interruptions)*... Bring out Kashmiri Pandit brothers and sisters back to their homeland. I am sure that the Government will do that. They have suffered for decades. People have forgotten them. The Governments-after-Governments forgot them. Let us not forget them anymore. Kashmir Pandits must come back to the Valley and the Government must ensure that.

Thank you so much for giving this time.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, today is the black day. The Indian Constitution has been * by the BJP Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I object to the word used by hon. Member. This is unparliamentary. It has to be expunged.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will be examined and, accordingly, a decision will be taken as per rules.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, you did not consult the people of Jammu and Kashmir or Ladakh. You dissolved the Assembly. You don't want to hold any election.

* Expunged as ordered by the Chair.

And, you have taken 35,000 Armed personnel there. You are creating another Palestine! Tomorrow you can do anything with any State. Tomorrow you can bifurcate any State. You can dismiss the State, dissolve the Assembly, take everything into your possession and bring any Bill. So, the Constitution itself is in danger. Our party, CPI(M), warned the people before election that RSS-BJP will destroy the Indian Constitution. They will destroy the Indian unity. So, my party is very sympathetic towards the Kashmir people; we are sympathetic towards Jammu and Kashmir people. Without their knowledge...*(Interruptions)*...Don't worry about it. I would like to remind, on behalf of the entire opposition, one thing. There are some opposition parties which supported it. They will feel it later. They will also realize it tomorrow. For example, Puducherry wanted a separate State. Will you give a separate State, or, will you bring a Bill and merge it with Tamil Nadu? Morarji tried once, but he failed. So, this is a dangerous thing. The life of the Kashmiri people, the future of the people of Jammu and Kashmir, the future of the people of Laddakh is in danger. The Constitution is in danger. You are Hindus and you are cancelling the *Amarnath Yatral* What a great believers! You are not believers. In the name of Hindus, you are destroying the Hinduism; you are destroying everything. We fully oppose this Bill. We stand with the people of Jammu and Kashmir. And, that is our party's line. And, I oppose this Bill.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I rise to strongly support this Statutory Resolution and the Bill.

At the very outset, I urge upon the Chair that the strongest possible punishment should be accorded to the Members who tore the sacred Constitution of India.

Sir, I heartily commend the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for their political will to bring forward this historic Bill. Something that could not be done for seventy long years, by successive Governments, has finally been done; finally been achieved by the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister. I strongly support the Bill because it is perfectly consistent with the Constitution of India; it is also consistent with the spirit of debates in the Constituent Assembly. It must be remembered that Article 370 was placed by Dr. B.R. Ambedkar in the Constitution as a provisional one. The option of deleting the provision was implicit. But, it took us seventy long years to do it. But, better late than never. And, that is this historic Bill is very commendable.

2.00 P.M.

[Dr. Narendra Jadhav]

This historic move is highly commendable for two reasons. First, this Bill finally establishes equality among all Indian citizens that is enshrined in our Constitution. Secondly, this historic move also extends reservation to all marginalized strata of society in Jammu, Kashmir and Laddakh. This great move will pave the way for much needed economic growth of Jammu, Kashmir and Laddakh.

In 2012, as a member of the then Planning Commission, I was entrusted with the responsibility of preparing a development plan for Laddakh. I travelled extensively in Jammu, Kashmir and Laddakh. And, I was deeply moved by the poverty prevailing there and was very seriously angered by the neglect of Laddakh region. Reportedly, most of the financial allocations, which were recommended in my report and accepted by the then Central Government, were usurped by the Government for Kashmir Valley and not left for Laddakh for whom it was intended to be. With the reorganisation of Jammu, Kashmir and Laddakh, especially with Laddakh emerging as a separate Union Territory, the opportunities for economic growth and human development would be opened up for the poor people of Laddakh.

Sir, I wholeheartedly support this Bill and recommend its passage. Thank you very much.

प्रो. मनोज कुमार झा: धन्यवाद, उपसभापति महोदय, अभी मेरी माँ टेलीविज़न देख रखी थीं, तो उन्होंने WhatsApp पर मुझे एक मैसेज भेजा कि मनोज, बोलने में कूल रहना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कूल रहूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... Treasury Benches से मेरा आग्रह है कि कृपया इन्हें बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... माननीय मनोज झा जी, आप चेयर की तरफ देख कर एड्रेस करें, आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, उधर भी देखने का मन कर जाता है।

सर, जहां तक उधर जाने की बात है, वह तो इस जन्म में नहीं होगा। आर्टिकल 370 को लेकर जो चीजें हुई हैं, मैं उनके पक्ष में कतई खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं अपना इतिहास जानता हूं। मैं आर्टिकल 370 के बनने की गाथा जानता हूं। मैं कश्मीर के हिन्दुस्तान में विलय का इतिहास भी जानता हूं। सर, मैं बौनी समझ का नहीं हूं। चूंकि मैं बौनी समझ का नहीं हूं, इसलिए लगातार मैं इस सदन में कह रहा था कि हमें क्या चाहिए? हमें कश्मीर की जगह, कश्मीर की ज़मीन चाहिए या कश्मीरी आवाम चाहिए?

सर, आज मैं बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं, चूंकि आपकी majority है, मैं हमेशा बार-बार आगाह करता रहा हूं कि जब भी majority आती है, तो अच्छे-अच्छे और बुरे-बुरे, दोनों तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन आप अच्छे वाले विचारों को पकड़िए, बुरे वालों को छोड़ दीजिए।

माननीय उपसभापति महोदय, मेरे ठीक समक्ष माननीय विधि मंत्री जी बैठे हुए हैं। सर, 1966 में आदरणीय जय प्रकाश नारायण जी ने इन्दिरा जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे मैं पढ़ रहा हूं। आज की तिथि में आप यह चिट्ठी, मेरी तरफ से, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नाम मान लीजिए। मैं जे. पी. की चिट्ठी पढ़ रहा हूं। "The Kashmir question has plagued this country for very many years. It has cost us a great deal materially and spiritually. We profess democracy but rule by force in Kashmir..." यह जे.पी. जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप उनको सूली पर मत टांगिएगा। "Unless we have auto-suggested ourselves into believing that the general elections.... had expressed the will of the people".

सर, अब मैं अगले पेराग्राफ में जा रहा हूं, चूंकि यह बड़ी लम्बी चिट्ठी है। "That problem exists not because Pakistan wants to grab Kashmir, but because there is deep and widespread political discontent among the people. The people of India might be kept in the dark about the true state of affairs in the Valley, but every chancellery in New Delhi knows the truth..."

सर, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार चली, तो मानो जैसे political communication का कत्ल हुआ। मैं समझता हूं कि उसको भी इस अफ़साने में आना चाहिए कि political communication का कत्ल हुआ और उसकी वजह से घाटी में 30 साल पुरानी छवियां वापिस आई हैं।

सर, बात इतने पर ही नहीं रुकेगी। जय प्रकाश नारायण जी ने 1956 में एक चिट्ठी नेहरू जी को भी लिखी थी। "May I also take this opportunity of saying a word about Kashmir? Merely to put my views before you, without in the least wanting to criticize or influence, what I have learnt, there is a widespread discontent in the Valley. All men have to live upon this Earth as brothers, irrespective of what national frontiers divide them. World peace is possible upon no other hypothesis."

Sir, I believe, J.P. के चाहने वाले और उन्हें फॉलो करने वाले कुछ लोग उधर भी हैं। क्या हम उनके दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते? हमारा पूरा दृष्टिकोण इस चीज़ पर है टिका है कि इस narrative को चलाओ। आज यह narrative चलाया जा रहा है, इसलिए हम इसके विरोध में हैं। हम आपकी संवैधानिक मान्यताओं की कमी के विरोध में हैं। हम constitutional history के brutal murder के खिलाफ हैं।

[प्रो. मनोज कुमार झा]

सर, अगर हिन्दुस्तान की मोहब्बत का कोई पैमाना हो, तो यहां की डिस्पेंसरी में उसकी मशीन लगा दीजिए और तौल लीजिए कि हिन्दुस्तान के लिए किसमें कितनी मोहब्बत है? हममें आपसे कम मोहब्बत नहीं होगी।

सर, मैं इतना ही आग्रह करूंगा, मैं कॉशन कर रहा हूं, माननीय उपसभापति महोदय, कल मैं सदन में होऊं या न होऊं, लेकिन मैं माफी के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज हमने कश्मीर के फिलिस्तीन बनने का रास्ता खोल दिया है। पांच साल के बाद आप मेरी बात मानोगे। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जो narrative चला रहे हो, चलाओ, लेकिन इस मुल्क में कोई भी narrative अमृत पीकर नहीं आया है। हमने पुराने कई narrative खत्म होते देखे हैं।

मैं हाथ जोड़ कर, सिर्फ यही विनती करता हूं कि अहंकार त्यागिए, कश्मीरियों को गले लगाइए और तब कश्मीर अपने आप आपके गले से लग जाएगा। मुझे यह दुःख है कि आपने उसे अलग कर दिया है। आज ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं कभी टोका-टाकी नहीं करता हूं। ...(**व्यवधान**)... मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: झा जी, आप इधर देख कर बोलें। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा: वैसे भी आपके पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और जिस प्रकार से यहां लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो बड़ा डर भी लगता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप चेयर की तरफ देख कर बोलें। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा: अठावले साहब, इस जन्म में तो यह संभव ही नहीं है। Any way, Sir, आगे मैं क्या कहूं? मैं बस इतना ही कहूंगा ...(**व्यवधान**)... दोस्तों ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप इधर देख कर बोलिए और आप अपनी बात कन्क्लूड भी करिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर दिन ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक दृष्टि भी होनी चाहिए न। सुनने की संवेदना भी होनी चाहिए, क्योंकि आज इतिहास दर्ज कर रहा है। आज हो सकता है कि हम में से कुछ को fictitiously villain बना कर पेश किया जाए। लेकिन मैं इस बात को आपके सामने दावे के साथ कहता हूँ कि पाँच साल बाद जेपी की यह चिट्ठी पढ़ी जायेगी और कहा जायेगा कि सदन में कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने अपनी सरकार को आगाह किया। जय हिन्द, सर!

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I stand to oppose this Statutory Resolution and the Bill that has been introduced which is unconstitutional and unwarranted. Sir, what are the powers vested with the Union Government to bring in this Bill and the Statutory Resolution? Why I said it is unconstitutional? Article 370(3) only provides the power to the Government to withdraw; Article 370 could be withdrawn. What does Article 370(3) say? "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Article, the President may, by public notification, declare that this Article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify." The proviso is very important. "Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification." Sir, the Legislature is not there. It is only the President's Rule. If at all, it has to be done, it is only with the consent of the State Legislature. Moreover, Sir, the Supreme Court, the Constitution Bench, in case of Sampat Prakash vs. State of J&K has categorically given the judgement that Article 370 is permanent and it is not temporary. Sir, the architects of the Constitution, the members of the Constituent Assembly were all elected, were all people who were from various quarters, from various areas; and they were all experts. After deep deliberations, this Article 370 was provided giving special status to the people of Kashmir for various other reasons. All these days, they were enjoying. Okay, if at all you take a decision, have you taken the views of the people there? Have you taken the views of the State Legislature which is I the representative of the people? The stakeholders have not yet been consulted. All of a sudden, the Government comes with a Statutory Resolution and a Bill? What we are afraid of is, will it stop with this? Tomorrow, the same powers will be vested with you and you can convert any State into a Union Territory. It may be Tamil Nadu, it may be Bihar, it I may be Bengal, it may be Maharashtra. So, this apprehension should not come because the Article is given a very, very safe protection. This provision should be followed. That is what we are saying. Article 370(3), the proviso, has not been utilised slightly. It is only two months ahead of the election. We could wait till then. If at all you are justifying the decision you have taken, you can wait till then and the State Legislature's consent could be taken up as per the Constitution. But now because you are imposing the President's Rule, taking all the powers and doing such a step, I don't know what the implications will be, what the people of Kashmir will consider about this decision.

[Shri Tiruchi Siva]

Sir, there is another thing on which I would like to say, I have my apprehension again. It may be right or wrong. Now that this 370(3) is withdrawn, 35A has gone, anyone can go there, and it is a paradise on Earth. All the multinational companies would come there. Again, Sir, it would become not 'ours'. So, that is the people's feeling there. So, what we say is, if at all you take a decision which you could justify, you should have taken it only with the consent of the State Legislature after it has come into existence. But it has been done when the President's Rule is there. That is why we say, Sir, what is the urgency? You may justify it. I do not dispute that. If you can convince us or the people of Kashmir, then it is okay, but what was the urgency when the State legislature is not in there? When the elected Government is not there, the President's Rule empowering them to use a provision of the Constitution is totally unacceptable. Again, I say, this House is the House of Elders, the Council of States. We are afraid. Can you give us an assurance that this would not be repeated with any other State? The same could happen again because you have been bestowed with powers. We oppose this because it is against the Constitution and it has not taken into consideration the views of the stakeholders, the people of Kashmir and the elected State Legislature there. That is why, we are opposing this Bill.

श्री हिशे लाचुंगपा (सिक्किम): उपसभापति महोदय, मैं सदन में लाए गए जम्मू-कश्मीर से संबंधित संकल्प एवं विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह कदम निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा और देश को सही रूप से शांतिपूर्वक चलाने में मदद करेगा, परन्तु सरकार के इस कदम की तुलना Article 371(f) से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिक्किम अपने आप referendum के माध्यम से भारत में शामिल हुआ था। सिक्किम एक संवेदनशील और सीमा से जुड़ा हुआ प्रदेश है, जहां शांति और प्रगति व्यापक रूप से देखने को मिलती है। हमारा प्रदेश देश के सभी national festivals, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाता है और यहां की सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़ा है। सभी त्यौहार हमारे यहां उसी उत्साह और जोश से मनाए जाते हैं, जैसे किसी अन्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। हमारे बोडोलैंड के साथी, श्री बिश्वजीत दैमारी ने यहां बोडोलैंड यू.टी. के निर्माण की मांग की, मैं उसका समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सदन में लाए गए जम्मू-कश्मीर से संबंधित संकल्प और विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K. Ravindra Kumar; not present. Shri Binoy Viswam; not present. Shri Shamsher Singh Manhas.

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू और कश्मीर): आदरणीय उपसभापति साहब, मैं समझता हूं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। सदन में जो संकल्प लाया गया है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि - मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा यह संकल्प सभा में लाया गया, जिस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की, मैं यहां कहना चाहता हूं कि हम आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, 1947 से लेकर आज तक, हमेशा से धारा 370 के खिलाफ रहे हैं। धारा 370 के माध्यम से जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग दर्शाया जाता था, हम सोचते थे कि उसे कैसे हटाया जाए? इसका प्रयास आज हुआ है। हमारे पूजनीय जी. एल. डोगरा जी द्वारा एक नारा दिया गया था कि यहां दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। स्टेट का प्राइम मिनिस्टर अलग होता था और देश का प्राइम मिनिस्टर अलग। वहां का संविधान अलग था और देश का संविधान अलग, वहां का निशान अलग था और यहां का निशान अलग। ये तीनों चीज़ें अलग थीं, जो भ्रम पैदा करती थीं कि जम्मू-कश्मीर भारत के साथ है भी या नहीं! ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहे? सर्वप्रथम देखा जाए तो 26 अक्तूबर, 1947 तक, वहां के महाराजा जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें जोड़ने नहीं दिया जाता था। अगर सरदार पटेल जी को उसी समय दिया जाता, तो यह जम्मू-कश्मीर भी उसी तरह होता, जैसे पूरे देश में 582 रियासतों का विलय हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको नहीं जोड़ने दिया। उस समय के प्रधान मंत्री कहने लगे कि नहीं, इसकी मैं स्वयं रक्षा करूंगा, सदैव इसको बचाने का प्रयास करूंगा। उनकी दोस्ती एक व्यक्ति, शेख अब्दुल्ला से हुई थी। वे चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला द्वारा ही जम्मू-कश्मीर में ये सारी चीजें बनाई जाएं। उसके खातिर उसको बीच में डालने का प्रयास किया गया। अगर उसको बीच में नहीं डाला जाता और सरदार पटेल जी अगर होते, तो आज यहां पर जो बात चल रही है, जिस प्रकार का वातावरण यहां पर बनाया गया है, शायद यह वातावरण बनाने की जरूरत नहीं थी। किन्तु यह जो हुआ, इसका कारण यह है कि हमें हमेशा ही जम्मू-कश्मीर में बारे में जिस प्रकार विचार करना चाहिए था, जिस प्रकार सोचना चाहिए था, वह नहीं सोचा गया। 1947 से लेकर आज तक कितने आंदोलन हुए होंगे, हमारे कितने कार्यकर्ताओं ने शहादत दी होगी। मैं एक शहादत की बात नहीं करता, उस समय कई कार्यकर्ताओं द्वारा शहादत देकर इस जम्मू-कश्मीर की धारा 370 के बारे में विरोध किया होगा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के द्वारा उस समय एक बहुत बड़े नेता के रूप में वहां के लोगों को संजो कर एक आंदोलन किया गया था और आंदोलन करने के उपरांत उनके एक हाथ में Constitution of India होता था और दूसरे हाथ में तिरंगा होता था, इसलिए उनको जेल के सींखचों में डाला गया था। आज भी वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। दिन-दहाड़े 18 लोग गोलियों से भून दिए गए, आज भी उनकी शहादत की मज़ार वहां पर बनी हुई है। यह क्यों बनी हुई है, उसका कारण क्या है? यदि कोई भारत के संविधान को पकड़ा है, भारत का तिरंगा पकड़ा है, तो उसको गोलियों से भून दिया जाए? उसके जिम्मेवार कौन थे? उसके जिम्मेवार एक वैसे ही व्यक्ति थे, जैसे आज हमें दृश्य देखने को मिला। यहां पर एक आंदोलन हो रहा था, यहां पर बातचीत चल रही थी... संविधान को जिस प्रकार से फाड़ने

[श्री शमशेर सिंह मन्हास]

का प्रयास किया गया, फाड़ने वाला व्यक्ति तो फाड़ ही रहा था, लेकिन उसको संविधान किसने दिया? संविधान देने के बाद इनकी लड़ाई लड़ी गई, वहां पर बचाने वाला कौन था? ऐसे लोगों को punish करना चाहिए या नहीं चाहिए? वही वातावरण वहां का बना हुआ था। यह आप सब जानते हैं। उस समय के हमारे पूर्वज संविधान को ले नहीं सकते थे, तिरंगे को हाथ नहीं लगा सकते थे और जिस प्रकार से 1953 में जिनके माध्यम से जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने चाहते थे, उसी व्यक्ति को बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जेल के सींखचों में डालने का प्रयास किया। उसका कारण यह था कि वह भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे और भारत को तोड़ना चाहते थे। इस प्रकार का वातावरण रहा। इसी वातावरण में कई चुनाव आए। हम चुनाव का बहिष्कार नहीं कर पाते थे। हम चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने के लिए जाते थे, तो हमारा पर्चा रिजेक्ट कर दिया जाता था। पहली बार तो ऐसी नौबत आई कि सारे के सारे, जितने भी हमारे नामंकन पत्र भरे गए, सारे के सारे खारिज कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। वहां पर इस प्रकार का वातावरण बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा जम्मू-कश्मीर को जिस प्रकार से देखा गया, जम्मू के साथ discrimination, लद्दाख के साथ discrimination और खास करके कश्मीर को बढ़ावा नहीं दिया गया। कश्मीर में वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया। आज तक उसको बचाने के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने, फौजियों ने और वहां के व्यक्तियों ने, civilians ने जिस प्रकार से प्रयास किया, उसको हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब भुक्तभोगी हैं। वहां आए दिन कोई न कोई घटना घटती रहती है। अगर यह धारा 370 नहीं होती, तो शायद आतंकवाद भी नहीं होता। बॉर्डर पूरी तरह अपना होता, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता। चाहे 1965 की लड़ाई हो या 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई हो, हमने अपनी जगह..... 1965 में 90 हजार लोगों को पकड़ा भी गया, तो फिर हमने सम का क्षेत्र देने का प्रयास किया। ऐसे क्यों किया? अगर 90 हजार फौजी पकड़े गए, तो उनको छोड़ने के एवज़ में अपनी जगह वापस क्यों नहीं ले सके? हम अपनी जगह वापस नहीं ले सके और इस प्रकार का atmosphere बनता गया। जम्मू के लोगों के मन में, कश्मीर के लोगों के मन में एक चिंता सता रही थी कि वह कौन-सा व्यक्ति होगा, जो हमें बचाने के लिए आएगा, जो हमारे साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं होने देगा? हमें इस प्रकार की बात करनी होगी, अन्यथा जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ था, जिस प्रकार आगे जूझने का प्रयास हो रहा था, इसके लिए हमने कई आंदोलन किए। मैंने पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी के नेतृत्व में केवल एक आंदोलन के बारे में बताया, अन्यथा हमने वहाँ एक नहीं सैकड़ों आंदोलन किए हैं। नित्य-प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के लोग उस समय से लेकर आज तक लगातार आंदोलन पर बैठे हुए थे, लेकिन पिछले पाँच वर्षों से जब अपनी सरकार आई, उस दिन से हम थोड़ी-सी चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सरकार पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अन्यथा कई सरकारें आईं। मैं कहना चाहता हूँ कि 67 years तक जिनकी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने किया क्या, उन

सरकारों ने दिया क्या और उन सरकारों ने करना क्या था? मैं एक विकास के मुद्दे पर आता हूँ। धारा-370 होने से क्या जम्मू-कश्मीर में कोई फैक्टरी लग सकती है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, कोई बहुत बड़ा कारखाना खुल सकता है? आज हमारे यहाँ के 9 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में एक जगह से दूसरी जगह कारखाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई वहाँ भी लगता, यह हम भी चाहते हैं, तो इससे हमारे नौजवान भी वहाँ पर अपनी रोजी-रोटी का साधन बना सकते थे। आज हम रोजगार के लिए बहुत ही मुश्किल से जी रहे हैं। हमारे नौजवान दिन-प्रतिदिन तड़प रहे हैं। जो अच्छे टेलेंटेड हैं, उनके पास हर प्रकार दिमाग है, वे अच्छी तरह अंग्रेज़ी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, सभी भाषाओं में गुणी हैं, लेकिन इससे क्या हुआ? इतना होने के बावजूद भी कुछ करने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे नौजवानों को देखा नहीं गया। कश्मीर से पाँच लाख से ज्यादा refugees को निकाला गया। वहाँ से पंडितों को क्यों निकाला गया? कहा गया कि आतंकवाद है, उग्रवाद है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर धारा-370 न होती, तो वहाँ पर आतंकवाद दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से जो refugees पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनमें डेढ़ लाख से ज्यादा ऐसे लोग होंगे, जो जम्मू में ही बस रहे हैं। उनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। नौकरी तो लग नहीं सकती, रोजगार तो दूर की बात है, उनको पढ़ने के लिए भी मुश्किल होती है। वे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास State subject नहीं है। उनको जो citizenship मिलनी चाहिए थी, इस धारा-370 की बदोलत वह आज तक नहीं मिली। आज इस संकल्प के पारित होने के बाद वहाँ का जो नौजवान है, खास कर जो डेढ़ लाख लोग हैं, वे खुशी से झूम रहे होंगे। जम्मू में आज जिस प्रकार का खुशियों का माहौल बना हुआ है, वह इस प्रकार का बना हुआ है कि हमारे लिए भी किसी ने सोचने का प्रयास किया है। अगर ऐसा नहीं सोचा जाता, तो हम दिन ब दिन डरते रहते, आए दिन आंदोलन करते रहते, उन आंदोलनों के बाद हमें कुछ मिलता या नहीं मिलता। इसलिए मैं अपने आदरणीय नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें भी इस योग्य समझा कि हम भी भारत की श्रेणी में आ सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है। "भारत माता की जय"

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Deputy Chairman, Sir for giving me this opportunity to participate in this debate on two Bills, that is, the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019. At the outset, I have to recall, over the last six decades, what has been going on in Jammu and Kashmir. Article 370 was inserted as transitional provision in 1949. Since 1949, what has been going on in Jammu and Kashmir! Thousands of people have been killed, terrorists activities have increased and developmental activities have been curtailed. Now, by virtue of this Article 370 and its implementation, the people living in areas along the international border in Jammu

[Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

and Kashmir did not get the benefits in respect of recruitment, education etc. By virtue of this Reservation Bill, they may now get the benefits. The people of Ladakh region, which was a part of Jammu and Kashmir, has this long-pending demand to treat this region as a Union Territory. By virtue of this Bill, that can also be fulfilled. The people of Jammu and Kashmir had been living with an insecure feeling. There was no national security for the last seven decades. The Governments, who were in power, irrespective of whoever was in power, could not provide sufficient security to them for leading peaceful living. However, I must congratulate the Government and the hon. Home Minister at this juncture. After the introduction of this Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, at least, this time, with the strong implementation of this Bill, the people of Jammu and Kashmir must be feeling relieved from all these tensions and they can live happily now. Now, Jammu and Kashmir has now become a part of our country. Being a lawyer I used to come across each and every Bill passed by the Parliament, where we used to write that it is implemented and applied everywhere except Jammu and Kashmir. Now, Jammu and Kashmir has also become a part of our nation. In view of the national security and national integrity, and for the purpose of equal development with other States as provided under the Constitution of India, now, the people of Jammu and Kashmir will also get the same benefits of development, reservation, employment and in all walks of life.

I think the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019, should be effectively implemented forthwith. The implementation of this Bill will remove the difficulties faced by the people of Jammu and Kashmir. Now, we can provide them equal opportunities along with the people of other parts of the country. Apart from that, even day-to-day activities also cause a lot of feelings of insecurity in their minds. Every day, they have to participate in some activities in respect of their functioning and everything. In view of the Statement of Objects and Reasons mentioned in the Bill, now a message can be sent to the whole nation, and also to the people of Jammu and Kashmir, that the whole nation is one and Jammu and Kashmir is part of the nation. The desires and dreams of the Kashmiris had not been fulfilled for the last six decades. Now, I hope and wish that this Bill will bring happiness in their lives. On behalf of the Telugu Desam Party, under the leadership of Shri Chandrababu Naidu, we support this Bill and we hope that

it will work out to be beneficial for the people of Jammu and Kashmir. I appreciate and once again congratulate the hon. Home Minister for bringing this Bill. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: एलओपी, माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी। जो सदस्य वैल में बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वे अपनी सीट्स पर जाएँ और माननीय एलओपी के विचार सुनें। ...(**व्यवधान**)... जो भी सदस्य वैल में बैठे हैं, वे कृपया अपनी सीट्स पर जाएँ और एलओपी के विचार सुनें। I request them all to go to their respective seats.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, जिस बिल पर मुझे आज बोलना था और जो बिल राज्य सभा में आज चर्चा के लिए लिस्ट में आया था, वह था- Reservation for Economically Weaker Sections. यह बिल कुछ महीने पहले पूरे देश के लिए इस सदन में आया था और आज यह इस सदन में चर्चा के लिए आया था। महोदय, मैं इस बिल पर चर्चा करने के लिए जो सोच कर आया था, अब इस चर्चा का अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि इस बीच में आज, शायद जब से मैं पैदा हुआ हूं, जम्मू कश्मीर में एक तो वर्ष 1947 का इतिहास था, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद और मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्टेट के साथ, जो हमारे भारत का सिर है, एक दिन यह सिर काट दिया जाएगा। मैं सोच कर आया था कि मैं Economically Weaker Sectionsके रिजर्वेशन के बारे में यह कहूंगा कि 70 साल के बाद देश में यह बिल आया है तो यह 4 महीने और इंतज़ार कर सकता था, ताकि विधान सभा में, वहां जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, जो अलग-अलग strata से ताल्लुक रखते हैं, upper caste, backward caste, minorities, minorities भी अलग-अलग हैं, वहां Hindu minority है, Sikh minority हैं, Christian minority है, Jain minority है, वहां लद्दाख के लोग हैं, वहां जम्मू के लोग हैं और कश्मीर के लोग हैं। इस पर और विस्तार से चर्चा करते, मैं तो अपनी तरफ से इसके सपोर्ट में आया था, क्योंकि मैं मानता हूं कि गरीब लोग सिर्फ एक धर्म में या एक caste में नहीं होते। मैंने अपने स्टेट में ही देखा है। मैंने upper caste के राजपूत भी गरीब देखें हैं, upper caste के ब्राह्मण और मेरे businessmen भाई और बहनें भी गरीब देखी हैं, मैंने मुस्लिम, दलित, backward, forward के ग़रीब भी देखे हैं। यह एक ऐसा अच्छा कदम है कि हम बजाय caste के, जिसमें हम हर वक्त जाते हैं। एक प्रोविज़न कम से कम उन गरीबों के लिए है। गरीबी अपने आप में एक धर्म भी है और एक जाति भी है और यह हर धर्म, हर जाति और हर caste पर लागू होती है। यह अच्छा प्रोविज़न है। मैं सिर्फ इतनी सलाह देना चाहता था कि यहां की बजाय वहां की विधान सभा में जब दो महीने, तीन महीने या चार महीने में इलेक्शन होते, तब इस पर चर्चा होती। जहां 70 साल में यह लागू नहीं हुआ, वह अगर 6 महीने बाद भी लागू होता तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख परेशान था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मैं रात को ढाई बजे सोया था, जम्मू-कश्मीर से भी फोन आते थे और पूरे देश से फोन आते थे। अलग-अलग अफ़वाहें थीं, कोई कह रहा था कि जंग हो रही

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

है, कोई कह रहा था कि स्टेट के दो हिस्से और कोई कह रहा था कि तीन हिस्से किए जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि delimitation हो रही थी, कोई यह कह रहा था कि Article 370 खत्म होगा, कोई यह कह रहा था कि Article 370 रहेगा, सिर्फ 35 (A) खत्म हो जाएगा। यह टेलीफोन आना और चिंता सिर्फ कश्मीर वैली से नहीं थी, बल्कि लद्दाख से भी थी और जम्मू से भी थी। जब मैं जम्मू की बात करता हूं तो राजौरी पुंछ से लेकर जम्मू, Kathua और Samba से लेकर, Udhampur से लेकर Ramban, Banihal और किश्तवाड़ तक बात करता हूं। मैं जम्मू शहर की बात नहीं करता हूं कि जम्मू, शहरी जम्मू नहीं है, 10 districts हैं और इन districts में सब धर्मों की आबादी है। इन 10 districts में जम्मू के हिन्दुओं की आबादी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन और सिख भी हैं। शायद एक विचारधारा करने के लिए चिंता का विषय नहीं हो, लेकिन जिन सबके नाम लिए, उनके लिए यह चिंता का विषय था, लेकिन आज जिस तरह से अचानक atom bomb फटता है, वैसे ही सुबह इस सदन में हुआ। माननीय गृह मंत्री जी, जब आए तो ऐसा विस्फोट हुआ कि एक हफ्ते से जिन एक-एक चीज़ के लिए आशंकाएं महसूस की जा रही थीं, जब से यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेज़ को जम्मू-कश्मीर भेजा गया था, जब से ए.डी.जी.पी., जे.के.पी. ने सभी एसपीज़ को कह दिया था कि आपके पास पूरा सामान है और अगर नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर सप्लीमेंट किया जाएगा। Hospitals में written advisory दी जा रही थी कि कोई भी डॉक्टर छुट्टी पर नहीं जाएगा। जहां पर कारगिल की हिल काउंसिल थी, मुझ ो लेह का नहीं मिला, लेकिन मुझे कारगिल के डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर की कॉपी मिली कि कोई भी ऑफिसर निचले लेवल तक छुट्टी नहीं ले पाएगा। यह 27 तारीख से... और होम मिनिस्ट्री की एडवाइज़री लिखित में है कि सभी यात्री, जो अमरनाथ जी यात्रा करने के लिए गए हैं, वे वापस आना शुरू कर दें, जो पर्यटक हैं, वे वापस आएं और जो एडवाइज़री में नहीं था, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एन.आई.टी. है, उसमें देश भर के 500-600 से ज्यादा बच्चे कश्मीर वादी में पढ़ते हैं, उनके लिए शनिवार सुबह बसें लगाई गई थीं और उनको evacuate किया जा रहा था, जो एडवाइज़री में नहीं था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन by word of mouth जो हिंदुस्तान भर के लाखों मज़दूर हैं, जो गर्मियों में वहां मजदूरी करने जाते हैं, कुछ मजदूर, कुछ carpenters, कुछ mason और कुछ contractors हैं, जो सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग्ज़ बनाने के लिए, उनको भी भेजा जा रहा था, तो एक हफ्ते से ही जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में और जम्मू प्रांत के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक भय, एक खौफ और एक आतंक का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा, कब होगा? मैंने जिन चीज़ों का उल्लेख किया कि लोगों को जिस चीज़ का डर था कि इनमें से कोई हो सकती थी, लेकिन कभी भी जम्मू-कश्मीर का, भारत का या दुनिया का... क्योंकि जम्मू-कश्मीर वर्ष 1947 से ही दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा और देश की चर्चा का विषय हमेशा बनता रहा, तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट हो, कश्मीर में कई एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा

विदेशी मुल्कों में हैं, शायद उनमें से किसी ने भी यह अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इन चार-पांच चीज़ों में से एक नहीं, चार की चार चीज़ें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे और उसी दिन चर्चा भी होगी और उसी दिन पास भी करेंगे।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, यह बिल 57 पन्नों का है। यहां एक-एक पन्ने का बिल भी आता है और हम यहां रोज़ लड़ाई करते हैं कि हमें अमेंडमेंट देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हमारे पार्लियामेंट रूल्स में है कि दो दिन पहले वह बिल आना चाहिए, ताकि हम पढ़ें और अमेंडमेंट दें। साधारण बिल्स होते हैं, लेकिन यहां हिंदुस्तान के नक्शे में से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। I am talking about the States. हमारे 29 स्टेट्स थे - आप 28 कर रहे हैं तो एक स्टेट तो खत्म हो गया। क्या आप यह कह सकते हैं, ...**(व्यवधान)**... Mr. Yadav, let me speak. I am not abusing. I am telling the truth. क्या आपके इस बिल में 29 स्टेट्स हैं? अगर नहीं हैं तो एक स्टेट खत्म हो गया है न। आप बताइए, उठकर जमा करके मुझे बताइए कि आज इस बिल को पास करने के बाद 29 स्टेट्स होंगे। तो एक स्टेट नहीं है, वह हिन्दुस्तान के नक्शे से खत्म हो गया। ...**(व्यवधान)**... आप क्या बात कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, ज़रा समझा करिए।

सर, तो एक स्टेट नहीं होगा और वह कौन सा स्टेट होगा - वह स्टेट सिर्फ सिर नहीं है, सरताज नहीं है, वह चीन के साथ लगा हुआ है, वह पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, वह पीओके के साथ लगा हुआ है। जहां चीन ने हमला किया, उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, पाकिस्तान के साथ तीन-चार लड़ाइयां हुईं, उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी और जहां हमारी फौज ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, वहां जम्मू-कश्मीर की अवाम ने, जम्मू-कश्मीर की जनता ने, जम्मू-कश्मीर की mainstream political parties ने हमेशा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चीन का मुकाबला किया है। वहां पर हमारे जो sources हैं -- मैं वहां पर चीफ मिनिस्टर रहा हूं, हमारे इस तरह के स्टेट्स में, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं - और एक नहीं, दो देशों के साथ -- वहां जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं होंगे, जब तक वहां के लोग आपको खबर नहीं देंगे, जब तक वहां के लोग आपको वहां के hideouts नहीं बता देंगे, तब तक चाहे आप एक हज़ार साल तक लड़ते रहें, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, लेकिन यहां पर हम हर लड़ाई में कामयाब क्यों हुए - क्योंकि हमारे लोग, जो nationalist लोग थे, जो हिन्दुस्तान में रहना चाहते थे और हिन्दुस्तान को अपना देश मानते थे, वे हमेशा हमारी security forces को - चाहे वह Army हो, Army Intelligence हो, IB हो या RAW हो - इन्हें खबर देते थे -- और सबसे ज्यादा source हमारा कश्मीर के लोगों का होता था, क्योंकि उन्हें ज्योग्राफिया मालूम था, उन्हें लोग मालूम थे। वहां जितनी achievements हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा credit मैं कश्मीर के लोगों को देता हूं, जिन्होंने forces की मदद की है - armed forces की, paramilitary forces की और security forces की - और इस विश्वास के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने हिन्दुस्तान के साथ रहने के लिए

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

Accord किया, Accession किया। उन्होंने पाकिस्तान को chose नहीं किया, कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को एक धर्म होने के बावजूद अपना देश नहीं माना। उन्होंने हिन्दुस्तान को अपना देश माना, हिन्दुस्तान के secularism को माना, उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्दू भाइयों के साथ रहना कबूल किया, न कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ - यह विश्वास था। आज आपने उस विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ उस वक्त के लोग आपके पास आए थे - हम तो आज़ाद हिन्दुस्तान में पैदा हुए, हमें तो विश्वास ही विश्वास है - लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं, जो आज भी ज़िंदा हैं, उन्होंने जो विश्वास किया था और जो यहां रहे - उन्होंने विश्वास किया था, पंडित जवाहर लाल नेहरू पर, उन्होंने विश्वास किया था, सरदार पटेल पर कि ये हमें सुरक्षा देंगे। वे हमारे कल्चर को नहीं बिगाड़ेंगे, वे हमारी तारीख को, हमारे इतिहास को खत्म नहीं करेंगे, हमारे उसूलों को नहीं तोड़ेंगे और हमारे जज्बात के साथ नहीं खेलेंगे, हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। शेख़ अब्दुल्ला, मोतीराम बैगरा, अफज़ल बेग और महाराजा हरि सिंह, सबको मैं बधाई देता हूं और बाद में डॉ. कर्ण सिंह से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी... इन कश्मीर के लोगों ने, आवाम ने... और जब-जब भी आवाज उठी अलैहदगी की, तो कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया। ये mainstream political parties मारी गई हैं। ये हजारों, सैकड़ों जो बेवाएं बनी हैं, कुछ को तो उन militants द्वारा मारे गए या उनके साथ लड़ते हुए मारे गए हैं, हमारी फौज भी मारी गई, पुलिस भी मारी गई और CRPF भी मारी गई। यह इतनी कुर्बानियों के बाद, आज जब जम्मू-कश्मीर पूरा मेनस्ट्रीम में था, आज जम्मू-कश्मीर में रहने वालों की शादियां पूरे देश में हो रही थीं, inter-religion शादियां हो रही थीं, आज जब पूरे देश के बच्चे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ में, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते थे, इतना इंटिग्रेशन पिछले 20-30 साल में हुआ, आज आपने उसको डिसडइंटिग्रेट करने की फिर एक आधारशिला रखी है। कानून से इंटिग्रेशन नहीं होती है, इंटिग्रेशन दिल से होती है। इससे इंटिग्रेशन नहीं होती है कि हमने कितने कानून बनाए। दिल मिल गए, तो कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया भर के Constitutional Amendment लाइए, दिल नहीं मिलेंगे, तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। मैं एक मुसलमान की बात नहीं करता हूं। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बोद्ध की बात करता हूं। जम्मू-कश्मीर से मैं एक सम्प्रदाय को रिप्रेशेन्ट नहीं करता हूं, एक धर्म को रिप्रेशन्ट नहीं करता हूं, मेरे लिए सभी एक हैं। सभी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं। जम्मू-कश्मीर के साथ आपने इतना मज़ाक किया। 1947 से लेकर महाराजा हरि सिंह, 1947 के बाद the Prime Minister of Jammu and Kashmir and Sadar-i-Riyasat means, the President of Jammu and Kashmir. सदर-ए- रियासत उर्दू में लिखते हैं, उसका मतलब है, राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? चार प्राइम मिनिस्टर रहे। शेख़ अब्दुल्ला, 5-6 साल, शेख अब्दुला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद, 14-15 साल, फिर ख़्वाजा समसूद्दीन और चौथा प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक और गुलाम मौहम्मद सादिक के वक्त में वे प्राइम मिनिस्टर भी रहे और चीफ़ मिनिस्टर भी रहे। हमने इसको चेज किया। राष्ट्रपति

से गवर्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ़ मिनिस्टर बन गया, तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हुआ और आपने उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर पर खत्म किया। यह शर्म की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर, आपने जम्मू-कश्मीर को एक non-entity बना दिया, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना दें, ताकि आप क्लर्क की appointment भी यहीं से करें। क्या होता है, हम देख रहे हैं कि चार साल से पुडुचेरी का बेचारा चीफ़ मिनिस्टर रोज आता है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका काम नहीं करने देता है, हर चीज़ के लिए, सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाज़त लेनी पड़ती है। यह आप कानून लाए हैं, जम्मू-कश्मीर के लिए। जम्मू-कश्मीर इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज़्म की वजह से दुनिया में जाना जाता था और आप उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाने जा रहे हैं। जम्मू के मेरे भाई, मैं इनसे कहूंगा कि आप यह सोचो कि आप यू.टी. में हो, अब आप जम्मू-कश्मीर में नहीं हो। इसमें हिंदू, मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं भी जम्मू का हूं। ...**(व्यवधान)**... Union Territory, आप जरा गुजरात बनाकर देखिए। ...**(व्यवधान)**... इसे आज ही लाइए, मैं देख लेता हूं, आप बिल लाइए। यह कहना बड़ा आसान होता है ...**(व्यवधान)**... यह कहना बड़ा आसान होता है। ...**(व्यवधान)**... जिस स्टेट का चिल्ला रहा है, जरा अपनी स्टेट में कल लाइए और फिर देखिए कि क्या हाल होगा? यह कहना आसान होता है, लेकिन इतनी आसानी से इस राजनीति को मत लीजिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप भारत का एक इतिहास बदल रहे हो। आप पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाइए कि आपको पता ही न चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट का इतिहास मिटा दिया है, उसको मसल दिया है। उसको एक स्टेट से Union Territory बना दिया है। आपको खाली geography मालूम है, जम्मू-कश्मीर की हिस्ट्री मालूम है। आपको यह मालूम है कि लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं - एक लेह और दूसरी कारगिल। आपको यह मालूम है कि लद्दाख में शिया मुस्लिम्स की 52 परसेंट आबादी है और बौद्धिस्ट 48 परसेंट हैं। इन 52 परसेंट में कुछ और भी हमारे 2-4 परसेंट धर्म हैं, बौद्धिस्टों में भी कुछ 2 परसेंट और हैं, overwhelming majority amongst Buddhists. आज से बीस साल पहले तुमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी, वह बौद्धिष्ट स्टेट अब उसको कहते नहीं हैं, उसके बाद बहुत आबादी बढ़ी। अब उलटा हो गया है, अब लद्दाख मुस्लिम मेज़ोरिटी बन गया है। बौद्धिष्ट, हमारे लेह के भाई तीस साल पहले से Union Territory चाहते थे और कारगिल वाले लद्दाख से निकलकर Kashmir province में आना चाहते हैं, क्या यह किसी को मालूम है? ये कारगिल वाले ऐसा चाहते हैं। सुनिए, आप लॉ मत पढ़िए, हिस्ट्री... आप यह पढ़िए, मैं जिंदा हूं। 1991 में मैं Union Minister था। कई महीनों से लेह में Hill Council की हड़ताल चल रही थी और कारगिल में Anti Hill Council की चल रही थी। मैं Government of India की तरफ से negotiation करने गया था। जो आपके एम.पी. थे, अभी पिछली बार में, वे उसके Chairman थे और मेरी पार्टी के, लेजिस्लेचर पार्टी के leader, जो अभी आपका dissolve करने का प्वाइंट था, वे उसके General Secretary थे। मैंने इनके forum में पहली मीटिंग की थी और कई मीटिंगों के बाद उनसे agreement किया था कि हम आपको U.T. नहीं

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

देंगे, पर हमने उन्हें Hill Council पर मनवा लिया था, लेकिन कारगिल वालों की तब भी मांग थी और आज भी है कि हमें लद्दाख के साथ नहीं रहना है। हम लद्दाख की जगह तो छोड़ नहीं सकते, पर हमें कारगिल में रहना है। अभी आपने लद्दाख को Province का दर्जा दिया, आप जरा पाँच मिनट में देख लेते, अगर सिर्फ लेह में उसकी केपिटल रखते। आपको भी मजबूरी में लेह में भी उसकी केपिटल रखनी पड़ी और कारगिल में भी रखनी पड़ी। वह इसी मजबूरी में रखना पड़ा, क्योंकि कारगिल वाले कहते कि हमें कश्मीर की प्रोविंस में ले जाओ। क्या आपको मालूम है कि एक यू.टी. में यह प्रॉब्लम है? अब चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे? लद्दाख, जो कि हमारे जम्मू-कश्मीर का सबसे peaceful region था, आपने वहाँ के बौद्धिस्टों और वहाँ के शिया मुस्लिम्स के बीच एक नई जंग शुरू कर दी है। अब जम्मू और कश्मीर को यू.टी. किया है और उसको चलाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कितने बुद्धिमान लोग शेख अब्दुल्ला से लेकर सादिक तक, आप हमारी बात छोड़िए, ये लोग वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये वहाँ की राजनीति से जूझ रहे हैं, लेकिन आप एक आईएएस ऑफिसर को, Joint Secretary को या अपनी पार्टी से किसी व्यक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएंगे और वह जम्मू-कश्मीर के मसले हल करेगा। कि आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप सिर्फ हिन्दुस्तान पर हुकूमत नहीं करते, पूरे विश्व पर हुकूमत करते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी चीज आपकी समझ में नहीं आई कि अब जम्मू और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएगा! इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है। मुझे अफसोस आपकी सोच पर है। आप तो एक नया भारत बनाने वाले हैं, तो क्या आप पुराने भारत को बिगाड़ देंगे, खत्म कर देंगे? तोड़, फोड़, जोड़ और फिर नया भारत तो बनेगा। इसलिए आप भारत के इतिहास के साथ, भारत की यकजहती के साथ, अखंडता के साथ, भारत के culture के साथ वोट लेने के लिए यह खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत हो गया। यह भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा, जिस दिन यह कानून पास होगा। हिन्दुस्तान के इतिहास में और इस नए भारत के इतिहास में यह काला धब्बा है कि आज आप जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, 35-A खत्म कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर स्टेट को तोड़ कर delimitation कर रहे हैं। इस तरह से हिन्दुस्तान के नक्शे से वह कश्मीर, जिसके लिए कहते हैं 1947 में जब बाहर से, पाकिस्तान से लोग आए थे, तो कश्मीर में नारा चलता था, "जिस कश्मीर को खून से सींचा, वह कश्मीर हमारा है", उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पाँव तले रौंद दिया है और आपने वह इतिहास मिटा दिया है। भारत का इतिहास और हिन्दुस्तान के लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच देश के लिए होती है, देश के उत्थान के लिए होती है, देश की यकजहती के लिए होती है, देश की सलामती के लिए होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में जिन हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की सोच है, वे कभी भी आपके इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आप majority से, अपनी ताकत के बलबूते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने में आप असफल होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** مانّئے ڈپٹی چیئرمین سر، جس بل پر مجھے آج بولنا تھا اور جو بل راجیہ سبھا میں آج چرچا کے لئے لسٹ میں آیا تھا، وہ تھا Reservation for Economically Weaker Sections. یہ بل کچھ مہینے پہلے پورے دیش کے لئے اس سدن میں آیا تھا۔

مہودے، میں اس بل پر چرچا کرنے کے لئے سوچ کر آیا تھا، اب اس چرچا کے معنی ہی نہیں رہے – کیوں کہ اس بیچ میں آج، شاید جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جموں کشمیر میں ایک تو سال 1947 کا اتہاس تھا، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن میرا پیدا ہونے کے بعد اور میری سیاسی زندگی میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس اسٹیٹ کے ساتھ، جو ہمارے بھارت کا سر ہے، ایک دن وہ سر کاٹ دیا جائے گا۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ میں economically weaker section کے رزرویشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ستّر سال کے بعد دیش میں یہ بل آیا ہے تو یہ چار مہینے اور انتظار کر سکتا تھا، تاکہ ودھان سبھا میں، وہاں جو لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، پرتی-ندھی ہیں، جو الگ الگ strata سے تعلق رکھتے ہیں، اپر-کاسٹ، بیک ورڈ کاسٹ، مائنارٹیز؛ مائنارٹیز بھی الگ الگ ہیں، وہاں ہندو مائنارٹی ہے، سکھ مائنارٹی ہے، کرشچین مائنارٹی ہے، جین مائنارٹی ہے، وہاں لدّاخ کے لوگ ہیں، وہاں جموں کے لوگ ہیں اور کشمیر کے لوگ ہیں۔ اس پر اور وستار سے چرچا کرتے، میں تو اپنی طرف سے اس کے سپورٹ میں آیا تھا، کیوں کہ میں مانتا ہوں کہ غریب لوگ صرف ایک دھرم میں یا ایک کاسٹ میں نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے اسٹیٹ میں ہی دیکھا ہے۔ میں نے اپر کاسٹ کے راجپوت بھی غریب دیکھے ہیں، اپر کاسٹ کے براہمن اور میرے بزنس مین بھائی اور بہنیں بھی غریب دیکھی ہیں، میں نے مسلم، دلت، بیک ورڈ، فارورڈ کے غریب بھی دیکھے ہیں۔ یہ ایک ایسا اچھا قدم ہے کہ ہم بجائے کاسٹ کے، جس میں ہم ہر وقت جاتے ہیں۔ ایک پرووژن کم سے کم ان غریبوں کے لئے ہے۔ غریبی اپنے آپ میں ایک دھرم بھی ہے اور ایک جاتی بھی ہے اور یہ ہر دھرم، ہر جاتی اور ہر کاسٹ پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ اچھا پرووژن ہے۔ میں صرف اتنی صلاح دینا چاہتا تھا کہ یہاں کے بجائے وہاں کی ودھان سبھا میں جب دو مہینے، تین مہینے یا چار مہینے میں الیکشن ہوتے، تب اس پر چرچا ہوتی۔ جہاں ستّر سال میں یہ لاگو نہیں ہوا، وہ اگر چھ مہینے بعد بھی لاگو ہوتا تو کوئی آسمان گرنے والا نہیں تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے پورا جموں-کشمیر،

---

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

لدّاخ پریشان تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ میں رات کو ڈھائی بجے سویا تھا، جموں-کشمیر سے بھی فون آتے تھے اور پورے دیش سے فون آتے تھے۔ الگ الگ افواہیں تھیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ کے دو حصے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ تین حصے کئے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ delimitation ہو رہی تھی، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل 370 ختم ہوگا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل 370 رہے گا، 35-اے ختم ہو جائے گا۔ یہ ٹیلی فون آنا اور چنتا صرف کشمیر ویلی سے نہیں تھی، بلکہ لدّاخ سے بھی تھی اور جموں سے بھی تھی۔ جب میں جموں کی بات کرتا ہوں تو راجوری پونچ سے لے جموں، کٹھوا اور سامبا سے لے کر، ادھم پور سے لے کر رام-بان، بریہال اور کشتواڑ تک بات کرتاہوں۔ میں جموں شہر کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جموں، شہری جموں نہیں ہے، دس ڈسٹرکٹس میں اور ان ڈسٹرکٹس میں سب دھرموں کی آبادی ہے۔ ان دس ڈسٹرکٹس میں جموں کے ہندوؤں کی آبادی ہے، مسلم، کرشچین، جین اور سکھ بھی ہیں۔ شاید یہ وچار دھارا کرنے کے لئے چنتا کا وشئے نہیں ہو، لیکن جن سب کے نام لئے، ان کے لئے یہ چنتا کا وشئے تھا، لیکن آج جس طرح سے اچانک ایٹم بم پھٹتا ہے، ویسے ہی صبح اس سدن میں ہوا۔

مانیئے گرہ منتری جی جب آئے تو ایسا وِسفوٹ ہوا کہ ایک ہفتے سے جن ایک ایک چیز کے لیے آشنکائیں محسوس کی جا رہی تھیں، جب سے یہاں سے بھی ملٹری فورسیز کو جموں وکشمیر بھیجا گیا تھا، جب سے اے۔ ڈی۔ جی۔ پی۔، جے۔ کے۔ پی نے سبھی ایس پیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے اور اگر نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر سپلی مینٹ کیا جائے گا۔ ہاسپٹلز میں written advisory دی جا رہی تھی کہ کوئی بھی ڈاکٹر چھٹی پر نہیں جائے گا۔ جہاں پر کارگل کی ہل کاؤنسل تھی، مجھے لیہہ کا نہیں ملا، لیکن مجھے کارگل کے ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کی کاپی ملی کہ کوئی بھی آفیسر نچلے لیول تک چھٹی نہیں لے پائے گا۔ یہ 27 تاریخ سے--- اور ہوم منسٹر کی ایڈوائزری لکھت میں ہے کہ سبھی یاتری، جو امرناتھ جی یاترا کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ واپس آنا شروع کردیں، جو ٹورسٹ ہیں، وہ واپس آئیں

اور جو اڈوائزری میں نہیں تھا، جیسے سینٹرل یونیورسٹی ہے، این آئی ٹی ہے، اس میں دیش بھر کے 600-500 سے زیادہ بچے کشمیر وادی میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے شیوار صبح بسیں لگائی گئی تھیں اور ان کو evacuate کیا جا رہا تھا، جو اڈوائزری میں نہیں تھا، لیکن لوکل اڈمنسٹریشن by word of mouth جو ہندوستان بھر کے لاکھوں مزدور ہیں، جو گرمیوں میں وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں، کچھ مزدور، کچھ کارپینٹرس، کچھ میسن اور کچھ کانٹریکٹرس ہیں، جو سڑکیں بنانے کے لیے، بلڈنگز بنانے کے لیے ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا، تو ایک ہفتے سے ہی جموں وکشمیر اور خاص طور سے کشمیر وادی میں اور جموں پرانت کے کچھ ڈسٹرکٹس میں ایک بھئے، ایک خوف اور ایک آتنک کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا، کب ہوگا؟ میں نے جن چیزوں کا اُلیکھ کیا کہ لوگوں کو جس چیز کا ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی ہوسکتی تھی، لیکن کبھی بھی جموں وکشمیر کا، بھارت کا ہیڈرین کا... کیوں کہ جموں وکشمیر سال 1947 سے ہی دنیا میں چرچہ کا موضوع بنا رہا اور دیش کی چرچہ کا موضوع ہمیشہ بنتا رہا، تو میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بُدّھیمان آدمی ہو، کتنا بھی عقلمند آدمی ہو، اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا ہوگا۔ کشمیر میں کتنا بھی اکسپرٹ ہو، کشمیر میں کئی اکسپرٹ ہیں لیکن ہندستان سے زیادہ ودیشی ملکوں میں ہیں۔ شاید ان میں سے کسی نے بھی یہ اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ ان چار پانچ چیزوں میں سے ایک نہیں، چار کی چار چیزیں ایک ہی آرڈر میں یہاں مانیئے گرہ منتری جی پڑھیں گے اور اسی دن سدن میں لائیں گے اور اسی دن چرچہ بھی ہوگی اور اسی دن پاس بھی کریں گے۔

مانیئے ڈپٹی چیئرمین صاحب، یہ بل 57 صفحوں کا ہے۔ یہاں ایک ایک صفحہ کا بل بھی آتا ہے اور ہم یہاں روز لڑائی کرتے ہیں کہ ہمیں امینڈمینٹ دینے کا موقع حاصل نہیں ہوا۔ ہمارے پارلیمنٹ رولز میں ہے کہ دو دن پہلے وہ بل آنا چاہیئے، تاکہ ہم پڑھیں اور امینڈمینٹ دیں۔ سادھارن بلز ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہندستان کے نقشے میں سے ایک اسٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ I am talking about the States.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

ہمارے 29 اسٹیٹس تھے۔ آپ 28 کررہے ہیں تو ایک اسٹیٹ تو ختم ہوگئی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔۔(مداخلت)۔۔۔ Mr. Yadav, let me speak. I am not abusing. I am telling the truth. کیا آپ کے اس بل میں 29 اسٹیٹس ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ایک اسٹیٹ ختم ہوگئی ہے نہ۔ آپ بتائیے، اٹھکر جمع کرکے مجھے بتائیے کہ آج اس بل کو پاس کرنے کے بعد 29 اسٹیٹس ہوں گے۔ تو ایک اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ہندوستان کے نقشے سے ختم ہوگئی۔(مداخلت)۔۔ آپ کیا بات کررہے ہیں؟ ۔۔(مداخلت)۔۔ پلیز، ذرا سمجھاکر دیجئے۔

سر، تو ایک اسٹیٹ نہیں ہوگا اور وہ کون سا اسٹیٹ ہوگا وہ اسٹیٹ صرف سِر نہیں ہے، سرتاج نہیں ہے، وہ چائنا کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پی او کے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جہاں چین نے حملہ کیا، اس کے ساتھ لڑائی لڑی پڑی، پاکستان کے ساتھ تین چار لڑائیاں ہوئیں، اس کے ساتھ لڑائی لڑری پڑی اور جہاں ہماری فوج نے ہماری سرحدوں کی سرکشا کی، وہاں جمو وکشمیر کی عوام نے، جموں وکشمیر کی mainstream political parties نے ہمیشہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاکر پاکستان کا مقابلہ کیا ہے، چین کا مقابلہ کیا ہے۔ وہاں پر ہمارے جو سورسیز ہیں۔ - میں وہاں پر چیف منسٹر رہا ہوں، ہمارے اس طرح کے اسٹیٹس میں، جو بارڈر اسٹیٹس ہیں، اور ایک نہیں، دو دیشوں کے ساتھ۔ وہاں جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہونگے، جب تک وہاں کے لوگ آپ کو خبر نہیں دیں گے، جب تک وہاں کے لوگ آپ کو وہاں کے hideouts نہیں بتادیں گے، تب تک چاہے آپ ایک ہزار سال تک لڑتے رہیں، آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے۔ افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ہر لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے۔ کیوں کہ ہمارے لوگ، جو نیشنلسٹ لوگ تھے، جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور ہندوستان کو اپنا دیش مانتے تھے، وہ ہمیشہ ہماری سیکورٹی فورسیز کو، چاہے آرمی ہو، آرمی انٹیلی جنس ہو، آئی بی ہو، سی آئی ڈی ہو یا RAW ہو۔ انہیں خبر دیتے تھے۔۔ اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگوں

کا ہوتا تھا، کیوں کہ انہیں جغرافیہ معلوم تھا، انہیں لوگ معلوم تھے۔ وہاں جتنی اچیومینٹس ہوئیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ کریڈٹ میں کشمیر کے لوگوں کو دیتا ہوں، جنہوں نے فورسیز کی مدد کی ہے۔ آرمی فورسیز کی، پارا ملٹری فورسیز کی اور سیکورٹی فورسیز کی، اور اس وشواس کے ساتھ کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندستان کے ساتھ رہنے کے لیے Accord کیا، Accession کیا، انہوں نے پاکستان کو chose نہیں کیا، کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کو ایک دھرم ہونے کے باوجود اپنا دیش نہیں مانا۔ انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا، ہندستان کے سیکولرزم کو مانا، انہوں نے ہندستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا قبول کیا، نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ، یہ وشواس تھا۔ آج آپ نے اس وشواس کے ساتھ وشواس گھات کیا ہے۔ جس وشواس کے ساتھ، جس بھروسے کے ساتھ اس وقت کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے۔ ہم تو آزاد ہندستان میں پیدا ہوئے، ہمیں تو وشواس ہی وشواس ہے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے جو وشواس کیا تھا اور جو یہاں رہے، انہوں نے وشواس کیا تھا، پنڈت جواہر لعل نہرو پر، انہوں نے وشواس کیا تھا، سردار پٹیل پر کہ یہ ہمیں سرشکا دیں گے۔

وہ ہمارے کلچر کو نہیں بگاڑیں گے، وہ ہماری تاریخ کو، ہمارے اتہاس کو ختم نہیں کریں گے، ہمارے اصولوں کو نہیں توڑیں گے اور ہمارے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ شیخ عبداللہ، موتی رام بیگرا، افضل بیگ اور مہاراجہ ہری سنگھ، ان سب کو میں بدھائی دیتا ہوں، اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی--- ان کشمیر کے لوگوں نے، عوام نے--- اور جب جب بھی آواز اٹھی علیحدگی کی، تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ مین-اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ماری گئی ہیں۔ یہ ہزاروں، سیکڑوں جو بیوائیں بنی ہیں، کچھ کو تو ان ملی-ٹینٹس کے ذریعے مارے گئے یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، ہماری فوج بھی ماری گئی، پولیس بھی ماری گئی اور سی-آر-پی-ایف- بھی ماری گئی۔ یہ اتنی قربانیوں کے بعد، آج جب جموں – کشمیر پورا مین اسٹریم میں تھا، آج جموں کشمیر میں رہنے والوں کی شادیاں پورے میں ہو رہی تھیں، انٹر ریلیجن شادیاں ہو رہی تھیں، آج جب پورے دیش میں بچے ہندوستان کے میڈیکل

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں، دوسرے ٹیکنکل ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، اتنا انٹیگریشن پچھلے بیس تیس سال میں ہوا، آج آپ نے اس کو ڈس-انٹیگریٹ کرنے کی پھر ایک آدھار شیلا رکھی ہے۔ قانون سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے، انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے۔ اس سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے قانون بنائے۔ دل مل گئے، تو کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا بھر کے کانسٹی ٹیوشن امینڈمینٹ لائیے، دل نہیں ملیں گے، تو کوئی آپ کو اکٹھے نہیں رکھ سکتا۔ میں ایک مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودّھ کی بات کرتا ہوں۔ جموں کشمیر سے میں ایک فرقے کو ریپریزینٹ نہیں کرتا ہوں، ایک دھرم کو ریپریزینٹ نہیں کرتا ہوں، میرے لئے سبھی ایک ہیں۔ سبھی جموں کشمیر اور لداخ کے لوگ لوگ ہیں۔ جموں کشمیر کے ساتھ آپ نے اتنا مذاق کیا 1947 سے لے کر مہاراجہ ہری سنگھ، 1947 کے بعد the Prime Minister of Jammu and Kashmir and Sadar-I-Riyasat means, the President of Jammu and Kashmir. صدر ریاست اردو میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے، راشٹرپتی۔ پرائم منسٹر کتنے رہے؟ چار پرائم منسٹر رہے۔ شیخ عبداللہ، پانچ-چھ سال، شیخ عبداللہ کے بعد بخشی غلام محمد، چودہ-پندرہ سال، پھر خواجہ شمس الدین اور چوتھا پرائم منسٹر غلام محمد صادق اور غلام محمد صادق کے وقت میں وہ پرائم منسٹر بھی رہے اور چیف منسٹر بھی رہے۔ ہم نے اس کو چینج کیا راشٹرپتی سے گورنر بن گیا پرائم منسٹر سے چیف منسٹر بن گیا تو شروع مہاراجہ سے ہوا، پرائم منسٹر اور راشٹرپتی ہوا اور آپ نے اسے لیفٹیننٹ گورنر پر ختم کیا یہ شرم کی بات ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر بناکر، آپ نے جموں کشمیر کو ایک non-entity بنا دیا تاکہ آپ چپراسی بھی یہیں سے بنا دیں، تاکہ آپ کلرک کی appointment بھی یہیں سے کریں۔ کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار سال سے پڈوچیری کا بے چارہ چیف منسٹر روز آتا ہے، ایک لیفٹیننٹ گورنر اس کا کام نہیں کرنے دیتا ہے، ہر چیز کے لئے، سانس لینے کے لئے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے پاس جانا پڑتا ہے، پانی پینے کے لئے بھی اسے لیفٹیننٹ گورنر سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ آپ قانون لائے

ہیں، جموں کشمیر کے لئے۔ جموں کشمیر اتہاس کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے،سیاحت کی وجہ سے، ٹورزم کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا تھا اور آپ نے اس کو ایک یونین ٹیریٹری بنانے جا رہے ہیں۔

جموں کے میرے بھائی، میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ سوچو کہ آپ یونیٹی میں ہو، اب آپ جموں-کشمیر میں نہیں ہو۔ اس میں ہندو، مسلمان کا سوال نہیں ہے، میں بھی جموں کا ہوں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ یونین ٹیریٹری، آپ ذرا گجرات بنا کر دیکھئے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ اسے آج ہی لائیے، میں دیکھہ لیتا ہوں، آپ بل لائیے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ جس اسٹیٹ کا چلّا رہا ہے، ذرا اپنی اسٹیٹ میں کل لائیے اور دیکھئے کہ کیا حال ہوگا؟ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن اتنی آسانی سے اس ریاست کو مت لیجئے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ آپ بھارت کا ایک اتہاس بدل رہے ہو۔ آپ پاور کے نشے میں اتنا مت گم ہو جائیے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک اسٹیٹ کا اتہاس مٹا دیا ہے، اس کو مسل دیا ہے۔ اس کو ایک اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے۔ آپ کو خالی جغرافیہ معلوم ہے، جموں-کشمیر کی ہسٹری معلوم ہے۔ آپ یہ معلوم ہے کہ لدّاخ میں دو ڈسٹرکٹس ہیں – ایک لیہہ اور دوسری کارگل۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ لدّاخ میں شیعہ مسلمس کی 53 فیصد آبادی ہے اور بدّھسٹ 48 فیصد ہیں۔ ان 52 فیصد میں کچھہ اور بھی ہمارے دو-چار فیصد دھرم ہیں، بدّھشٹوں میں بھی کچھہ دو فیصد اور ہیں۔ Overwhelming majority between Buddhists. آج سے بیس سال پہلے تم نے جو ہسٹری پڑھی تھی، وہ بدّھسٹ اسٹیٹ اس کو کہتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد بہت آبادی بڑھی۔ اب الٹا ہو گیا ہے، اب لدّاخ مسلم میجورٹی بن گیا ہے۔ بدّھشٹ، ہمارے لیہہ کے بھائی بیس سال پہلے سے یونین ٹیریٹری چاہتے تھے اور کارگل والے لدّاخ سے نکل کر کشمیر پروونس میں آنا چاہتے ہیں، کیا یہ کسی کو معلوم ہے؟ یہ کارگل والے ایسا چاہتے ہیں۔ سنئے، آپ لاء مت پڑھئے، ہسٹری۔۔۔یہ پڑھئے، میں زندہ ہوں۔ 1991

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

میں، میں یونین منسٹر تھا۔ کئی مہینوں سے لیہہ میں ہل-کاؤنسل کی ہڑتال چل رہی تھی اور کارگل میں اینٹی-ہل-کاؤنسل کی چل رہی تھی۔ میں گوورنمینٹ آف انڈیا کی طرف سے negotiation کرنے گیا تھا۔ جو آپ کے ایم۔پی۔ تھے، ابھی پچھلی بار میں، وہ اس کے چیئرمین تھے اور میری پارٹی کے، لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر، جو ابھی آپ کا dissolve کرنے کا پوائنٹ تھا، وہ اس کے جنرل سکریٹری تھے۔ میں نے ان کے فورم میں پہلی میٹنگ کی تھی اور کئی میٹنگوں کے بعد ان سے ایگریمینٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو یو۔ٹی۔ نہیں دیں گے، پر ہم نے انہیں ہل-کاؤنسل پر منوا لیا تھا، لیکن کارگل والوں کی تب بھی مانگ تھی اور آج بھی ہے کہ ہمیں لدّاخ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ہم لدّاخ کی جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے، پر ہمیں کارگل میں رہنا ہے۔ ابھی آپ نے لدّاخ کو پروونس کا درجہ دیا، آپ ذرا پانچ منٹ میں دیکھ لیجئے، اگر لیہہ میں اس کی کیپیٹل رکھتے۔ آپ کو بھی مجبوری میں لیہہ میں بھی اس کی کیپیٹل رکھنی پڑی اور کارگل میں بھی رکھنی پڑی۔ وہ اسی مجبوری میں رکھنا پڑا، کیوں کہ کارگل والے کہتے کہ ہمیں کشمیر کی پروونس میں لے جاؤ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک یو۔ٹی۔ میں یہ پرابلم ہے؟ اب چیف منسٹر کس کو منائیں گے؟ لدّاخ، جو کہ ہمارے جموں کشمیر کا سب سے peaceful region تھا، آپ نے وہاں کے بدّھشٹوں اور وہاں کے شیعہ مسلمز کے بیچ ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے۔ اب جموں اور کشمیر کو یو۔ٹی۔ کیا ہے اور اس کو چلائے گا لیفٹیننٹ گورنر۔ کتنے بدّھمان لوگ شیخ عبداللہ سے لے کر شاہد تک، آپ ہماری بات چھوڑئے، یہ لوگ وہاں چیف منسٹر رہے ہیں، یہ وہاں کی سیاست سے جوجھ رہے ہیں، لیکن آپ ایک آئی۔اے۔ایس۔ آفیسر کو، جوائنٹ سکریٹری کو یا اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو اٹھاکر لیفٹیننٹ گورنر بنائیں گے اور وہ جموں کشمیر کے مسئلے حل کرے گا۔

میں سجمتھا تھا کہ آپ تو بڑے بدّھیمان ہیں، آپ صرف ہندوستان پر حکومت نہیں کرتے، پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اب جموں اور کشمیر لیفٹیننٹ گورنر چلائے گا! اس لئے مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔

مجھے افسوس آپ کی سوچ پر ہے۔ آپ تو ایک نیا بھارت بنانے والے ہیں، تو کیا آپ پرانے بھارت کو بگاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے؟ توڑ، پھوڑ، جوڑ اور پھر نیا بھارت تو بنے گا۔ اس لئے آپ بھارت کے اتہاس کے ساتھ، بھارت کی ایکجہتی کے ساتھ، اکھنڈتا کے ساتھ، بھارت کے کلچر کے ساتھ ووٹ لینے کے لئے یہ کھلواڑ مت کیجئے۔ بہت ہو گیا۔ یہ بھارت کے اتہاس میں کالا دھبّہ ہوگا، جس دن یہ قانون پاس ہوگا۔ ہندوستان کے اتہاس میں اور اس نئے بھارت کے اتہاس میں یہ کالا دھبّہ ہے کہ آج آپ جموں-کشمیر سے آرٹیکل 370 ختم کر رہے ہیں، 35-اے ختم کر رہے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر اسٹیٹ کو توڑ کر delimitation کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ہندوستان کے نقشے سے وہ کشمیر، جس کے لئے کہتے ہیں 1947 میں جب باہر سے، پاکستان سے لوگ آئے تھے، تو کشمیر میں نعرہ چلتا تھا، "جس کشمیر کو خون سے سینچا، یہ کشمیر ہمارا ہے"، ان ہزاروں بہنوں نے، بھائیوں نے، نوجوانوں نے جس خون سے سینچا تھا، آج اس خون کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے اور آپ نے وہ اتہاس مٹا دیا ہے۔ بھارت کا اتہاس اور ہندوستان کے لوگ، جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، جن کی سوچ صرف ووٹ پر نہیں ہوتی ہے، جن کی سوچ دیش کے لئے ہوتی تھی، دیش کے اتھان کے لئے ہوتی ہے، دیش کی ایکجہتی کے لئے ہوتی ہے، دیش کی سلامتی کے لئے ہوتی ہے، دیش کو آگے بڑھانے کے لئے دیش بھر میں جن ہندو-مسلمان، سکھ، عیسائیوں کی سوچ ہے، وہ کبھی بھی آپ کے اس کالے قانون کو برداشت نہیں کریں گے۔ چاہے آپ میجورٹی سے، اپنی طاقت کے بل بوتے سے قانون لائیں گے، لیکن اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے میں آپ ناکام ہوں گے۔ بہت بہت دھنیواد۔

(ختم شد)

3.00 P.M.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, on some days we need to restate the very obvious and the very basics. But let me start by doing that. We love our motherland. We love our democracy. We love our Parliament. We will do what it takes to fight for the integrity of Parliament. We love the federalism which our founding fathers gave us. In fact, the founding fathers would have thought this out in great detail and would have led us out of colonial rule and through our Independence. But today, we have to start questioning the very basics because today is black Monday. Every Monday, sometimes if it is a bad Monday, it can be a black Monday. But this is a black Monday.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair*]

This is a dark day, a dark day for parliamentary democracy, a dark day for federalism, a dark day for the Constitution, a dark day for the Rajya Sabha and a dark day for the idea of India. This is not rhetoric. Let me begin by telling you why it is a dark day for the Constitution. Firstly, what happened this morning by tearing off our sacred book was unnecessary. There is no one who can condone that. But, Sir, classroom basics, Article 3 of the Constitution makes it very clear. 'From a new State by separation of territory from any State, or by uniting two or more States, or parts of States, and it goes on to say...' Basically, what happened today? Because sometimes, when we read the Constitution also, it is very clear. What happened today? What happened today is that there is President's Rule in Jammu and Kashmir. So, you bring this Presidential route, and you rewrite the State. This is basically what happened today. I will get to how even Parliament was hoodwinked and made a mockery of. But, basically, this is what has happened. The Constitution has been sadly, either forgotten conveniently, or, thrown into the dustbin, and before I proceed, I would like to sincerely appeal through you, Sir, to my colleagues in the parties with the strong regional presence, be they in Odisha, be they in Telangana, be they in Tamil Nadu, be they in Andhra Pradesh, be they in Bihar, or anywhere else. Sir, what this basically means is that apply President's Rule on a State, then, dissolve the House, then, you bring a Presidential proclamation, then, in the morning, you do this, and I will get to the Parliamentary Part of it, then you pass it. So, Bengal can become four States; Odisha, what is your lucky number? Seven. Okay, make it seven States; or, your worse still, you make it UT. This is the big issue how this morning we have made a complete mockery

of the Constitution. I want young India, I want the students in classrooms around India, I want the students in colleges around India, to go home this evening, and read Article 3 of the Constitution. Then, they will know what the BJP has done to you today. And it saddens me that it is not the BJP alone, they have some people with them.

Now, let us come to the mockery of Parliament. Thank you, Sir. At least, now, I can get to make the point which I wanted to make, but, I could not make in the morning of a very simple Rule. The Rule is like this, Sir. And check the timing when this happened because this is important. Today, what we saw was a mockery of Parliament. Let me tell you how. Rule 29 which deals with List of Business,—I am saying this with all the responsibility at my command,—at 11.07 a.m., maybe, 11.06 a.m. or maybe 11.08 a.m., the Home Minister moved a Resolution and the Bills. All the three Bills we are discussing here, the LoP has mentioned about that; that was at 11.07 a.m. I tried to raise this from 11 O'clock to 11.20 in the morning. At 11.07 a.m. that was done, the Revised List of Business reached the Members at 11.18 a.m. What are we doing to this glorious institution? You will first move a Resolution, then, you will give us the Revised List of Business, and then, as Supplementary, which is supposed to come even one minute before. You forget about it two days before. We are supposed to get everything two days before, but, that we have forgotten about it. Now, we have to be ready for some crumbs they throw at us. But, no, Sir, no crumbs. We will fight this; we will fight this everyday in Parliament and outside.

Let us talk about federalism, Sir. Don't believe what Trinamool Congress says or any other party says. Believe what Dr. Ambedkar said, and Dr. Ambedkar had said more than once, that the heart of our Constitution is federal, and only in times of extremity, do we look at it through the lens of unitary. Sir, it is very clearly mentioned in the Constitution. 'India, that is Bharat, is a Union of States.' Now, I will be told, Sir, how else could we have done this? This had to be done at the stealth of night! The Parliamentary Affairs Minister was sending SMSs to leaders of parties last night, reconfirming the List of Business today. I am not saying he can't do that. But, don't play these games. This is Parliament. Someone calls it dirty game. I don't call it even dirty game, this is cheap stuff. You had to make this big decision. You subverted the Constitution. You have applied all kinds of pressure here and there; everyday one Member will go and join you. You decide for big issues like this. Could you have called an all-party meeting? Could you have done something? We are all for national interest.

[Shri Derek O'Brien]

First is the national interest and then is the State interest. So, don't lecture here on this. Otherwise, I will give you the history of 1947 and then you people will not like that. I don't want to go into that because the time is very limited. State issues, federal issues, and national issues. When these things happen and if you are in Parliament, beyond the tamed television channels and the tamed media owners, I also have to see what is happening on the social media today morning. It is being called by the right wing— and this is all over—'the final solution'. Sir, the final solution! What does that mean? That means 1942. This was the Nazi plan for the genocide; the code named to murder the Jews was called 'the final solution'. What are we witnessing today on August 5th, 2019? ...*(Interruptions)*... What are we seeing? ...*(Interruptions)*...

Sir, I want to take you back to Parliament on January 3rd, this year. The then Home Minister, Rajnath Singhji, assured Rajya Sabha, 'All is well. Being on the elections to Parliament, we are waiting for the EC'. June 29th, not very long ago, the present Home Minister, also said in Parliament. Sir, there is also a very important date here. On March 10th, the Parliamentary elections got announced. On March 11th, the EC appointed three observers for Jammu and Kashmir. Please tell me what those three EC observers said. On April 15th, what did they say? 'The observers reported to EC that the situation is conducive to hold elections immediately after the Lok Sabha polls.' No political party said this. The observers said this. I know what is predictable now! In the answer, we will get, 'EC? EC से हमारा कुछ लेना-देना नहीं है।' But we all know, Sir. We all know what is happening.

Sir, I am also appealing to my other friends. I mentioned the parties. I am also, through you, appealing to the three friends from the Aam Aadmi Party. They have dealt with the Lt. Governor for a long while. For God's sake, don't get into another Lt. Governor. Please oppose this legislation.

Sir, I will conclude by paraphrasing three-four sentences which pretty much summarise today beyond the legality, beyond the mockery of our Parliamentary institution. I don't know whether it is anger or disappointment or all rolled into one. But this is the truth. That is why, the Trinamool Congress stands here. It is a paraphrase:

First, they came for the dalit' and

I said, 'I am not a dalit.

So, I didn't stand up.

Then, they came for the oppressed.

And I said, 'I am not an oppressed.'

So I didn't stand up.

Today, they came for the Kashmiris.

And I said, 'Oh! I am not a Kashmiri.'

So, I will not stand up!

No, Sir, we will stand up because then, when they come for me, there will be no one to stand up. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री सुशील कुमार गुप्ता। आपका 3 मिनट का समय है। थोड़ा कम ही है, परन्तु आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): आपका धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। ...**(व्यवधान)**... सर, मेरा माइक ऑन नहीं है। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग हैं। धारा 370 हटाना देशहित का मामला है। श्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देशहित के मामलों में हमेशा सबसे आगे रही है। अलगाववाद और आतंकवाद का हम हमेशा से विरोध करते रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी आज सदन में प्रस्तुत बिल का समर्थन करती है। ...**(व्यवधान)**...भारत की संसद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में देश के पवित्र संविधान के साथ कोई व्यक्ति यदि छेड़छाड़ करता है या उसे फाड़ता है, हम उसकी निन्दा करते हैं। हमारा संविधान वह ग्रंथ है जो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वोच्च संस्थाओं के शीर्ष पर बैठने का अधिकार देता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल होगी तथा वहां सरकार विकास के कार्य करेगी। हम हमेशा पूर्ण राज्य में विश्वास करते हैं। मैं अपने मित्र देरेक जी को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी Lieutenant Governor के जुल्मों को सह लेगी परन्तु देश की अखंडता के लिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, हम ऐसे बिलों का समर्थन करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब कश्मीर में शांति कायम होगी और विकास कार्य होंगे। हम चाहते हैं कि वहां के मासूम नागरिकों की हत्याएं बंद हों। हमारे जवानों को वहां जिस तरह लगातार शहादत देनी पड़ती है, वह बंद हो। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का जो भारी-भरकम बजट, वहां आतंकवाद और अलगाववाद से जूझने कि लिए खर्च होता था, अब वह शांति कायम करने में खर्च हो और जम्मू-कश्मीर के विकास में लगे। देश के कोने-कोने से लोग वहां जाकर अपना व्यापार कर सकें, जिससे वहां के लोगों का विकास हो, जय हिन्द।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद। मैं जब 14वीं लोक सभा का सदस्य था, मुझे एक बार Petroleum Committee के सदस्य के रूप में, कश्मीर जाने का मौका मिला। केवल एक बार ही मैं कश्मीर में, श्रीनगर से लेकर पहलगाम और गुलमर्ग तक गया हूं। जब हम गुलमर्ग जा रहे थे, तो एक स्थान पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी रुकवा ली। वहां सब लोगों ने उतरकर घाटी की सुन्दरता को देखकर कहा था कि जो विभाजन हुआ, वह बहुत खराब था। उसकी वजह से यहां आतंकवाद बढ़ रहा है और दूसरे प्रदेशों से लोगों के आने में दिक्कत हो रही है। वह बहुत खूबसूरत स्टेट है। वैसे तो मैं धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप उसे हटाने जा रहे हैं। अगर धारा 370 को हटाना ही था तो हटा देते, लेकिन उसकी स्टेटहुड आपने क्यों खत्म कर दी ? क्या ऐसा जरूरी था कि धारा 370 हटाने के लिए उसे यूनियन टैरिटरी बना दिया जाए ? ऐसा कोई constitutional compulsion नहीं है। ...**(व्यवधान)**... देश में अभी 29 राज्य हैं, अब 28 रह जाएंगे। 7 यूनियन टैरिटरीज़ हैं, अब से थोड़ी देर बाद, वे 9 हो जाएंगी। संविधान की पहली अनुसूची में सब कुछ दिया हुआ है। जब से आपने वहां para military forces की संख्या को बढ़ाया और जिस तरह से मीडिया ने देश में हाइप पैदा किया, आपको उसकी चिन्ता करनी चाहिए थी। कई बार अनावश्यक रूप से मीडिया द्वारा लोगों के मन में आशंका और भय जैसी निराधार चीजें पैदा कर दी जाती हैं। सारे देश में यह आशंका थी कि कुछ अनहोनी हो सकती है। दो-तीन दिन पहले ही जब यहां पर किसी मसले पर चर्चा चल रही थी, तब उधर से बहुत जोर-शोर से कहा जा रहा था कि कश्मीर में स्थिति को इतना सुधारा, हिन्दुस्तान में पहली बार अमरनाथ यात्रा शांतिमय तरीके से संपन्न होने जा रही है। आपने अकस्मात अमरनाथ यात्रियों के श्रद्धालुओं को वापस कर दिया, सारे होटलों की बुकिंग बंद कर दी, कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता है, जो वहां पर थे, उन सबको निकाल कर बाहर कर दिया और कहा कि जाइए, वापस जाइए। इससे लोगों के मन में एक आशंका पैदा हुई कि कोई ऐसी-वैसी बात हो सकती है, जिससे अशांति हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और वह यह है कि अशांति होने से अलगाववादियों को प्रसन्नता होती है, लेकिन जो शांतिमय तरीके से रहने वाले लोग हैं, उनके मन में भय होता है, उनको डर लगता है, तो वह और ज्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है। अलगाववादी तो चाहते ही हैं कि वहां गोली चले। अलगाववादी चाहते हैं कि लोग मारे जाएं। अलगाववादी चाहते हैं कि पुलिस की गोली के रिएक्शन में लोग, जो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, उनका भारत के साथ जो जुड़ाव है, उसमें कमी आए, यही तो चाहेंगे और आप वही करने जा रहे हैं।

आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, जब-जब कहीं पुलिस के बल पर, सेना के बल पर या अन्य तरह के फोर्सेज़ के बल पर पब्लिक को दबाने की कोशिश की गई, तो पब्लिक को दबाया नहीं जा सका। किसी मामले पर जब जनता उठ खड़ी होती है... आपने थोड़े से लोगों को भी confidence में ले लिया होता, जनप्रतिनिधियों को भी, तो यह जो मीडिया के जरिए पूरे देश में भय जैसा वातावरण पैदा कर दिया गया है, वह नहीं होता। वहाँ की ही, कश्मीर की

ही जो political parties हैं, वहां के जो people's representative हैं, अगर उनको भी विश्वास में ले लिया होता, तो लोगों के मन में जो आशंका है, वह नहीं होती। अब तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि वहां ऐसा हो सकता है, वहां वैसा हो सकता है। सारे टेलीफोन्स बंद कर दिए गए, इंटरनरेट बंद कर दिए गया, सब कुछ कर दिया गया। जब मीडिया के माध्यम से यह प्रचार बाहर जाता है, देश के अंदर नहीं, बल्कि देश के बाहर भी तो जाता है, आप उसे नहीं रोक सकते। अगर हिन्दुस्तान से बाहर के मुल्कों की opinion हमारे खिलाफ हो जाए, तो क्या वह हमारे विदेश नीति को प्रभावित करने वाली चीज नहीं होगी? क्योंकि हम आज के युग में अपने को isolate करके नहीं चल सकते हैं। हमें अपने मित्र देशों की संख्या को बरकरार रखना होगा या उसको बढ़ाना होगा और हमारे खिलाफ जो देश हैं, हमें कोशिश करनी होगी कि वह भी हमारे पक्ष में आए। लेकिन अगर लोगों को यह लगेगा कि हिन्दुस्तान के एक राज्य में एक पुलिस स्टेट जैसी स्थिति बनती जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, जिनके संबंध आपसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह इसी इश्यू को लेकर opinion बदल सकते हैं। आप अपने लाभ के लिए मीडिया का जो प्रयोग करते हैं, वह तो आप करेंगे ही, कोई बात नहीं है, लेकिन देश के हित को भी तो देखिए कि ये जो दिखा रहे हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ultimately हमारा ही नुकसान हो, हमारे देश का नुकसान हो। आपको यह देखना पड़ेगा। दूसरा यह कि मैंने इस तर्क पर बहुत सोचा। ये जो आपने लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की दो Union Territories बना दी हैं, यहाँ आपने Lieutenant Governors की व्यवस्था की है। अभी तो एक ही Lieutenant Governor दोनों को देखेगा, हो सकता है कि आप बाद में अलग-अलग appoint करें और जो Governor हैं, वे Lieutenant Governor हो जाएंगे, तो इसके सके पीछे आपकी जो सोच है, वह हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि जहाँ-जहाँ Lieutenant Governor हैं और खास तौर से पुदुचेरी और दिल्ली में भी -- आप पार्टी वाले अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रोज़ाना रो रहे थे। ...**(व्यवधान)**... मैं देखने गया था, जब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर एक अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि वे बीमार हो गए थे, मुख्य मंत्री Lieutenant Governor के आवास पर धरना दिए हुए थे। Lieutenant Governor ने मुख्य मंत्री से मिलने से भी मना कर दिया था। वे वहाँ कितने दिन बैठे रहे? संजय सिंह जी मैं वहाँ गया था या नहीं गया था? आप वहाँ ही थे। ...**(व्यवधान)**... वह स्थिति नहीं होनी चाहिए। पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर, चूंकि वे हमारे साथ बहुत दिन रहे हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, वे एक बार पूरी केबिनेट के साथ मेरे घर आए और बताया कि Lieutenant Governor हमें परेशान कर रहे हैं, तो मुख्य मंत्री की कोई हैसियत ही नहीं है। आपने इसमें भी पुदुचेरी वाला ही प्रोविजन किया है। मैं यह थोड़ा-सा पढ़ा है, बहुत जल्दी में पढ़ा है, क्योंकि आप इसे इतनी जल्दी लेकर आए। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा, वरना आप कहेंगे कि मेरी तरफ देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहना चाहूँगा कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: 70 साल देरी हो गई है।

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज पाँच तारीख है। इसे आप आज circulate कर देते, इससे लोगों को पढ़ने का मौका भी मिल जाता। अगर इसे आज पास करा सकते हो, तो कल भी पास करा सकते हो, परसो भी पास करा सकते हो। आप एक दिन में कश्मीर में कौन-सा तीर मार लेंगे?...**(व्यवधान)**... इससे क्या हो जाएगा? ...**(व्यवधान)**... हम लोगों को पूरा अंदाज़ा भी नहीं है कि इसमें क्या-क्या है? ...**(व्यवधान)**... हमने थोड़ा-सा देख लिया कि इसमें क्या है। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: आज नाग पंचमी है।

प्रो. राम गोपाल यादव: नाग पंचमी है, नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, साँप को दूध पिलाते हैं, फिर वह पाँच साल काटता रहता है। डॉ. लोहिया कहा करते थे कि पाँच साल तक खिलाफत करोगे और पाँच साल बाद उसे फिर दूध पिला दोगे, फिर वह पाँच साल काटने के लिए तैयार हो जाएगा।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए)*

यह कदम आपने बहुत जल्दबाजी में उठाया है। मुझे लगता है कि इस पर आपने ज्यादा सोचा भी नहीं है। मान लीजिए, अगर कश्मीर में अशांति हुई, अभी वहाँ स्थिति कंट्रोल में थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो गई थी, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हो गई, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अब हमें इस बात का संदेह है, आशंका है कि वहाँ अशांति हो सकती है, क्योंकि across the border से अब वहाँ अशांति फैलाने की कोशिश होगी। यह कोशिश होगी और अशांति पैदा होती है, तो पहले से बदतर स्थिति हो सकती है। हम कर तो रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन यह स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो सकती है। मैं यह जानता हूँ कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर में आदमी मरे या जिए, आपको इस बात की चिंता है कि शेष देश में लोगों के पास यह कहने के लिए हो कि देखिए धारा-370 हटा दी गई है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, वे इस देश के रहने वाले लोगों से, चाहे वे किसी धर्म या जाति से हों, सबसे स्नेह करते हैं, कोई discrimination नहीं करते है, unli Öe you. ...**(व्यवधान)**... आपने यह sentence नहीं सुना। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो इधर बैठे हैं, वे धर्म, जाति या region के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते, unlike you. You do it; इसलिए यह आपने सारे देश में मैसेज देने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को मैसेज देने के लिए किया कि देखिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। आपको चुनाव में लाभ होना चाहिए, चाहे इससे देश का कितना भी नुकसान हो। This is your principle और मैं जानता हूँ कि इसी आधार पर आप आगे भी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, जो आप बिल लाए हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग

में राज्य मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): उपसभापति महोदय, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा वक्ता हैं और हम सब गृह मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। मैं इस बिल का केवल अभिनन्दन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

आज जब यह चर्चा चल रही है, even before this debate concludes, and even before the hon. Home Minister has finished, completing his reply, this day, the day of 5th of August, 2019, has already gone in the history of India as a day of redemption, as a day of resurgence and as a day of rejuvenation. Article 370 was a miscarriage of history and one of the gravest blunders of the post independent India. उसका प्रायश्चित करने की घड़ी आज आई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे समय में संसद के सदस्य हैं, जब यह प्रायश्चित हो रहा है। शायद विधाता को यही मंजूर था कि देश के प्रधान मंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी बागडोर सम्भालें और गृह मंत्री श्री अमित शाह हों, इसलिए हमें 70 वर्ष इसका इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परमात्मा की विधि को कोई बदल नहीं सकता। तीन पीढ़ियाँ इस अन्याय और मजबूरी को झेलकर यहाँ तक पहुँची हैं। मुझे लम्बी बात नहीं करनी है। मुझे हैरत इस बात की हुई कि कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर क्यों आपत्ति हुई? हमने तो उनका अधूरा काम पूरा किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं यह कह गए थे कि यह अस्थायी है, temporary है और उनका यह वाक्य था कि यह धीरे - धीरे घिस जाएगी। The exact phrase used by Prime Minister, Pandit Nehru -- when there were some reservations expressed --, तो उन्होंने कहा कि इसकी चिन्ता न करें, यह वक्त के साथ घिसते-घिसते घिस जाएगी। उनके अनुयायियों के द्वारा उसे घिसाने का काम नहीं हुआ और यह श्री नरेन्द्र मोदी और श्री अमित शाह जी के हिस्से में आया।

इसी प्रकार, सन् 1964 में संसद में एक व्यापक चर्चा हुई थी, जब शास्त्री जी प्रधान मंत्री थे। उसका उत्तर देते हुए तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि लगभग सभी दलों का यह मत है कि अनुच्छेद 370 के जाने का समय हो चुका है। इस पर सरकार को थोड़ा समय दिया जाए, आगे कैसे बढ़ना है, हम इस पर विचार करेंगे। फिर परिस्थितियाँ बदलती गईं, हमें उस इतिहास में नहीं जाना, उसे हमने यहाँ बहुत बार दोहराया है series of blunders, one after the other. इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि आज सारे के सारे जम्मू-कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है। चाहे जम्मू है, चाहे लद्दाख है, जिसकी यूनियन टेरिटरी की माँग आज पूरी हो रही ही है, चाहे है कश्मीर घाटी है। The common man walking in the streets of Srinagar today is rejoicing. वह बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर खौफ का एक पर्दा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): वहाँ कोई हर्षोल्लास नहीं है, वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है।

डा. जितेन्द्र सिंह: कर्फ्यू खुलने से पहले ही उसने rejoice करना शुरू कर दिया। He has already become a part of the development journey led by Modi*ji*. इसलिए मैं बात को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए यह प्रावधान लाने में हम सक्षम रहे, उन लोगों को चिन्ता हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, जिनके स्वार्थ का कहीं न कहीं हनन होता हो, जो सांसद और विधान सभा के सदस्य बनने के लिए 8-10 प्रतिशत voter-turn-out के लाभार्थी रहे हों। मुझे उस चर्चा में नहीं जाना। | I conclude by saying that we are part of a global world. India today is part of a global world. You have no right, absolutely, to deprive Jammu and Kashmir being a part of this global world. हमारी उम्मीदें, आकांक्षाएं, आशाएं , हसरतें एक जैसी हैं और हमारी तकलीफ़ें और दिक्कतें भी एक जैसी हैं। एक शेर है कि,

"मेरी ज़मीन भी तुम्हारी ज़मीन से मिलती है

दीदाये पीर ए हस्ती बेबसी भी एक सी है।"

हमारी कहानी एक, हमारी मुसीबतें एक, हमारी उम्मीदें एक, फिर भी हम वहां ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। जैसे कहते हैं कि,

'लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पायी'

महोदय, तीन पीढ़ियों ने सज़ा पायी है। आज मौका है इससे आगे बढ़ने का। And, certainly, as I said, we have no right to deprive Jammu and Kashmir being part of global India and no right to deprive the youth of Jammu and Kashmir to be the beneficiaries of the enormous avenues unleashed in India by the Modi Government and to deprive Jammu and Kashmir to be a part of new India's journey led by Modi*ji*. Thank you.

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019

(II) The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019

(II) The National Medical Commission Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 2nd August, 2019, agreed without any amendment to the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 16th July, 2019."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the following amendments made by Rajya Sabha in the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 at its sitting held on the 31st July, 2019, were taken into consideration and agreed to by Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 2019:-

CLAUSE 30

1. That at page 11, line 25, *for* the word "consultation", the word "concurrence" be *substituted*.

CLAUSE 34

2. That at page 14, line 2, *for* the word "consult", the words "seek concurrence of be *substituted.*

CLAUSE 77

3. That at page 37, line 24, for the word, bracket and figure "sub-section (4)", the word, bracket and figure "sub-section (1)" be *substituted*."

"In accordance with the provisions of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the following amendments made by Rajya Sabha in the National Medical Commission Bill, 2019 at its sitting held on the 1st August, 2019, were taken into consideration and agreed to by Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 2019:-

CLAUSE 4

1. That at page 3, line 27, for the word "fourteen", the word "twenty-two" be *substituted.*

2. That at page 4, line 16, *for* the word "six", the word "ten" be *substituted.*

3. That at page 4, line 20, *for* the word "five", the word "nine" be *substituted.*

CLAUSE 37

4. That at page 18, line 24, *after* the words "qualification to be equivalent", the words "for the purposes of teaching also." be *inserted."*

STATUTORY RESOLUTIONS – *Contd.*

Cessation of all Clauses of Article 370 except Clause (1)

The Jammu and Kashmir Re-organisation Bill, 2019

AND

GOVERNMENT BILLS – *Contd.*

The Jammu and Kashmir Re-organization Bill, 2019

The Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, in the name of my Party, the Communist Party of India, I oppose this Bill.

Sir, this Bill came to the House in a very conspiratorial manner. I wonder why the Government chose this path of conspiracy to make such a far-reaching change in our Constitution. Sir, we all say that Kashmir is an integral part of India. It was, it is and it will be an integral part of India. Saying that, the Government led by the BJP, today paved the way for making Kashmir 'not an integral part of India'. It is giving leverage to those people in Pakistan, the separatists, to say that Kashmir is no more a part of India. The people are really afraid there. For the last more than one week, the Government was building up a fear psychosis in the whole Valley saying that impending danger is there on Jammu and Kashmir. Battalions of Armies, companies of Army men, are sent to Jammu and Kashmir. Policemen are put in alert. A scene was developed there that something is going to happen in Jammu and Kashmir. After creating such a dramatic and fearful atmosphere, today morning at 11 O'clock, the Government came to the Parliament to turn this conspiracy into practice. Sir, one State is ceased to be a part of India. In that place, two UTs come to become part of India, the UT of Ladakh and

the UT of Jammu and Kashmir, and the State of Jammu and Kashmir disappears from the map of India. Sir, why is this dramatic and unimaginable way of doing things? No democratic Government can think of doing politics in such a very ugly manner. That is the simple word I can use for that. It was most ugly. It is a political approach of the BJP and not India's national approach. India always believed that it is a country where there is diversity. People have the right of upholding the diversity, but BJP has always been saying, one nation-one religion and now, sometimes they say 'one leader' as well. The BJP has got the right to preach and practice all the philosophy and politics that it wants, but they should not try to impose that politics as national politics. Political party and nation are different. The motive behind this Bill is imposing a particular Party's politics on the country. Hence, it cannot be appreciated. That is why, I repeat, the way in which this legislation has been brought in the House and the haste with which it was done prove that the BJP is not for the unity of this country. It is not for India's unity and not for keeping Kashmir as a part of India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. There are two more speakers to speak on this.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I believe that the people of Kashmir and the people of India would constantly and vehemently oppose this Bill. We are sure that a day would come when people would change this draconian law and bring India's real ethics and India's real essence back to the Indian Constitution.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, for us Indians and for several foreigners who visit Kashmir, Kashmir has always been a land of 'heaven on earth' for its beauty. However, it is a matter of great pain and concern for all of us that it has been under constant turmoil for several years now. Governments of the day have tried their best to bring about peace. However, in the spurt of discontent and attacks by terrorists, we have lost thousands of innocent lives in the past years. In spite of this, however, we were able to establish a democratic process which we must compliment our earlier governments for. Stalwarts like Sheikh Abdullah, Farooq Abdullah —I wish to take names because we will not have a Chief Minister anymore for that State —Shri Ghulam Nabi Azad, Omar Abdullah, Mufti Mohammad Sayeed, have ail given their best to the State to bring about development in spite of several challenges that they were facing.

[Shrimati Vandana Chavan]

Sir, there has always been a lot of discussion on whether Article 370 should be done away with. There has always been a genuine concern for the development of Kashmir and for establishing peace in this 'land of God'. Sir, we were shocked this morning when the Reorganization Bill was brought in this House for introduction and passing. It literally gave us goose-pimples.

Sir, it would have been so much better if this step was taken after discussion with the leaders of the State and by building a consensus. It would have been so much better if a decision had been taken when there was a State Government in existence. It would have been so much better if the will of the people of Kashmir was taken into consideration. And it would have been better if there was a democratic process followed in this decision. Now that it seems that the Bill would be passed, we only hope that the Government takes care that there is no backlash and there is no bloodshed. We hope that this step would ensure peace for the State of Jammu and Kashmir and its people.

Sir, once again, I wish to reiterate that while hoping and praying for the best for the people and citizens of Jammu and Kashmir, our brothers and sisters staying there, we still consider that the way that this Bill was brought in the House was absolutely condemnable and, therefore, NCP decides to abstain from voting. Thank you, Sir.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): उपसभापति महोदय, भारत के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। यह इसलिए नहीं है कि आर्टिकल-370 जा रहा है, इसलिए है कि संविधान निर्माताओं के एक बड़े वर्ग को जिनकी आत्मा जहां भी होगी, उनको पहली बार शांति मिल रही है। उपसभापति महोदय, मैं चार लोगों का नाम ले रहा हूं। संविधान 20 जनवरी, 1950 को लागू हो गया था, लेकिन संविधान पूर्ण नहीं था। उस अपूर्णता को पूरा करने का काम भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। इसके लिए पूरे सदन को इन्हें बधाई देनी चाहिए। यह एक नया इतिहास बन रहा है और यह इतिहास पुराने distortion को समाप्त कर रहा है। महोदय, बाबा साहेब अम्बेडकर को यदि सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो आज के दिन, 5 अगस्त को दी जा रही है।

उपसभापति महोदय, आर्टिकल 370 के beneficiaries कौन थे, मैं उसकी एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। 1980 में एक होटल, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसका lease समाप्त हो गया। 1988 में उस lease को retrospective ला दिया गया और लीज़ की कीमत 52,000 रुपए साल की थी। जिन्होंने उसे lease पर लिया था, पूरे साल में उन्हें लाखों रुपए

मिलते थे। एक वेलकम ग्रुप का होटल था, जिसके lease को रिन्यू किया गया। उसमें सरकार को 95 साल में 80 लाख रुपए मिले और उस होटल को 19 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। इस तरह की अनंत घटनाएं कश्मीर में घटती रहीं -- कश्मीरियत के नाम पर, कश्मीर की स्वायत्तता के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ मुट्ठी भर परिवार उसका लाभ लेते रहे - आज वह लाभ आम नागरिकों को जा रहा है, चाहे वे जैन समाज के हों, बौद्ध समाज के हों, इस्लाम को मानने वाले हों या हिन्दू हों, आज बिना किसी भेदभाव के कश्मीर का हर नागरिक लाभान्वित होगा। गुलाम नबी आज़ाद जी कह रहे थे कि आपने सदन में बहस नहीं की। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है, यह आदत कांग्रेस पार्टी की रही है। जब आप presidential order से 1954 में 35ए लाए थे, तो कौन से सदन से यह गुज़रा था? जिस 35ए ने कश्मीर की पूरी फ़िज़ा को बदल दिया, नागरिकों के बीच दीवारें खड़ी कर दीं, इतने महत्वपूर्ण पक्ष को लाने के लिए आपने सदन के महत्व को नहीं समझा! मैं एक दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं, वह इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हममें से कई लोगों ने संविधान सभा के उस प्रकरण को पढ़ा होगा। आर्टिकल 370 के पहले जब कश्मीर का मुद्दा युनाइटेड नेशन में माउंटबेटन की एडवाइज़ से गया था, वह माउंटबेटन कौन थे। जब माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया था, तो संविधान सभा ने सवाल किया कि माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने की बहस कब संविधान सभा में हुई थी। उपसभापति महोदय, संविधान सभा की बैठक एक नहीं, दो दिन तक इस बात को लेकर adjourn हुई कि बिना संविधान सभा के मत को जाने किसने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल appoint कर दिया, किस आधार पर किया। अंत में सिर्फ नेहरू जी की प्रतिष्ठा को देखते हुए संविधान सभा ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल स्वीकार किया। उसी माउंटबेटन की एडवाइज़ से हम उसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप जो काम खुदरा में कर रहे थे, उसे हमने थोक भाव में कर दिया है। आपने कैसे खुदरा में किया, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। 1964 में जब शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर हुए, तो वे पाकिस्तान गए, वे पाकिस्तान में अयूब से बात कर रहे थे, उसी बीच पंडित नेहरू का देहावसान हुआ। शेख अब्दुल्ला ने लंदन से शासत्री जी को एक पत्र लिखा। 17 मार्च, 1964 को शास्त्री जी को लिखे गए पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पत्र में शेख उब्दुल्ला ने शास्त्री जी से कहा, "You are reversing the process which was initiated by Pandit Jawaharlal Nehru."

शास्त्री जी क्या reverse कर रहे थे? जिस सदर-ए-रियासत की बात चल रही थी, सदर-ए-रियासत और प्रधान मंत्री की बात चल रही थी, संविधान के छठे संशोधन के द्वारा शास्त्री जी की सरकार ने दोनों को हटा दिया था कि सदर-ए-रियासत की जगह गवर्नर होगा, प्रधान मंत्री जी की जगह चीफ मिनिस्टर होगा। उस पूरी प्रक्रिया को ठीक करने का काम आपने शुरू किया था, लेकिन आप डर-डरकर कर रहे थे, समझौता करके कर रहे थे, आज हम साहस के साथ कर रहे हैं, थोक भाव में कर रहे हैं, कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एक साथ कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी कह रहे थे कि मस्तक को काटा जा रहा है। मस्तक को

[श्री राकेश सिन्हा]

काटा नहीं जा रहा है, मस्तक को तो सुशोभित किया जा रहा है। 370 मस्तक में एक अस्थाई माइग्रेन की तरह था, उस माइग्रेन को हम स्थाई रूप से समाप्त कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, दो घटनाओं का जिक्र करना बहुत आवश्यक है। जब शास्त्री जी छठा संविधान संशोधन लाए, उस वक्त कश्मीर में क्या किया गया था? Majlis-e-Auqaf Islamia के अध्यक्ष को Jamaat-e-Islami के अध्यक्ष को, Plebiscite Committee के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया और 1965 में फिर से शेख अबदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, शास्त्री जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, उसी 1964 में प्रकाश वीर शाम्री प्राइवेट मेम्बर बिल लाए जिसमें कांग्रेस के भागवत झा आजाद, स्वतंत्र पार्टी के पीलू मोदी, कम्युनिस्ट लेफ्ट के सरोज पांडे सभी आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में थे। आज इतिहास दोहराया जा रहा है। शायद मीडिया को, शायद भारत के लोगों को इस बात का कहीं भी अंदेशा नहीं रहा होगा, इस बात की कल्पना नहीं रही होगी कि बिल का समर्थन बहुजन समाज पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, यह भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री के द्वारा उठाया गया एक यशस्वी कदम है, जिसको चतुर्थ दिशाओं से समर्थन मिल रहा है। उपसभापति महोदय, राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कदम-कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि कश्मीरी अफगानिस्तान की तरह हो जाएंगे, कश्मीरी फिलिस्तीन की तरह हो जाएंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि हर मुकाम पर कश्मीरी भारतीय बन कर रहेंगे। हर मुकाम पर भारत के साथ रहेंगे, इस अंदेशा के साथ आप इस सदन से मत जाइए। उपसभापति महोदय, आर्टिकल 370 himalayan blunder था। उस himalayan blunder को, उस historic distortion को, आज करेक्ट किया गया है। भारत के गृह मंत्री जी से और भारत के प्रधान मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं और निराला की इस पंक्ति को उद्दत करना चाहता हूं, 'होगी जय, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन'। विजय तो मिलनी ही है, जिस भारत की एकता और अखंडता पर आर्टिकल 370 एक काले धब्बे की तरह था, एक स्पीड ब्रेकर की तरह था, उस स्पीड ब्रेकर को समाप्त कर दिया गया है। भारत एक है, एक रहेगा। कश्मीर भारत का मुकुट है, मुकुट बना रहेगा। सिर्फ हम जनता तक पहुंच रहे हैं, हम जनता का अभिवादन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी शास्त्री जी से उस शासन काल को याद करेगी। बस मैं अंतिम बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि आप एक स्टेप आगे जाते थे, दो स्टेप पीछे हो जाते थे, one step forward, two step backward यही आपने Indira Gandhi - Sheikh Abdullah Accord में किया था। हम समझौता नहीं करके, सरोकारों के साथ कश्मीर पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता एक साथ बाबा साहब अंबेडकर को, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, सरदार पटेल को और आयंगर के उन शब्दों को सार्थक कर रही है कि जब गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा था, It would be a thing of past. यह उन्होंने 17 नवम्बर, 1949 में कहा था और आज 5 अगस्त, 2019 को हमने thing of past बनाकर, सदन से बाहर जाएंगे, धन्यवाद।

SHRI P. CHIDAMBARAM (Maharashtra): Sir, as many of my colleagues have said, this is a very sad thing. It is more than sad. In the Constitutional history of India,

this will be a black day. I have no illusions that I can persuade anyone from the Treasury Benches to listen to us or to appreciate our argument or to change their mind or to defer this Bill. It will be an exercise in futility. If I stand up to speak and perform this exercise in futility, it is because I speak through you in this House to future generations of India. Momentarily, you think you have scored a victory. The drum beats that you will hear on the streets will certainly encourage you to believe that you have scored a signal victory, or, as one of the hon. Members said, you have corrected, "a so-called injustice of history". You are wrong, and history will prove you to be wrong and future generations will realize what a grave mistake this House is making today.

Sir, let me deal with a few things and close my speech. I certainly don't have the heart to speak today. A few days ago, I wrote that the Lok Sabha is the House of the People; the Rajya Sabha is the Council of States. Our foremost duty is to protect the rights of the States, and by protecting the rights of the States, protect the rights of the people of those States. Day after day, we fail to protect the rights of States. We have passed numerous Bills which are on the Concurrent List. There has been no consultation with any State, yet we pass those Bills completely oblivious of the rights of the States. I wrote that we are reducing States to municipal administrations. Today, we have gone a further step. You are not even reducing States to municipal administrations; you are making States and you will make States your vassal. You will reduce States to colonies, and you think you are doing something which is constitutional. Sir, be that as it may, what have you done today? You are passing an Order under Article 370, by which you are repealing the earlier Application Order and making a new Application Order. Ostensibly, the purpose is to amend Article370, sub-Article (d), and substitute the words, "Legislative Assembly" for the words "Constituent Assembly". Well, I am sure some wise men in the Law Ministry may have told you that it is possible. I have no quarrel with anyone's wisdom. I could be wrong and they could be right, but I think you have forgotten that you cannot modify Article 370 by an order under Article 370. Article 370 enables you to modify such other provisions in the Constitution. It is beyond my comprehension how Article 370 order can be used to modify Article 370. I leave it there. I am certainly not competent to hold a class in law. I may be wrong, but it is beyond my comprehension how Article 370 can be used to modify Article 370 when the language of the Article is that you can modify other provisions in the Constitution. You are doing another thing. You are passing two

[Shri P. Chidambaram]

Resolutions today, hoping that you will pass. I am sure you will pass them. Under the first Resolution, Article 370 itself will cease to exist. I know this is your manifesto promise. You had said that you would repeal Article 370. By this Resolution, you think that you are repealing Article 370, but in repealing Article 370, you are unleashing the forces which you cannot control. I have dealt with the State of Jammu and Kashmir. Today, the hon. Home Minister deals with that State and more than anyone else, he will appreciate what I am saying. Yes, there are a number of young men in the State of Jammu and Kashmir, who have taken to violence, who preach secession and who want to split Jammu and Kashmir from the Union of India. No one condones their action, no one supports their action. The Congress party and every other party is impeccably opposed to those young men. While, there are thousands of other young men, for reasons which they think are good, pelted stones, thousands of other young men for reasons which they think are good, called *hartals*. I have interacted with them. I led a delegation of Parliament along with Shri Arun Jaitley. When we first visited the State of Jammu and Kashmir, as Home Minister, they called a *hartal*. The whole State was shut down. But, when I led a Parliamentary delegation, along with Shri Arun Jaitley and many other distinguished Members of Parliament, the whole State turned out to receive us. Thousands and thousands of people came to see us. Thousands and thousands of people came and represented to us and I have stated what I had gathered from that experience. It was an eye-opener for all of us. Not all citizens in Jammu and Kashmir want; in fact, an overwhelming majority in Jammu and Kashmir, do not want secession; do not want to leave the Union of India. You may disagree with me, but, I believe that they want more autonomy. Now, whether you want to give them autonomy or not, it is the prerogative of Government. But, I believe that they want autonomy. Now, what are you doing by repealing Article 370? I fear, I genuinely fear hon. Home Minister, that you are pushing thousands and thousands of young men from this column to join the other column of a few hundreds. I sincerely hope that it will not happen. But, if it happens, you will rue this day when you repeal Article 370.

The second thing that you are doing is you are dismembering a State. You think that you are doing it to the State of Jammu and Kashmir. But, what you are doing to the State of Jammu and Kashmir, using these provisions, misinterpreting these provisions, in fact, I could go on to say, by mischievously interpreting these provisions, what you are doing to Jammu and Kashmir, can be done to any other State. Please tell me, why

4.00 P.M.

the mechanism that you have devised to dismember the State of Jammu and Kashmir will not apply to any other State? Please convince us that Derek O'Brien and I are wrong. All you have to do is to dismiss an elected Government, dissolve the State Legislature, promulgate President's Rule, declare Parliament to be the State Legislature for the time being and divide the State. I told my friend from Odisha, what stops our future Government from carving out a Union Territory for the KBK Districts? What stops our future Government from creating a Union Territory or a new State for North Bengal? What stops our future Government from dividing Tamil Nadu? My friends from AIADMK are here. They do not realise what they are doing. The same provisions, the same method, the same Resolutions can be applied to any State. But, I think, in doing it for Jammu and Kashmir, you have made a fatal legal error. I won't tell what the legal error is now. You will discover it in due course but my greater concern is, what you are doing today sends a very, very wrong signal to all the States of this country.

Sir, all I can do is appeal, appeal to the hon. Home Minister, even at this late stage, stop, pause, reflect on what you are doing. If you are determined to repeal Article 370, I can do nothing about it. It is between you and those who want Article 370 and the Supreme Court of India but the other thing that you are doing, dismembering Jammu and Kashmir, dismembering Jammu and Kashmir, for heaven's sake, in the name of the people of India, I appeal to you, don't do that. Don't dismember that State. It is one State. It came to us as one State. I do not want to recall history or those tall personalities who brought Jammu and Kashmir to accede to India. Some names continue to reverberate, Sardar Vallabhbhai Patel, V.P. Menon, N. Gopalaswami Ayyangar, they brought Jammu and Kashmir under the Instrument of Accession. That is history. That is the historical document. It is as important as the Constitution of India but if you wish to ignore history, if you wish to ignore the pact made with Maharaja Hari Singh, if you wish to ignore what Sardar Vallabhbhai Patel was able to achieve in those difficult days, it is your privilege; do what you like but what you are doing is wrong. Repealing Article 35A is wrong. Amending the Constitution invoking Article 370 is wrong. Doing away with Article 370 is wrong. Do all these wrongs; do all these wrongs; I am willing to, oh my, I am willing to tolerate all those wrongs but for heaven's sake, don't dismember Jammu and Kashmir, don't do that cardinal sin, don't do that monumental blunder.

[Shri P. Chidambaram]

Sir, shortly after I was born, this country became free. This country is free, democratic, republican, liberal and secular. All of us who are below the age of seventy, all of you who are below the age of seventy, were born in such a country. Today, I despair, how long will this country remain the country envisaged by the founding fathers of our Constitution; how long will it remain truly free, truly democratic, truly republican, truly liberal, truly secular and truly a Union of States? India, that is, Bharat, is a Union of States. What you are doing is destroying that Union of States and what you do today will have catastrophic consequences in the future. If you know what you are doing, do it. If you know what you are doing, do it but please remember, you will bear responsibility for the catastrophic consequences of this action. I stoutly oppose what the Government is doing, and, we will sit here, listen to you and vote against what you are doing.

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, this is a memorable day. And this memorable day waited for 19 years. When hon. Atal Bihari Vajpayee became Prime Minister, journalists asked him that since abrogation of Article 370 was in his manifesto, when he is going to do it. He said, "I have a fractured mandate. I will wait when people of India will give us the proper mandate to abrogate Article 370." I must say it a memorable day, because the people of India endorsed it with a thumping majority by voting for Shri Narendra Modi ji to be the Prime Minister. Indirectly, they have voted in favour of abrogation of Article 370. 70 सालों में हमने क्या नहीं किया! Out of 29 States, 28 States के लोग पूछते गये कि हम लोग उनके साथ इतना कुछ करते हैं, परन्तु हमारी आर्मी के लोग क्यों मरते हैं? जब उधर बाढ़ आती है, तो हमारी आर्मी ने क्या नहीं किया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला- पथराव, गोलियाँ और हमारे जो लोग मारे गये, हम अपने स्टेट में एयरपोर्ट पर उनकी डेड बॉडी लेते गये, यही हुआ। क्यों? कश्मीर हमारा सर है। अगर कश्मीर हमारा सर है, तो abrogation of Article 370 में सर कटता नहीं है, सर उठता है। आज सर उठने का दिन है, इसीलिए यह एक memorable day है। 70 सालों में क्या हुआ? ...(**समय की घंटी**)... हम आज भी मानते हैं कि कश्मीरी लोग, जो उधर रहने वाले लोग हैं, they love India. They want to be. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: प्रशांत जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री प्रशांत नन्दा: हाँ, मैं कन्क्लूड करता हूँ।

लेकिन, इन आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने ऐसा माहौल बनाया है, उनको डराकर रखा है। हम लोग सोचते हैं कि जो आतंकवादी करते हैं, शायद वही कश्मीरी हैं, लेकिन वे कश्मीरी

नहीं हैं। इसलिए आज यह जो abrogation Bill लाया गया है, इसमें से एक संदेश जाता है। ...(**समय की घंटी**)... वह संदेश यही है कि:-

"ऐ कश्मीर में रहने वाले आतंकियो,
4 तुम पर लगेंगे, 4 हम पर लगेंगे।
दो आंसू तुम पर बहेंगे, दो आंसू हम पर बहेंगे?
लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि
डोली जय हिंद की उठेगी और जनाजा तुम्हारा उठेगा?"

Thank you very much.

श्री उपसभापति: श्री के.के. रागेश। आपकी पार्टी का समय खत्म हो चुका है। आप सिर्फ दो मिनट में अपनी बात बोलिए।

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I stand to vehemently oppose this Bill that has been brought here through unconstitutional means. We are witnessing assassination of the Constitution and the democratic ethos and secular fabric of our country is being questioned. Sir, with a nearly 32-line Resolution, the Government has killed the State of Jammu and Kashmir. An extraordinary situation is prevailing in the State of Jammu and Kashmir, which is no more now. Political leaders are being house-arrested. The Government is saying that this particular Bill is being accepted by the people of Jammu and Kashmir. If that is the case, why did you deploy 35,000 Army personnel in the State of Jammu and Kashmir? Why did you house-arrest all the leaders of different political parties including CPM leader, Mr. Mohammed Yousuf Tarigami, who is also house-arrested? Some regional parties are supporting this Bill. This may happen to all the States including Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh and any other State. This is a pathetic situation that exists now. I would like to read out a few lines of Pastor Niemoller. He said, "First they came for socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak for me." Sir, things are developing in such a way. Our Constitution is under threat. What more to expect from a party which has adhered to the principle of fascistic *Hindu Rashtra* ideology. They have adhered to the fascistic, narcissist and Hitler ideology. They must understand the history. They should go through history and find out what happened to Hitler and Mussolini. They have to understand that. They are ruling our country in an undemocratic manner. Our Constitution is under threat. I request all the

[Shri K. K. Ragesh]

people of our country to stand united and fight against them. They are going to kill our democracy. They are going to kill the Constitution. They are going to destroy the secular fabric of our country. I request all the people. If the people want this, why are Army personnel deployed there? They are killing the democracy. They are destroying it. There is a kind of alienation that is taking place in Jammu and Kashmir. It is their responsibility to reduce alienation. There was a promise. The then Home Minister had promised for a dialogue and a political process. But why is the Government not doing that? The Government is not ready to do certain political process. They are not going for dialogue with stakeholders. Unfortunately, through this 32-line Resolution, they are killing the State of Jammu and Kashmir. Hence, it would amount to further alienation of the people of Kashmir. I request the Government not to do it because we do not want a Palestine State of India. We want the people. Kashmir, of course, is an integral part of India. It is an integral part of India, but the people of Kashmir should feel that. There should not be any alienation. So, they have to address the question of alienation. This is not the way that they have to do it. They are killing democracy. They are killing our Constitution. I request the Government to be very careful while taking this kind of a drastic step which will further increase alienation of the people of Kashmir. With these words, I once again thank you for giving me this opportunity. Thank you very much.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Thank you, Sir, for giving me the opportunity.

"Ice, snow, the glacier,
All the three are water.
Two children from the same parents
- The Muslims and the Hindus.
Why this gulf of hatred between the two?
Be pleased with the servants, of my Lord"

Prayed Sheikh Noor ud Din, a Kashmiri mystic regarded as the patron saint of Kashmiris, who is commonly known as Sheikh ul Alam, Alamdar-e-Kashmir and Tajul Auliya among the Muslims and whom Kashmiri Pandits reverently call Nund Rishi and Shahzanand. The question and prayer posed by Sheikh Noor ud-Din has much relevance in today's turbulent Kashmir.

Uncertainty and panic has gripped Jammu and Kashmir amid rumours of imminent abrogation of Article 35A of the Constitution and with the deployment of thousands of extra troops to the valley. The speculation is rife. Yesterday, when I prepared this there was a speculation but now this is a reality. The reality comes, about the suspension or the cancellation of Article 370. Why is the Government in a hurry for these sorts of actions, like the triple *talaq* Bill and this Resolution relating to Article 370? I agree that it was in the manifesto of BJP. They have all the rights to adhere to their promises given to the public. They have got the mandate. But, why can't they come with this procedure in a legal way? Why have they not brought it in a proper manner? Why are they not giving us some time to read these sorts of Bills and all? Suddenly, the Bills are coming and are being passed like this one. How many Bills were passed in the last few days? I request Shri Amit Shah to consider sending it to a Select Committee, and to give us some time; time to the citizens of India and Kashmiris also to discuss this one and pass the Bill. Thank you, Sir.

SHRI C. M. RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, today is a historic day. It will remain in the history. In this House, I have seen two State Re-organization Bills, that is, one; the Andhra Pradesh Re-organization Act and, now, the Jammu and Kashmir Reorganization Bill. In the beginning of bifurcation, it will give pain to the stakeholders. Now, after bifurcation, it will be a gain; like they did here in the case of Andhra Pradesh and Telangana. It is an example. Now, both States are progressing. There in Andhra Pradesh, at the time of bifurcation, it was a progressive State and it was a development State. There was no terrorism there; there was no violence but because people there wanted it, the bifurcation happened. At the time of bifurcation, I also stood in protest for so many days. In the beginning, it will give pain but not after that. At that time of bifurcation, how did it happen? In Lok Sabha, they closed the doors; they suspended the Treasury Benches' MPs; they removed the Chief Minister and the President's rule had come.

They threw all Andhra Pradesh MPs out and television coverage was also closed. There was no live telecast. Today is the day of Jammu and Kashmir bifurcation. I am happy that all the parties and all the leaders have spoken. It is good for the country. It is good for the nation. At the time of bifurcation, on that day, the same thing we had said what Shri Chidambaram, Sir, has said today. On that day also, we also told the same thing. It will happen, but, after the bifurcation, everybody will be happy. Both the States are progressing. This is an example. Thank you very much, Sir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAM DAS ATHAWALE): Sir, I strongly support this Bill,

अब जाग जाएगी जम्मू-कश्मीर की हिल,
अब आतंकवाद हो जाएगा निल,
इसलिए मुझे अच्छा हो रहा है आज फील।
आज का दिन नहीं है काला,
इसलिए मैं पहनाता हूँ नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को फूलों की माला।
"अब अलगाववादियों के मुंह को लग जाएगा ताला,
और आतंकवाद का साफ हो जाएगा नाला,
खत्म हो रही है 370 धारा,
अब आतंकवाद पर हो जाएगा जबर्दस्त मारा,
भारत जिंदाबाद का अब वहाँ गूज जाएगा नारा,
और जाग जाएगा जम्मू-कश्मीर सारा"।

सर, यह जो आज का बिल है, इसे बहुत दिन पहले लाने की आवश्यकता थी। जब भारत को सन् 1947 में आज़ादी मिली, सब लोग इतिहास जानते है कि यह इलाका राजा हरि सिंह के कब्जे में था। पाकिस्तान ने अचानक कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर का 1/3 इलाका अपने कब्जे में ले लिया। उस समय राजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच जो बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़ने का निर्णय हुआ। आप लोग जानते हैं कि तब एन. गोपाल स्वामी आयंगर जी ने संघीय संविधान सभा में धारा 306(ए), जो बाद में धारा 370 बनी, इसका प्रारूप दिया था , इसीलिए जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिला था। मुझे लगता है कि यह कैसा अधिकार है कि भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा-360 भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती, जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा है, भारत की संसद रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा जम्मू-कश्मीर में कोई अन्य कानून नहीं बना सकती है, वहाँ धारा-356 लागू नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास संविधान को बर्खास्त का अधिकार नहीं है और यदि कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी से शादी करती है, तो उसकी कश्मीर की नागरिकता छीन ली जाती है। वहाँ इस तरह के बंधन हैं। धारा-370 को खत्म करने का मतलब जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को भारत से जोड़ना है। यह भारत से तोड़ने का काम नहीं है। मैं काँग्रेस पार्टी से अपेक्षा करता था कि काँग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी इसका विरोध करने से आपको उधर वोट मिलने वाला नहीं है। देश एकता के लिए धारा-370 हटाकर या Union Territory बनाने का निर्णय लेने के बाद नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी की उसे भारत से अलग करने की कोई मंशा नहीं है।

(**श्री सभापति** *पीठासीन हुए*)

इनका उद्देश्य है कि वहाँ का आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वहाँ के लोगों की रक्षा होनी चाहिए, वहाँ इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए, वहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और जम्मू-कश्मीर भारत के साथ हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसी तरह से मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जो है -- लद्दाख में बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, जम्मू में हिन्दू ज्यादा हैं, कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं और हमारी सरकार मुस्लिमों का विरोध नहीं करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर हमारा सिर है। हमारा एक सिर तोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है। उन्होंने हमारा 1/3 सिर तोड़ा है। अभी यह निर्णय तो हो चुका है कि धारा 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को भारत से जोड़ने की प्रक्रिया एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरी की है। यह उनके लिए अन्याय बिल्कुल नहीं है और वहाँ के लोगों पर बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। वहाँ हम टाटा, बिड़ला, मफतलाल, बजाज ऐसे लोग से कहेंगे कि आप वहाँ जाइए और कारखाने शुरू करिए और वहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार दीजिए। हम इसी तरह का काम चाहते थे। प्रो. राम गोपाल यादव जी आपसे भी अपेक्षा थी कि आप इधर सपोर्ट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा और बीएसपी का थोड़ा याराना नहीं जमता है, आपसे थोड़ा जमता है, लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया। आपका कहना है कि यह बिल आप जल्दी में क्यों लाए? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जल्दी-जल्दी काम नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें जल्दी-जल्दी काम करना है। अभी दो दिन बाकी हैं, इसलिए यह बिल लाए हैं। इससे किसी को अलग रखने की बात बिल्कुल नहीं है। बाबासाहेब अम्बेडकर जी के संविधान मुताबिक यह नया कानून है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नया कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और उसके मुताबिक इस कलम को हटाकर जम्मू-कश्मीर को मजबूत करने की भावना से यह बिल लाया गया है। यहाँ पुदुचेरी को तमिलनाडु में जोड़ने का कोई विषय नहीं है। पुदुचेरी को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। अभी उसको यूनियन टेरिटरी करके वहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए, वहाँ का आतंकवाद खत्म करने के लिए यह निर्णय ले लिया गया है। इसलिए, अमित शाह जी द्वारा जो यह बिल लाया गया है, इसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूँ और कांग्रेस पार्टी से अपील करना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद जी वहाँ के मुख्य मंत्री रहे हैं, यहाँ के हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत ऊपर का पद है और अभी अध्यक्ष के बारे में - - मतलब, अगर आपको अपोजिशन की लीडरशिप भी मिले, तो अच्छी बात है। इसलिए, आपके बारे में हमको आदर है। आपका नाम आज़ाद है, तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को आज़ाद करने की भूमिका हमारी है। हम जम्मू-कश्मीर पर कोई इमरजेंसी नहीं लगा रहे हैं। हमें वहाँ के लोगों की रक्षा करनी है, इसीलिए यह बिल लाया गया है। आपकी तरफ से भी इसको सपोर्ट किए जाने की आवश्यकता थी। आप लोग वैल में बैठे थे। आप लोग बहुत देर तक वैल में बैठे। ये कितना टाइम तक बैठे? मतलब, आप एक घंटा बैठे। ठीक बात है, आपको वैल में बैठने का अधिकार है। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ:

[Shri Ram Das Athawale]

"नरेन्द्र मोदी सरकार ने 370 कलग को हटा दिया है और
अमित शाह ने कांग्रेस वालों को कुछ टाइम तक वैल में बिठा दिया है।"

भारत के लोगों की जो भावना थी कि अलग से 370 नहीं होनी चाहिए, तो उसको हमने मिटा दिया है और "पाकिस्तान जिन्दाबाद" बोलने वालों का राज़ हटा दिया है। यह काम हम लोगों ने किया है, इसलिए मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ।

भारत मजबूत रहेगा, जम्मू-कश्मीर हमारे साथ रहेगा। हम जम्मू-कश्मीर के एक भी आदमी पर आँच नहीं आने देंगे। जो आतंकवादी नहीं है, उसका हम संरक्षण करेंगे और जो आतंकवादी है, उसको जेल में डालेंगे। यह काम करने के लिए हमारा यह कलम आया है। मैं अमित शाह साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा-सा बिल लाया है। हमें देश की एकता को मजबूत करना है, इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I was a little disturbed in the morning because on such an important Bill, I wanted that every section of the House should express their views, whether in support of the Bill or against the Bill, that is left to you, and then, send a message to the country that we had a very meaningful discussion. But, unfortunately, for whatever reasons, I don't want to go into them, for some time, that could not happen. Subsequently, I am happy that the House resumed discussion, and all parties are expressing their viewpoint. Though the time is over, I have decided that I will give time to some of the Members who want to speak now. And, of course, I have got some important names, like Shri Kapil Sibal from the Congress, and if any other Member is left out, he can send a slip—not four-five Members from the same party—if any party, any individual, any group is left out, they can send a slip to me. I will go through it also. And then, the Minister also, if they want to speak, if at all, I will give permission. Then, I will call them also. Now, Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

MR. CHAIRMAN: You will have seven to eight minutes.

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, Sir. I will finish in seven to eight minutes.

MR. CHAIRMAN: That is what you suggested.

SHRI KAPIL SIBAL: Very kind of you, Sir. Sir, today, is not a day to go back into history. Today, is also not a day when we should be talking about law because, today,

is a day when we should be thinking about why we are here; what the Constitution-makers thought when they had framed this Constitution; why are we a democratic nation; what should democracy involve; these are questions that we need to ask ourselves today. Sir, I know that the Bill will be passed because you have manufactured a majority. Therefore, we can do nothing about that. While you call this a moment which is historic, only history will judge whether it is historic or not. क्योंकि इतिहास बताएगा कि क्या यह इतिहास पर धब्बा था, क्या संघीय ढांचे पर धब्बा है, क्या हमारे संविधान की रूह को आपने खत्म करने की कोशिश की, ये फैसला अब इतिहास करेगा। मुझे याद है, इतिहास की बात है कि हम समझते हैं कि पंडित नेहरू जी की वजह से कश्मीर हमारे पक्ष में आया, अगर Redcliff Award न होता, हमें गुरुदासपुर नहीं दिया जाता और जो majority का principle था, उसको अपनाया जाता, तो शायद कश्मीर हमारे पास कभी नहीं आता, लेकिन असलियत तो यह है कि Redcliff Award के द्वारा हमें गुरुदासपुर मिला, हमें वह लिंकेज मिला और उसकी वजह से जम्मू-कश्मीर हमारे पक्ष में आया और मुझे याद है कि उस समय सरदार पटेल साहब होम मिनिस्टर थे। धारा 370 वहीं लाए, सरदार पटेल साहब ही धारा 370 लाए। उस समय जो चर्चा हो रही थी कि * लेकिन ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Sibalji, my suggestion is, like Jawaharlal Nehru ...*(Interruptions)*... आप एक मिनट बात सुनिए, बैठ जाइए। मैं समझाऊंगा, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Like Jawaharlal Nehru, Sardar Patel was also our Deputy Prime Minister. Better we avoid controversies because he is no more.

SHRI KAPIL SIBAL: I am just saying that this is part of history. I am not saying anything myself.

MR. CHAIRMAN: Then they will try to say something else! ...*(Interruptions)*... Go to other issues.

SHRI KAPIL SIBAL: I don't want to waste the two-three minutes that I have. Sardar Patel was clear that Junagadh must come to India even though the ruler was a Muslim and he wanted to go to Pakistan. Sardar Patel was clear. The Kashmir ruler wanted to come to India and because of Nehruji it happened, We won Kashmir. The point that I was making is the Congress people won Kashmir. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सर, मेरा एक विषय है।

MR. CHAIRMAN: There can be difference of opinion. Let us leave it. ...*(Interruptions)*... We are concluding the debate.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, मेरा एक विषय है।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am not yielding.

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. मैं आपको बाद में मौका दूंगा। भूपेन्द्र जी, ऐसे नहीं... Kapilji, you are a very senior person. Please move on. Otherwise, यही होगा unnecessarily.

SHRI KAPIL SIBAL: I only said that we won Kashmir. Today, you have lost Kashmir.

MR. CHAIRMAN: That is your point, it is okay.

SHRI KAPIL SIBAL: We have won Kashmir, you have lost Kashmir. How many people will you name as individual terrorist under the UAPA in Kashmir ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: मैं आपको मौका दूंगा, आप चिंता मत कीजिए।

SHRI KAPIL SIBAL: That is what is going to happen. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: प्लीज़ आप बैठ जाइए। राम नारायण जी, आप बैठ जाइए। It is not going on record. Nothing will go on record except whoever I permit. ...*(Interruptions)*... Bhupender Yadavji, please sit down. You can raise your point of order afterwards. Let him conclude.

श्री कपिल सिब्बल: कहने की बात यह है कि संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति आप सुबह 11.00 बजे एक ऐसा बिल ला रहे हैं और फिर कहने जा रहे हैं कि हम उस पर चर्चा करें, जब हमें मालूम ही नहीं है कि बिल में लिखित में क्या है। आप कहते हैं कि हम इसको लोकतंत्र कहते हैं। ...**(व्यवधान)**... यह लोकतंत्र की definition है कि बिना बताए सुबह 11.00 बजे आप बिल ले आएं और फिर कहें कि इस पर चर्चा करो, तय करो और अच्छी डिबेट होनी चाहिए, अच्छी डिबेट कैसे हो? जब आप हमें बताएंगे ही नहीं कि बिल में क्या रखना है, कोई नोटिस नहीं देंगे, तो उस पर हम क्या चर्चा करेंगे? आपको मालूम है कि चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नम्बर्स हैं, आप चर्चा करना चाहते ही नहीं हैं। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जो कानून के खिलाफ हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जाना चाहता। मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह डिबेट कैसे possible है? हम इस पर क्या चर्चा करें? दूसरी बात यह है कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आपने कभी किसी से सलाह की, वहां के स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह की, वहां के Members of the Legislature के साथ सलाह की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सलाह की, अपॉज़िशन के साथ सलाह की। आप धारा 370 खत्म करने जा रहे हो, सलाह के बिना खत्म करने जा रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास नंबर्स हैं,

आपके पास आंकड़े हैं, हाउस में आंकड़े हैं। क्या डेमोक्रेसी का मतलब यही है। आंकड़ों से डेमोक्रेसी चलेगी। आप 'सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास' की बात करते हो, तो आप हमारे प्रति यह विश्वास रख रहे हो और यह साथ दे रहे हो। आप अकेले चलोगे, क्योंकि आपके पास आंकड़े हैं और देश को पीछे छोड़ दोगे। आप कल किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को बदल सकते हो। आप किसी भी स्टेट का dissolution करके, उसकी असेम्बली को dissolve करके ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री कपिल सिब्बल: किसी भी territory को किसी के भी साथ मिला सकते हो और आप यह बिल 11.00 बजे ला सकते हो।

MR. CHAIRMAN: Please conclude, Kapilji.

श्री कपिल सिब्बल: सर, अभी 6 मिनट भी नहीं हुए हैं। दूसरी बात, मैं आपसे केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि ...**(व्यवधान)**...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, just like Sibalji has spoken of the other party, let him ask himself about what they have done in the case of the AP Reorganisation Act. What have they done?

SHRI JAIRAM RAMESH: It went back to the Assembly. The draft was prepared.

MR. CHAIRMAN: Let him conclude. Mr. Reddy, let him conclude. I am also a witness. Kapilji, please conclude. Shri Vijayasai Reddy, I am also a witness.

श्री कपिल सिब्बल: सर, मैं केवल इतना ही संकेत देना चाहता हूं कि अगर आप समझते हो कि यह ऐतिहासिक दिन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ऐसे कई ऐतिहासिक दिन आगे भी आने वाले हैं। आप जिस तरह से नेशनल रजिस्टर की बात कर रहे हो, सिटीज़न्स की बात कर रहे हो, ऐसा न हो कि आप ऐसे एजेंडा से चलें, जो संविधान की बुनियाद को खत्म कर दे। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: What is it, Mr. Reddy?

श्री कपिल सिब्बल: आप यह जो कदम उठा रहे हो, यह संविधान की बुनियाद को खत्म करने जा रहा है और आज हम आपको संकेत देना चाहते हैं कि हम यहां खड़े होकर संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए।

MR. CHAIRMAN: What is it, Mr. Reddy?

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): आप ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मैडम, आप बैठ जाइए। आप चिंता मत करिए। दो मिनट में संविधान इधर-उधर नहीं होने वाला है। आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। देश में बुद्धिमान लोगों की संख्या की कमी नहीं है। सब को मालूम है कि इतिहास क्या है? यदि डिबेट में किसी ने कुछ कहा, तो तुरंत उसके ऊपर react करने की जरूरत नहीं है।

MR. CHAIRMAN: What is it, Mr. Reddy? What are you saying? I have been told that you have spoken. What is the question that you are asking?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, today morning, your good self waived off all the relevant rules and allowed this subject. When Derek was speaking, he said you have 'circumvented'. It is not circumvention. Your good self has waived it off. So, 'circumvention' is not a correct word. That has to be expunged and it has to be replaced with 'waiver'.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Nirmala Sitharaman.

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir,...

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhupender Yadav, if you have a point of order, then you can speak. Otherwise, don't reply.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, मेरा प्वांइट ऑफ ऑर्डर 238(4) है। कोई भी सदस्य, जब सदन में अपना विषय रखता है, तो विषय इस प्रकार का नहीं जाना चाहिए कि वह काउंसिल की ओपिनियन बने। श्री कपिल सिब्बल जी, इस सदन के विद्वान सदस्य हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की एकता के प्रति और भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल जी का भारत की एकता में बड़ा योगदान रहा है। यह कोई काउंसिल का expression नहीं है, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई stand है, तो श्री गुलाम नबी आज़ाद जी बता सकते हैं, लेकिन हम सदन के नाते उनके प्रति जो वक्तव्य किया गया है, इसकी भर्त्सना करना चाहते हैं। इसको निकाला जाए।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Nirmala Sitharaman. ...*(Interruptions)*... Please sit down. No, no; I have not allowed you. I called him because you raised it and he quoted a rule. I was going through it. Before my response, you started responding to him. I suggest to the Members not to respond to each other. If you have a problem, you seek my permission and, then, I will look into it.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to participate in this debate. It is a historic debate. In fact, it is something which this country has been waiting for the last seventy years. Even as this has been going on since morning, many hon. Members have been receiving messages from different parts of the country saying that they are extremely happy that this Government has taken up this historic step with conviction to enable a greater integration of Jammu and Kashmir into the country.

This is a major step. It is also a step which is a result of a lot of consultations. I know many hon. Members in the opposition asked, 'Have you had any consultation at all?' I would like to draw their attention to say under the Manifesto of the BJP, consultations did happen, not just this time. It has been one of the commitments of the party since the time of Jan Sangh. And, Sir, if you take the name of Professor and youngest Vice-Chancellor and Minister Shyama Prasad Mukherjee who was part of the United Ministry headed by Shri Pandit Jawharlal Nehru, who took up this cause and, we all know, he lost his life in a very, very suspicious circumstances, all in the name of keeping one India, one Constitution —one Samvidhan and one Pradhan. So, that is the kind of core belief that Jan Sangh and, subsequently, the BJP has. It is only as a result of constant consultations, discussions with people concerned and even as latest as 2019 Manifesto for the Lok Sabha elections, we elaborately mentioned the need for abrogation of Article 370. All this has not gone without consultations. And, therefore, don't think that we have popped it out or suddenly hatched a rabbit from a cap; not at all. This has been going on for a long time and all of us have been talking about it. This is one thing.

Secondly, haven't we seen, over the years, very progressive legislations? Some of them have even taken place during the Congress time, like the 73rd and 74th Constitution Amendment Acts. Did they implement effectively from the same time in the rest of the country? No. There had to be a lot of persuasion, in spite of the merit of the issue, to make sure that such progressive legislations which are happening in the entire country are yet to be implemented in Jammu and Kashmir. The one which all of us have been talking about for several years is the equal rights for women, which is not even today being implemented in Jammu and Kashmir! Sir, girls born in Jammu and Kashmir are denied their property rights even as they get married to people settled

[Shrimati Nirmala Sitharaman]

outside J&K! It is a gross injustice and that gross injustice has never been addressed with sincerity. Had only such kind of injustice been addressed, even before we took it up today, the House would not have to see the scenes that it saw today.

Sir, I can tell you, even with many of us travelling to Jammu and Kashmir, we have seen how SC, ST and *Bakarwals* about whom all of us speak never got their rights when compared to the SC and ST in the rest of the country. Why should the special status of Jammu and Kashmir start and end with discrimination against women, discrimination against SC, discrimination against ST? If that is the special status, I don't think any one of us in this House can be proud of that Jammu and Kashmir with a difference with inequalities so profoundly written on its face. At least because of that, hon. Members will forget the difference that they had otherwise, ideologically, and come together today to say that we could not do it, but we are happy that you are doing it. We are with you, while you are doing it.

To give a message to the entire country about the 1994 Resolution passed by the Lok Sabha and this very House that Jammu and Kashmir being an integral part of India, that it is not just Jammu and Kashmir which is with India now, but also that part of Jammu and Kashmir which is under illegal occupation of Pakistan. It was a resolution passed in the Parliament. If that is truly a resolution passed unanimously, shouldn't we be keeping the letter and spirit of passing of that resolution? So, neither from the point of view of human rights, nor from the point of view of equal rights for women nor from the point of positive, affirmative action for SCs and STs, do we want to talk about Jammu and Kashmir? ... but we want to talk about it because we created this whole hype that the 'special status' is so sacrosanct that even if it denies human rights, we will be with it. I am sorry, Sir, we have heard several times, people in Ladakh, who live in a very large area, where the population is so sparse, having been demanding that they want a status of Union Territory because it was too difficult to be administered. We have heard it over and over again. But, we did not take any step. Today, I am glad, after what is happening in this House, and later in Lok Sabha, we will be able to meet that aspiration of every Ladakhi for a separate Union Territory for them.

Lastly, I am glad to say that a Union Territory with an elected legislature for Jammu and Kashmir, inclusive of parts of Kashmir that are occupied by Pakistan, and the Union Territory to take care of the needs of Ladakh, from the point of view of the

aspirations of the people, from the point of view of development —today we call Kashmir 'Paradise'; we all want it to be maintained with its pristine beauty; but, not one person is willing to go and invest money, even to build a hotel there to receive the tourists; no investment is happening in Jammu andKashmir, unless we take this step, I am very grateful that the hon. Prime Minister has guided us, and the hon. Home Minister has brought this Amendment Bill —and, with this development, I am sure the true development and integration of Jammu and Kashmir will happen now onwards. Thank you, Sir.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, in Article 370 and 35(A), where the terms and conditions for the bilateral treaty that made accession possible, where is the provision for a plebiscite? This is a historic wrong being done to a State, promised autonomy in its working and decisions. The dissolution of the Constituent Assembly makes sure that the President does not need to consult representatives of the people of Jammu and Kashmir. Moreover, Article 3 of the Jammu and Kashmir Constitution declares Jammu and Kashmir to be an integral part of India. In the Preamble to the Constitution, the object of the constitution of Jammu and Kashmir is to further define the existing relationship of the State with the Union of India, as its integral part thereof. Moreover, the people of the State are referred as permanent residents, not citizens. Article 370 is not an issue of integration, but of autonomy. Those who advocate its deletion are more concerned with the uniformity, rather than integration. Much like the current civil agitation in Hong Kong, that is, the influence of the mainland China, we are moving close to creating States, fomenting with anger, and being forcibly made into Union Territories and there are sighs and screams of dissent among its citizens. Why has Section 144 been imposed if the Government is going along with the wishes of the citizens of Jammu and Kashmir? Should it be a cause of separation?

Let me conclude by saying that the Government should be more concerned about integration than uniformity.

Thank you.

SHRI AMAR PATNAIK (Odisha): Thank you, Sir, for allowing me to make a presentation on this topic.

As has already been spoken, there comes a time in the life of a nation when momentous things happen. And, this is one such momentous thing, one historic thing. But, as rightly said, whether history will judge it in a way that the Government would

[Shri Amar Patnaik]

like to believe that it has brought about a sea change, or, it will be counter-productive, will be judged in future. But, there is definitely one difference that is there in this particular Resolution. In the history of this nation, there have been incidences; there have been moments which have divided the country. But this is one Resolution where people of a particular area are being integrated into the mainstream. Article 370 was basically between Kashmiris and the Indians. This has, actually, brought them together. Now, the question is: Whether Article 370 which was there in Jammu and Kashmir, should that not have been there for the North-Eastern people of India, could that not have been there for Sikkim? So, there is, probably, no justification for Article 370 in the beginning, despite being whatever be the narrative. Now that we have come to a stage of passing the Resolution, the Biju Janata Dal feels that this is a time to move forward. There are two aspects to it. One is the Article 370 abrogation and the second one is Reorganisation. Reorganisation of the State has taken place many times before in this country. Out of the two important things that I have to point out, one is elections. The democratic process should return to Jammu and Kashmir very, very early. The people should believe in the democratic process; only then, the fruits of this change, this historic change, will be reaped by the country.

The second aspect is development, that everyone is talking about, for the Kashmiris. That should reach them. That should not reach to a group of people who burn schools and, at the same time, send their children abroad for studies, to a group of people who garner all the benefits, but do not give benefits to the people who are, actually, poor, who do not get jobs. So, for this development, it is proposed that the transitional phase, the transitional clauses, which have been written to be implemented within 12 months, 6 months or 9 months, should, actually, get implemented. Only then, the confidence of the Kashmiri people on these changes will be felt. They will, actually, come into the mainstream, into the Indian national flow or the Indian national development process, and all the rules, all the benefits that come to rest of India would probably go to them. Thank you, Sir.

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I am on a very serious note; while Ghulam Nabiji presented the historical perspective of Kashmir, Chidambaram Sahib presented the constitutional perspective also. I have a perspective which is personal to me and which also has a connect with the historical perspective. I am a

Kashmiri *pandit*, maybe the only Kashmiri *pandit* in Rajya Sabha today. Over a period of 100 years, we know how Kashmiri pandits migrated out of Kashmir. The last big exodus started after 1990. Since yesterday, the whole night, Kashmiri pandits have not slept. They did not know what is going to happen in Kashmir. This is not a story; this is not a fiction. From all over the world, I was getting telephone calls and messages. The problem that I see now is that we have tried to resolve the issue the BJP way. The BJP way was not the way where stakeholders were taken into confidence, because as Advocate General, I know how stakes are divided. There is a Resolution passed by the State Assembly. It is carried to the Parliament. Then, if Parliament says 'yes', it goes back to the State. I saw it in Madhya Pradesh. I was Advocate General there. We drafted the law at that time, the 2000 Reorganisation Act. There is a whole process of integration that takes place. Now, I don't know, you have created Union Territories. Can all the Kashmiri pandits, actually, go back? Will they be able to go back? Maybe, if the stakeholders were consulted, there was better bonhomie in bringing this whole enactment or doing this legislative action; that may have been possible. During the lunch break, I was talking to them again. All of them are sceptical whether they can actually go back! All I am saying is, maybe, we missed out on a very historic consultative process in this whole issue. If the Assembly had been in session there, the Assembly could have been taken into confidence. If it was done with the consent of all, which is what the Constitution envisages, people outside and the people who are yearning to go back to their homelands would have been happier. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Shri Prakash Javadekar. ...*(Interruptions)*... Please focus on the issue. ...*(Interruptions)*...

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आज यह सदन एक ऐतिहासिक काम कर रहा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Whoever is missed out and whoever has given the name, I am going through that. ...*(Interruptions)*... Everybody has got an angle. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: मेरे पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है, तो इससे पहले मैं खबर बताता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: What is wrong? Why are we making such comments? If the Minister has gone to the other House, what is wrong? He has not gone to his house? ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: खबर यह है कि कश्मीर में शांति भी है और लोग आज के उपाय के साथ में भी हैं। देश भर में और दुनिया भर में इस कदम का स्वागत हो रहा है, क्योंकि 70 साल से कश्मीर की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, वह अन्याय आज खत्म हो रहा है। इसलिए लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं तीन साल तक शिक्षा मंत्री था। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't make comments while sitting. We are not doing justice to ourselves.

श्री प्रकाश जावडेकर: कपिल जी भी जानते हैं कि वहाँ Right To Education लागू नहीं है। वहाँ ऐसे अनेक कानून लागू नहीं थे। यहाँ गरीब परिवार में जन्म लेने वाले छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी प्रवेश मिलता है। अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में उनको निःशुल्क प्रवेश मिलता है और उनको अच्छी शिक्षा का लाभ होता है। कश्मीर के छात्रों ने क्या गुनाह किया है कि उनको यह लाभ नहीं मिलता है, यह सवाल मुझे हमेशा सताता रहा। ऐसे एक नहीं, अनेक कानून हैं।

आज जैसा हमारे साथियों ने रिजर्वेशन के बारे में बताया कि वहाँ Scheduled Castes का, Scheduled Tribes का, बक्करवालों का, बाकी लोगों का रिजर्वेशन नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? ...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): Scheduled Castes का रिजर्वेशन है।

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : شیڈول کاسٹ کا رزرویشن ہے۔

श्री प्रकाश जावडेकर: Scheduled Castes का है, लेकिन यह अनेक वर्गों को क्यों नहीं मिलता, ...(**व्यवधान**)... क्योंकि मैं बता रहा हूँ, political है। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, ...(**व्यवधान**)... आर्टिकल 370 के बारे में जैसा हमारे साथियों ने बताया, उस समय कहा गया था कि it is a transient provision, यह समाप्त होगी | अब 70 साल से ज्यादा कितना समय चाहिए? सभापति महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी एक 370 ने जम्मू-कश्मीर को पूरे देश से अलग रखा। देश के नागरिकों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, कानून का जो फायदा मिलता है, वह कश्मीर के हमारे भाई-बहनों को नहीं मिलता, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है! एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, यह कैसे चलेगा? फिर यह अलगाववाद क्यों बढ़ा, कभी तो एक बार झाँक कर देखिए, analysis करिए। आपने जम्मू-कश्मीर के लिए जिस तरह से अलग provision किया और लगातार अलगाववाद की एक नई भावना पैदा हुई, वह भी उसका कारण है, यह हमें समझना चाहिए।

Constitution बनाते समय भारत में भी Constituent Assembly थी, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट की स्थापना हुई, Constituent Assembly खत्म हुई। उस समय किसी ने यह नहीं

†Transliteration in Urdu Script.

5.00 P.M.

कहा कि अन्याय किया गया। इसलिए भारत के लिए जो अन्याय नहीं है, वही आज जम्मू-कश्मीर में लागू होता है, तो वह अन्याय कैसे होगा? कपिल जी को मालूम है कि RTE लागू होने के बाद जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उन अप्रशिक्षित शिक्षकों को दो साल की D.Ed. करने की जरूरत थी। आज हमने देश भर में 44 लाख टीचर्स को यह शिक्षा दी। Now, they are well-equippd.लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं कश्मीर के शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दे सका।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: वहां 60 साल से D.Ed. और B.Ed. हैं।

قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : وہاں ساٹھہ سال سے ڈی۔ایڈ اور بی۔ایڈ ہیں۔

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, जानकारी मेरे पास भी है, वहां सभी D.Ed. और B.Ed. नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... कश्मीर की जनता और छात्र ...(**व्यवधान**)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Jammu and Kashmir was the first to have B.Ed. and M.Ed. Ask your PMO. ...*(Interruptions)...*

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: ऐसा है, आप जरा आरटीआई को देखिए। जिसको पांचवीं तक के छात्रों को पढ़ाना है, उसको D.El.Ed. करना जरूरी होता है, लेकिन वहां पर नहीं थे। ...(**व्यवधान**)... मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर के छात्र अध्ययन करना चाहते हैं। हम लोग 'प्रधान मंत्री स्कॉलरशिप्स' देते हैं। 1.5 लाख से 4 लाख रुपये तक की 5,000 स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जिससे वे देश भर में सही जगह शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब हम सब छात्रों के साथ 5,000 स्कॉलरशिप्स के लिए संवाद करते हैं, उसमें 40-40 हज़ार छात्र आते हैं। उन सभी की यह इच्छा होती है कि हमें भी स्कॉलरशिप मिले, इसलिए हम अब स्कॉलरशिप्स की संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से एक ही सवाल है, कोई मुझे इसका जवाब दे कि जो कानून देश भर के लोगों पर लागू है, जिस कानून के माध्यम से देश भर के लोगों को फायदा मिल रहा है, तो कश्मीर नागरिकों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उनको उस कानून से फायदा नहीं मिले? जब इस देश के सभी नागरिक एक समान हैं, सबके लिए एक ही कानून है, तो अगर वही कानून कश्मीर में भी आता है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सारे देश में जैसा कानून है, वैसा ही कश्मीर में भी होगा। कश्मीर हमारे देश का बहुत अच्छा प्रदेश है, उसको भी विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, यह हमें समझना चाहिए और इसीलिए आज यह बिल लाया गया है। अनेक पार्टियों ने इसके लिए समर्थन दिया है, लेकिन तीन-चार पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं किया है। आज का दृश्य देखकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। मैं कहता हूं

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री प्रकाश जावडेकर]

कि आप लोग स्वयं देखें कि आने वाले 24 घंटों में बाहर क्या रिएक्शन होता है? मुझे विश्वास है कि कल जब यह बिल लोक सभा में जाएगा, तब आपके दल भी जरूर अपनी भूमिका बदलेंगे और लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की आकांक्षाओं के साथ आएंगे। वहां के लोगों में भी तरक्की की आकांक्षा है। आज भारत बदल चुका है। भारत के नौजवानों को, भारत के लोगों को अब तरक्की चाहिए। They want peace and progress, not terrorism. अलगाववाद और नहीं। अलगाववादियों को गिरफ्तार करके रखा गया, उनकी सेक्योरिटी को कम किया गया, तो कहां उसके लिए कोई आन्दोलन या प्रदर्शन हुआ? कोई आन्दोलन नहीं हुआ, क्योंकि कश्मीर की जनता अलगाववादियों के साथ नहीं है। कश्मीर की आवाम हमेशा अच्छी तालीम, शांति और तरक्की चाहती है। वही तरक्की और शांति कायम करने के लिए आज ये तीनों-चारों बिल लाए गए हैं। मुझे लगता है कि आगे चलकर ये देश के इतिहास में मील के पत्थर साबित होंगे, इसलिए हम सबको इनका समर्थन करना चाहिए, यही मैं आपस सबसे अपील करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, it is. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Derek. ...*(Interruptions)*... Please. I have permitted him. I am presiding over the House and also deciding. Why are you worrying? Yes, Mr. Derek.

SHRI DEREK O'BRIEN: Thank you, Sir. I wish to quote two rules. The first is Rule 69(2). The Bill on the content about constitutional immorality —and why do we bring the constitutional immorality and the procedural *harakiri*? Sir, the procedural *harakiri* refers to Rule 69(2) because, as you said, you gave us the time, but in that limited time we could not move any other motion.

MR. CHAIRMAN: That has been already addressed. We have given four hours for the amendments.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, now Rule 258; I must bring this to your notice.

MR. CHAIRMAN: Please don't raise issues in between unnecessarily.

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir; I have a genuine problem. I am concerned about Members of Parliament from my party who left Kolkata at 6.00 a.m. to reach here by 8.30 a.m. to participate in the voting, but they have been diverted to Amritsar because of troop movement in Delhi.

MR. CHAIRMAN: So what? That happens to other people too sometimes.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please protect me. Delay this by half-an-hour so that our MPs can come because procedural *harakiri* is happening and constitutional immorality is happening.

MR. CHAIRMAN: Please do not make sweeping remarks. You have made a request. I would consider that. Now, the Minister has to come from the other House. So, we would have Special Mentions now, as I said in the morning, after that, we can resume. ...*(Interruptions)*... We have got eight-nine names here. It cannot be one side alone.

श्री सभापति: राम गोपाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, मैंने 2 मिनट का extra समय माँगा था। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: ठीक है, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... हरेक व्यक्ति बोल रहा है। क्या बात है। What is this? ...*(Interruptions)*... Your Party's allotted time is over. ...*(Interruptions)*... Talk to your Parliamentary Affairs Minister. ...*(Interruptions)*... I have to deal with various Members in the House. ...*(Interruptions)*...

प्रो. राम गोपाल यादव: थैंक यू, सर। अभी मैं सुन रहा था, जावडेकर साहब बोल रहे थे। ...**(व्यवधान)**... सर, मैं उन्हें सुन रहा था। ...**(व्यवधान)**... वे देश के बहुत जिम्मेदार मंत्री रहे और अभी भी मंत्री हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: The House and the Chairman is at liberty to alter the timings and also adjust according to the situation that is required. Please understand this. ...*(Interruptions)*... राम गोपाल जी, आप बोलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, अभी जावडेकर साहब बोल रहे थे। 11 साल तो ये भी सरकार में पूरी तरह से रहे हैं, तभी कुछ कर देते। सब पर इतना लांछन लगा रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। 5-6 साल, 1 महीना, 13 दिन अटल जी रहे और 5 साल से मोदी जी रहे। दोनों बड़े नेता हैं। ...**(व्यवधान)**... ये इतने दिन रहे या नहीं रहे? तो सब पर लांछन मत लगाइए। आप भी उसके भागीदार हैं।

दूसरे सर, मैंने सुबह एक मामला उठाया था और माननीय गृह मंत्री जी ने उसका बहुत ही satisfactory जवाब दिया था। I was satisfied, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। माननीय लॉ मिनिस्टर यहाँ हैं। वे हमें enlighten करें कि जब आपने Union Territories बना लीं, तो भारतीय संविधान में 29 की जगह 28 राज्य और 7 की जगह 9 Union Territories लिखनी पड़ेगी। लिखनी पड़ेगी या नहीं लिखनी पड़ेगी? वह ऐसे ही लिख देंगे या संविधान में संशोधन करके, Schedule One में, जो पहली अनुसूची है, उसमें लिखेंगे? That's why I want to know this.

श्री सभापति: अभी होम मिनिस्टर नहीं हैं। उनके आने के बाद ही होगा। ...**(व्यवधान)**... The Law Minister is here.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मैंने लॉ मिनिस्टर से ही पूछा है।

MR. CHAIRMAN: Ravi Shankarji, some enlightenment has to be there.

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, माननीय राम गोपाल जी बड़े अनुभवी सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लम्बे समय से सदन में हैं। जिस समय 3 प्रदेश बने थे, तब मैं भी था और आप भी थे। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों प्रदेश अलग-अलग कानून से बने थे। उन तीनों प्रदेशों के बनने के बाद जो नये प्रदेश बने, तो परिशिष्ट में भारत में प्रदेशों की संख्या बढ़ गयी। संसद के द्वारा साधारण कानून पारित करने के कारण ये जो नये प्रदेश बने, उसके परिणामस्वरूप शैड्यूल में परिवर्तन हो गया। तो शैड्यूल में परिवर्तन के लिए, कि स्टेट्स की संख्या 29 है या 28 है, कोई संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सेक्शन 3 में यह साफ है। ...**(व्यवधान)**...

PROF. RAM GOPAL YADAV: I am satisfied.

श्री रवि शंकर प्रसाद: धन्यवाद, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: We must really have such doubts to be raised meaningfully and then some response must come from the other side. This is the way we have to conduct ourselves. There is nothing wrong in it.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, वैसे राम गोपाल जी मेरी बात मान लेते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है।

MR. CHAIRMAN: He is a gentle man, that is a problem! Now, I am taking up Zero Hour, giving a break to the Legislative Business for some time. After that, we will revert to the Legislative Business. Please try to understand. First name is of Dr. Sonal Mansingh, then Shrimati Shanta Chhetri, Shri Vijay Goel, Shri Ram Kumar Kashyap, Shri Rakesh Sinha, Shrimati Vandana Chavan...

KUMARI SELJA (Haryana): Sir, Kalitaji is number one. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, you decided at 10.30 a.m. and at 11.00 a.m. you announced his resignation. What happened between 10.30 a.m. and 11.00 a.m.?

MR. CHAIRMAN: For information, I will tell you. I waited upto 10.30 a.m. But some of the notices which were given yesterday and Friday, I would have decided them beforehand also. Shri Jairam Ramesh is extra intelligent.

That is a problem. Sometimes, I am not able to cope with him. Please remember, on Friday, I said that whatever notices were given on Friday they would be valid for Monday also. You know my observation from the Chair at that time. Secondly, today morning, we had sent a Bulletin that this will be taken up in the evening. That is also there in today's Bulletin. He has now ceased to be a Member of the House on his own. He quit on his own. I also enquired from him. Now, Dr. Sonal Mansingh.

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this historic day on this important debate.

MR. CHAIRMAN: No, no, you have given notice on "Two schemes for perennially providing natural mineral water and unpolluted water for our cities." We are not on Kashmir as of now. This is Zero Hour.

DR. SONAL MANSINGH: Okay, Sir. But, I will speak on art and culture. Then, I will connect it to...

MR. CHAIRMAN: Please get ready before that. Is Shrimati Shanta Chhetri there? You come back, Dr. Sonal Mansingh, check up; I will give you an opportunity.

DR. SONAL MANSINGH: I would like to connect the entire issue. I am not talking on the issue. I want to talk about the art and culture traditions of our country once again.

MR. CHAIRMAN: Please.

DR. SONAL MANSINGH: Sir, what is it!

MR. CHAIRMAN: You can only speak on a matter which is before the House. I will call you. Please sit down. Someone should tell her also what exactly the subject is. She might have given two, three notices. She may have forgotten. Now, Shri Vijay Goel.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Problems of unauthorised colonies and constructions in Delhi

श्री विजय गोयल (राजस्थान): सभापति जी, मैं सदन का ध्यान दिल्ली की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: मंत्री जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री विजय गोयल: दिल्ली में आज इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं और उन समस्याओं के केन्द्र में है - दिल्ली में होने वाला unauthorized construction - अनधिकृत निर्माण - जो बिना किसी रोकथाम के लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी भूरे लाल जी की अध्यक्षता में बनाई थी, परन्तु उस कमेटी की सिफारिशों के बावजूद, दिल्ली में आज भी अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं, unauthorized construction चल रही है। इस पर हम सबको चिन्ता करना बहुत जरूरी है। आज haphazard manner में दिल्ली बढ़ती चली जा रही है। आप कहीं भी चले जाएं, दिल्ली में आज 1797 unauthorized colonies हो गई हैं, जिनमें बिजली, पानी, सड़कों, पार्कों, स्कूलों, कम्युनिटी हॉल आदि की समस्याएं हैं। दिल्ली सरकार ने इनकी boundaries तय करनी थीं, जो आज तक तय नहीं हो पाईं। उनके layout plans बनने थे, वे भी नहीं बन पाए। एक तरफ unauthorized colonies में हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ नई unauthorized construction दिन-रात हो रही है। आप देखें कि NOIDA, गुड़गांव, फरीदाबाद या भिवाड़ी में एक ईंट भी कोई अनाधिकृत रूप से नहीं लगा सकता, किन्तु यहां हमें लगता है कि सभी agencies सो रही हैं और मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज दिल्ली में सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। इसका सीधा असर यहां के प्रदूषण पर पड़ रहा है। प्रदूषण के मामले में देश भर में दिल्ली आज नम्बर वन पर आ गई है। इसका सीधा संबंध infrastructure, पानी, बिजली और नागरिक सुविधाओं पर पड़ता है, किन्तु हम लोग उसकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन राजधानी होने के बावजूद, अगर लुटियन क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो पूरी दिल्ली में छोटी-छोटी गलियां और बस्तियां बन गई हैं और उनमें समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। पूरी दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को पार्किंग नहीं मिलती। आगे जब आपस में लड़ाइयां होंगी, वे पार्किंग को लेकर होंगी कि मेरी कार यहां क्यों खड़ी है, तुमने कार वहां क्यों पार्क कर दी है? अगली लड़ाई पानी को लेकर होने वाली है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को सीधे तौर पर देखना चाहिए कि दिल्ली में कम से कम जो unauthorized construciton हो रही है, सारी agencies मिलकर उसे रोकें, ताकि यहां के आम नागरिकों को सुविधाएं मिलें। दिल्ली में जो 1797 अनाधिकृत colonies हैं, जिन्हें मैं self made colonies कहता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों के समय DDA and Housing Board ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: विजय जी, प्लीज़ conclude करें।

श्री विजय गोयल: इसी कारण ये समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। उनका regularization होना बहुत जरूरी है।

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Kumar Kashyap —absent. Shri Rakesh Sinha —absent. Shrimati Vandana Chavan. This is about 'Destruction of Aravali Hills'.

Destruction of the Aravali Hills

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Yes, sir. In fact, I had given it two days back, so, I was not sure that it is going to come up today. All the same, Sir, in the last few days, we have been constantly seeing newspapers reports showing that Aravali hills around Delhi are being totally destructed. Sir, quarrying is happening and stones are being used for construction purposes. We have to realise that hills and mountains of any area are absolutely important natural features of our country and these cannot be destroyed. Over the years, as stones are being quarried, we also see that the green cover is disappearing and the wildlife is disappearing. Delhi is already facing the problem of air pollution and this dust, which is being generated while cutting the stones, is also adding to the air pollution of the city. Therefore, I urge upon the Government to look into this matter. Hills and mountains, no matter where they are, should be treated as natural features and should be treated as heritage. And, we have to make sure that we safeguard them. I urge upon the Government to look into this and make sure that we do not destroy our natural features. Thank you, Sir.

DR. SUBHASH CHANDRA (Haryana): Sir, I associate myself with the matter raised by Shrimati Vandana Chavan.

MR. CHAIRMAN: Shri Mohd. Ali Khan, not present. Shri R.K. Sinha.

श्री आर. के. सिन्हा (बिहार): माननीय सभापति महोदय, मैं आज स्पेशल मेंशन के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूँ। विभिन्न एजेंसियों की अनेकों रिपोर्ट्स और मीडिया में नियमित रूप से वायु प्रदूषण के बारे में प्रकाशित होती रहती हैं, वह वायु प्रदूषण की एक डरावनी तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। इन रिपोर्टों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि वायु प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं और इन मौतों का आंकड़ा प्रति वर्ष लाखों में है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: R.K. Sinhaji, you are reading the Special Mention. Right now, I have called you to speak on the matter that you have given for Zero Hour for mandatory training in schools for life-saving skills in disaster management.

SHRI R.K. SINHA: I am sorry, Sir.

MR. CHAIRMAN: Afterwards, the Special Mentions will also be taken up. Now, you can speak on the Zero Hour mention. As two days have gone by, people may have forgotten. After Friday, Saturday and Sunday, sometimes, it is difficult to remember.

[Mr. Chairman]

For Members, who are making comments, I would like to say that my ear catches everything. There is no provision for Zero Hour and Special Mentions. It is I who took the initiative and I am conducting it during the extended Session. Extended session is only for Government Business. Please understand. If you are not interested; it's okay, no problem. But, there are Members who are working hard and giving notices. Now, R.K. Sinhaji, please continue.

Need for mandatory training in schools for life-saving skills in Disaster Management

श्री आर. के. सिन्हा: माननीय सभापति महोदय, मेरा यह ज़ीरो ऑवर का नोटिस कई बार आया, लेकिन कई कारणों से टेकअप नहीं हो सका। आज मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज मेरा यह ज़ीरो ऑवर टेकअप हो गया। मैं इस शून्यकाल के नोटिस के माध्यम से बच्चों और किशोरों के पाठ्यक्रमों में सेल्फ केयर एंड प्रोटेक्शन मॉड्यूल के गठन का विचार रखना चाहता हूँ। हम देश भर में चाहे कहीं भी किसी भी अखबार के पन्नों को पटलें, तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाएगा, जब हम छोटे बच्चों के डूबने ने या उनके जहरखुरानी, उनके जल जाने, जानवरों द्वारा काटे जाने, रोड accident में मौत, जैसी खबरों से रू-ब-रू नहीं होते होंगे। ऐसे बहुत सारे युवा छात्र हैं, जो कट-ऑफ मार्क्स और प्रचंड प्रतिस्पर्धा के दुष्चक्र में फंस जाते हैं और वे इससे अवसादग्रस्त हो जाते हैं। वे अवसाद और चिंता जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं और इन समस्याओं से जूझते रहते हैं। पूरे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त कतिपय अप्राकृतिक कारणों से हमारे बच्चे और किशोरों की असामयिक मौत की एक प्रमुख वजह उनके पाठ्यक्रमों में सेल्फ केयर एंड प्रोटेक्शन मॉड्यूल का अभाव है। उनके शिक्षण पद्धति में इसका अभाव है, इसलिए बच्चों को बहुत कम उम्र से ही प्री-स्कूल से लेकर, स्कूल, घर, ट्यूशन आदि में उनको यह बताया जाना चाहिए कि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या असामयिक परिस्थिति आने पर किस तरह से निपटा जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विशेष कर गृह मंत्रालय से, आपदा प्रबंधन मंत्रालय से और मानव संसाधन मंत्रालय से यह अपील करता हूँ कि वे छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल में और even सेकंडरी स्कूल में भी यह सेल्फ केयर एंड प्रोटेक्शन मॉड्यूल को शिक्षा के पाठ्यक्रमों में डाले, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: This Zero Hour submission is about "Menace of female foeticide".

Menace of female foeticide in the country

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (West Bengal): Sir, through you, I want to draw the kind attention of the hon. Minister of Health and Family Welfare and the entire

House. We are facing a serious social, medical and mental crisis in our society and this is a case of individuality also. Recently, it has been observed that the number of female foeticide is increasing in our country. The evidence is the sex ratio in the country. There is a deep gap in the sex ratio in many States. This is not the condition in all the States, but, in many States, the condition is the same with regard to the sex ratio. Recently, a report came about Uttarakhand and Uttarkashi area. In 132 villages, 216 child births took place. Out of which, not a single female child was there. After that report came, the villagers, the social scientists, the medical officers, district administration, all of them went to that place and surveyed. What is happening there! We have a legal perspective of Union Government as well as the State Government that the detection of sex of foetus through ultra sonography is illegal and it is a punishable offence. But, even after that, this illegal process of sex determination is continuing with the help of some private ultrasound clinics. Some doctors, some quacks in villages, are also involved in this. They are detecting the female foetus and killing her. The mentality of the male and particularly the mentality of the family is not in favour of birth of a female child. So, I urge upon the Government, through you to kindly give a note from the Ministry of Health and Child Welfare to all the States to be very concentric on the investigation as to why our female child is not progressing in number. The family, the husband and wife, the society and the village, they are all against the birth of a female child. This is a serious issue in our country and we should change this mentality and we should stop it and intervene in a way that we could save the female child in our country.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SURESH GOPI (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter re-raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Please send your names. The next speaker is Shri Prabhakar Reddy Vemireddy, not present. Now, the next speaker is Shri Jairam Ramesh.

Urgent need to implement directive of the National Green Tribunal on protection of Western Ghats

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, I wish to draw the Government's attention to the urgent need to protect the ecologically valuable, but, critically endangered Western Ghats. I hope my good friends, Mr. Sadananda Gowda and Mr. Suresh Gopi will associate themselves with this. In August, 2011, the Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) set up under the Chairmanship of Shri Madhav Gadgil, India's pre-eminent ecological scientist, submitted its recommendations to the Government suggesting that 64 per cent of the Western Ghats area be notified as ecologically sensitive. Thereafter, two years later, another Committee Chaired by the eminent space scientist Dr. Kasturirangan, reduced the area for ecological protection from 64 per cent to 37 per cent. But, more importantly, denied any role to democratically elected local panchayats. The problem is that the Government of India is now using the Kasturirangan Committee in its discussions with the States; Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Now, this is disastrous not only because the area under protection is being reduced, but also, because the local panchayats and Nagar palikas are going to be denied their say, when it comes to environmental issues. Therefore, Sir, I urge upon the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to reject the methodology and conclusions of the Kasturirangan Committee and go back to the original Gadgil Commission for notifying ecologically sensitive areas. This is very important for livelihood and water security in local areas. Sir, the unprecedented floods in Kerala, last year, and in parts of Karnataka demonstrates very clearly the need to protect the Western Ghats lock, stock and barrel. Sir, my demand is to reject the Kasturirangan Committee and go back to the earlier Gadgil Committee recommendations. Thank you.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SURESH GOPI (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, I support the Kasturirangan Committee and not the Gadgil Committee.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Vaiko to speak on the issue of proposed dumping of nuclear waste in the Kudankulam Atomic Plant.

SHRI VAIKO: Sir, kindly permit me to raise my Zero Hour mention tomorrow.

Need for introduction and passing of the Women's Reservation Bill

SHRI SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak in the Zero Hour on the Women's Reservation Bill.

Sir, people might be confused as to why I am raising the Women's Reservation issue. This was the first matter which I raised as my first submission on 8th of July, after I took oath on 4th July. Sir, the reason is that the Session is about to end in the next three days, and, even if it is extended, probably by this week. Sir, we have been passing many historic Bills. Today, we are talking about reorganization of Jammu and Kashmir, we are talking of scrapping of Article 370. We have done a lot of things. We have talked about Insolvency and Bankruptcy Code, we have talked about Motor Vehicles Bill, we have talked about Companies Amendment Bill and we have talked about a lot of other things but the fact is that the issue of empowerment of women, on which all the political parties went to election this year, is sadly forgotten. I would take this opportunity to remind the Government, though it is a historic day in terms of Jammu and Kashmir, fifty per cent of India still needs Women's Reservation Bill for the sake of women's empowerment.

Sir, as I also mentioned in my first submission on 8th of July, and, I thank you for your appreciation, how long we will have to wait for the Women's Reservation Bill? Will it again come to the House around the elections in 2024? Therefore, may I request, through you, to the Government, while it wants to create history on various fronts, and, rightly so, I do not deny them that, let them make history by, at least, providing an

[Shri Sasmit Patra]

assurance to the House that yes, if not in this Session, at least, in the Winter Session, the Women's Reservation Bill will come? That would be truly historic, and, that would be women's empowerment in true sense. Thank you.

SHRI VAIKO: Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम (ओडिशा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

SHRI A.K. SELVARAJ (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu); Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती झरना दास बैद्य (त्रिपुरा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्रीमती अम्बिका सोनी (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री आर.के. सिन्हा (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री सभापति: ठीक है, slips लिखकर भेज दीजिए। श्री सी.एम. रमेश। सुश्री सरोज पाण्डेय। जो अपना नाम देते हैं, वे हाउस में रहते हैं और फिर बीच में चले जाते हैं, इन लोगों को थोड़ा मोती लाल वोरा जी को देखकर सीखना चाहिए। I was really worried in the morning when all our Congress friends were squatting here, the old man because he could not sit, kept standing there. I was feeling sorry for him. But, still he was there. Even now, he is here. We should all really emulate such examples of senior people for becoming a good Parliamentarian. Now, Shri Ram Kumar Kashyap.

Non-disbursal of claims by insurance companies

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): सर, मैं आपके माध्यम से जीवन बीमा कंपनियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

सर, हमारे देश में बहुत-सी जीवन बीमा कंपनियाँ काम कर रही हैं। जब इनके द्वारा ग्राहकों को पॉलिसी दी जाती है, तो कई तथ्यों के संबंध में कंपनियों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है। जैसे- एलआईसी, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ। ग्राहकों को अपनी पॉलिसी जारी रखने के लिए कम से कम तीन साल तक किश्तों का भुगतान करना होता है। अगर किसी कारणवश वह अपनी सारी किश्तों का भुगतान नहीं कर पाता, तो उसकी पॉलिसी खत्म हो जाती है और उसे पैसा भी नहीं मिलता। इस कारण, लाखों-करोड़ों रुपये इन कंपनियों के पास रह जाते हैं और पॉलिसीधारक की मेहनत की कमाई बेकार हो जाती है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि यदि किसी कारणवश पॉलिसीधारक अपनी किश्तों का पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता, तो उसका जितना पैसा जमा है, उसे मिल जाना चाहिए। कंपनियों द्वारा कम से कम तीन साल की जो समय-सीमा निर्धारित की गई है, वह व्यावहारिक नहीं लगती, इसलिए उसे भी समाप्त किया जाना चाहिए, धन्यवाद।

MESSAGE FROM LOK SABHA–*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Message from Lok Sabha.

The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha, at its sitting held on the 5th August, 2019."
>
> I lay a copy of the Bill on the Table.

MR. CHAIRMAN: Mr. Derek, what is your complaint?

SHRI DEREK O'BRIEN: I am waiting for the Bill. My Members have landed.

श्री सभापति: समय लगेगा।

SHRI DEREK O'BRIEN: The flight has landed.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. Should I take up Special Mentions for some time or start the reply?

SOME HON. MEMBERS: You can start.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, my suggestion is that you lay Special Mentions on the Table.

---

*SPECIAL MENTIONS

Demand to issue identity cards to all the Handicraft Artisans of Odisha and share the data of the same with the Government of Odisha

SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM (Odisha): Mr. Chairman, Sir, the issue that I would like to raise is regarding provision of identity cards to the handicraft artisans of our State, Odisha.

Sir, identity cards are being issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Government of India, based on a prescribed format. I would suggest that a complete exercise must be undertaken to issue such identity cards to all the handicraft artisans of Odisha, so that related developmental plans and projects of the State could be implemented.

I would urge upon the Government to take necessary steps to cover all the handicraft artisans of Odisha in the year 2019-20 and issue identity cards to them. Also, the database must be shared with the Handloom, Textiles and Handicraft Department, Government of Odisha.

Demand to formulate and implement suitable measures for proper disposal and recycling of Lithiumion batteries

SHRI MAHESH PODDAR (Jharkhand): Sir, the batteries used in the e-rikshaws, mobile phones, laptops and other electronic devices are lithium ion batteries. They are more efficient, in both charging and discharging, than lead acid batteries, but the main issue with these lithium ion batteries is that they contain chemicals that are highly toxic and highly reactive in nature and hence their proper disposal and recycling is necessary.

Hon. Chairman, in the light of the aforesaid environmental concerns and hazards posed by the lithium ion batteries, I would like to raise this issue on the floor of the

*Laid on the Table.

House and urge the Government to formulate and implement suitable measures for their proper disposal and recycling.

Demand to stop the killing of elephants for consumption of their meat

श्री अहमद हसन (पश्चिम बंगाल): महोदय, नार्थ-ईस्ट के मिजोरम और नागालैंड में एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। इन दो राज्यों में देखा गया है कि कुछ स्थानों में वहां के लोग हाथियों की हत्या करके उसका मांस खा रहे हैं तथा पूरे गांव के लोग उस मांस के भागीदार बन रहे हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल नागालैंड के लितामी गांव के नजदीक एक हाथी को पहले गोली से मारा गया और फिर उसकी खाल को निकालकर मांस को गांव के प्रत्येक परिवार को उसका मांस समान रूप से वितरित किया गया। इससे पहले पश्चिम मिजोरम के कन्हमून फारेस्ट रेंज के निकट स्थान में एक पालतू हाथी का मांस भी वहां के गांव वालों ने वितरित किया और उसका आहार किया। इस हाथी की मृत्यु किस तरह हुई, उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है।

महोदय, इस तरह अगर हाथियों का मांस खाने का प्रचलन बढ़ेगा, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हाथी का मांस खाने से मानव शरीर को कितना फायदा-नुकसान होगा, इसके बारे में अभी तक कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। हाथी को भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत सारे देवी-देवताओं के साथ भी हाथी से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हाथियों की हत्या नहीं होनी चाहिए।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि हाथियों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

Demand to take steps to increase participation of women in work force

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपका ध्यान महिला श्रमिकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। NSSO की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की श्रम भागीदारी गाँवों में 35.8 प्रतिशत और शहरों में 20.5 प्रतिशत थी, जबकि Periodic Labour Force Survey 2017-18 के अनुसार ये आँकड़े गाँवों में 24.6 प्रतिशत और शहरों में 20.4 प्रतिशत हैं। इस तरह गाँवों में महिलाओं की भागीदारी में 11 प्रतिशत की कमी आई और 2004-05 के मुकाबले तो यह लगभग 20 प्रतिशत कम है। उनकी भागीदारी में निरंतर गिरावट चिंता का विषय है। कृषि कार्यों में महिला भागीदारी 13.9 प्रतिशत है, उनमें भी छोटे और मँझले किसानों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो भूमिहीन हैं या परिवार के साथ बँटाईदार का काम करती हैं। भारत में 25 से 54 साल की 29.1 प्रतिशत महिलाएँ श्रमिक हैं, जबकि इसी आयु वर्ग के पुरुषों में यह आँकड़ा 97.8 प्रतिशत है। यदि महिलाओं को पर्याप्त अवसर मिले, तो वे भी पुरुषों की तरह मिल कर देश को आगे बढ़ाने की काबिलियत रखती हैं। एकल महिलाओं के सामने रोजी-रोटी कमाने, बच्चों

[श्री पी.एल. पुनिया]

का पालन-पोषण करने के साथ ही अपना मान-सम्मान बनाए रखने के लिए इन एकल महिलाओं के लिए अलग से राष्ट्रीय नीति बनाया जाना अनिवार्य है।

अत: आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए और उन्हें पुरुषों के बराबर लाने के लिए रणनीति बनाई जाए। साथ ही एकल महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार अलग से राष्ट्रीय नीति बनाए। इसके साथ 'किसान सम्मान योजना' में बँटाईदार और भूमिहीन किसानों को भी जोड़ा जाए।

Demand to reserve the seats for Odisha students in the National Law University at Cuttack

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, there are altogether 19 National Law Universities in the country functioning in different States. The National Law University at Cuttack in Odisha was set up in 2009 and has been producing high quality students. Many students of caliber but hailing from lower middle-class family intend to take this course but cannot afford to pursue their studies outside the State because of financial and other family reasons. Out of the 19 Universities, 18 Universities in the country have the provision of 25 per cent reservation of seats for the students belonging to that particular State except Cuttack Law University in Odisha. The reason is best known to University authorities. The Odisha Government has been requesting the University to make provision for reservation for Odisha students but so far without any result. It is argued that reservation of this kind may impact upon the brand value of the University. If the same system does not affect the brand value of other Universities, how it does affect the brand value of Cuttack University is beyond anybody's understanding. Policy of reservation in Central Universities should be uniform. It cannot vary from institution to institution and State to State. When we are chanting the mantra of Ek Rashtra Ek Niti, why do we follow different policies in educational institutions especially in Universities in regard to reservation? I request the HRD Ministry to take up the matter and impress upon the said University to consider reservation for Odisha students as is done in other law universities.

Demand to set up the Coast Guard Academy in Mangaluru, Karnataka

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, being a multi-mission organisation and conducting round-the-year real life operations, the Indian Coast Guard is playing a pivotal role in securing our territorial waters. Karnataka is a State which has 320 kilometres of coastline between Mangalore and Karvar.

After Mumbai attacks, the Government of India decided to strengthen the Coast Guard by tripling its assets, force and infrastructure. In pursuance of this decision, the Government of Karnataka sent proposal for setting up of Coast Guard Academy in Mangaluru, as it is strategically located. The Academy was proposed to be developed in 160 acres of land, and the High-Powered Committee of Government of Karnataka also cleared this proposal. After this, the then Defence Minister visited Mangaluru and inspected the site in 2017. The Minister assured that Academy would be set up very soon. It is two years since the Defence Minister visited the site. But, proposal, I understand, has not moved even an inch. The Chief Minister of Karnataka had also written a letter in July, 2018, to the Defence Minister for setting up of this Academy. But, so far, no approval from the Ministry of Defence has come.

The Government of Karnataka is requesting to set up the Academy due to the strategic advantage that the place has. If the Government of India delays setting up of the Academy, how can the objective of securing our territorial waters be achieved?

In view of the above, I request the hon. Minister of Defence to take cognizance of this request and take steps to set up the Coast Guard Academy in Mangaluru of Karnataka.

Demand to increase minimum pension upto ₹ 3000/- per month under the Employees Pension Schemes (EPS) 1995

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, under the Employees Pension Scheme (EPS), 1995, a minimum pension of ₹ 1,000 per month is given to pensioners since the year 2014. There are around six million pensioners, out of which, about four million are getting less than ₹ 1,500 per month. Of these, 1.8 million are the existing beneficiaries under the minimum pension of ₹1,000. The Government has pension funds of about ₹ 3 lakh crore. If employees are members of the Employees Provident Fund scheme, they are automatically enrolled into the EPS scheme. Twelve per cent of the employees' salary every month goes to the EPF account while 12 per cent of the employer's contribution is divided into 3.67 per cent for EPF, 8.33 per cent for EPS, 0.5 per cent for EDLI and rest for administrative charges. Even, the Central Government contributes 1.16 per cent of the employee's basic salary plus daily allowance.

[Shri Vijila Sathyanath]

The All-India EPS-95 Pensioners Sangharsh Samiti have been demanding for long that the minimum monthly pension should be raised to anywhere between ₹ 3,000 and ₹ 7,500.

The recent announcement of a guaranteed pension of ₹ 3000 to 100 million unorganised workers has further build up pressure before the EPFO to increase the minimum pension.

A parliamentary panel had last year asked the Government to assess EPS, 1995 and consider revision of the minimum monthly pension saying that the social security benefit was too meagre to fulfill even the basic needs.

Sir, I appeal to the Government to raise the minimum pension to ₹ 3,000 per month will benefit around four million workers in India.

Demand to remove encroachments from water bodies and choosing crops according to water availability to preserve groundwater

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, we all are aware that water is essential for life. Unfortunately, it is also one of the most ill-treated commodities in India. According to a forecast by the Asian Development Bank, India will have a water deficit of 50 per cent by 2030. In India, a quarter of the world's groundwater is extracted annually, the highest in the world, which is greater than that pumped up by China and the United States combined.

Besides, in the recently released Composite Water Management Index of NITI Aayog, it is clearly stated that the National Capital and other cities in India will run out of groundwater by 2020. And, they have identified encroachment of water bodies as the 'major cause' of flash floods in the past one and a half decades. On top of this, of the identified 5,23,816 water bodies, 51 per cent of Karnataka, 40 per cent of Rajasthan and 32 per cent of Andhra Pradesh's water bodies were found 'not in use' any more.

Taking into consideration the seriousness of the problem confronting water bodies, it is important to draw conclusions from successful local and international initiatives like rejuvenation of Argan Lake in Belagavi, Bailwad lake in Bailhongal, works done by Rajendra Singh in Rajasthan, Jordan's traditional system HIMA and implement it countrywide for their revival and management. Also, the Government could develop

policies to determine which crops should be grown in which region according to the water availability.

SHRI SHIV PRATAP SHUKLA (Uttar Pradesh): Sir, I associate with the Special Mention raised by the hon. Member.

Demand to issue advisory to the States to post the police force as per their sanctioned strength

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं जानता हूं कि कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण राज्यों के विषय हैं। राज्यों में तैनात पुलिस बल की संख्या स्वीकृत पुलिस बल की अपेक्षा काफी कम है। जिन राज्यों में तैनात पुलिस बल स्वीकृत पुलिस बल की अपेक्षा कम है, वहां अपराधों की संख्या अधिक है। अत: कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, स्वीकृत पुलिस बल के अनुसार पुलिस भर्ती एवं तैनाती के लिए राज्यों को परामर्श दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार, भारत में 24,84,170 पुलिस बल स्वीकृत है, जबकि केवल 19,41,473 पुलिस वालों की तैनाती है। इस प्रकार लगभग 5.43 लाख पुलिस वालों की कमी है।

आधी आबादी के लिए पूरे देश में मात्र 1.2 लाख महिला पुलिस कर्मचारी हैं, संभवत: महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में नियंत्रण न होने का एक कारण यह भी हो सकता है। वर्ष 1970 में एक लाख की आबादी पर 121 पुलिस बल था, जबकि वर्ष 2015 तक केवल 137 पुलिस बल तैनात हो सका है। इस प्रकार पुलिस बल की तैनाती वृद्धि दर धीमी रही है।

महोदय, उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर स्वीकृत पुलिस बल 187.75 है, जबकि तैनाती मात्र 90.37 पुलिस बल की है, जो कि आधे से भी कम है। काफी अधिक पुलिस बल की, वीआईपी सेवा में रहने से, ड्यूटी के लिए उपलब्धता और भी कम होती जाती है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार राज्यों को एडवाइज़री जारी करा कर, स्वीकृत पुलिस बल के अनुरूप भर्ती करा कर, राज्यों की कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना सुनिश्चित करे।

MR. CHAIRMAN: Shri Md. Nadimul Haque; absent. वह तो रेगुलर आदमी है।

Demand to develop Areraj Someshwar Shiv Mandir in East Champaran as a tourist place

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, पूर्वी चम्पारण जिले का अरेराज स्थित शिव मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है। लोक मान्यताओं और लोक आस्था के अनुरूप इस मंदिर की विशेष महिमा है। सोमेश्वर शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह तीर्थस्थल

[श्री अखिलेश प्रसाद सिंह]

बिहार का सबसे बड़ा और प्राचीन शिवधाम माना जाता है। पवित्र श्रावण मास में पूरे राज्य और पड़ोसी देश नेपाल से लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका जिक्र स्कन्द, पद्म और बराह पुराणों में भी है। मान्यताओं के अनुसार, जनकपुर से अयोध्या लौटने के क्रम में भगवान राम ने यहाँ पूजा की थी। वर्ष 983 में प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानन्द वात्स्यायन अज्ञेय और शंकर दयाल सिंह की खोजी टीम ने भी इस तथ्य की पुष्टि की थी। इसके अलावा रोटक व्रत कथा के मुताबिक अज्ञातवास में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यही नहीं, अरेराज स्थित शिव मंदिर पूरे भारत का एकमात्र पंचमुखी महादेव मंदिर है, लेकिन दुख की बात है कि इन तमाम विशेषताओं के बावजूद अरेराज स्थित ऐतिहासिक सोमेश्वर शिव मंदिर अभी भी पर्यटन मानचित्र से नदारद है और वहाँ आज भी स्तरीय यात्री सुविधाओं का अभाव है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार और केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि अरेराज स्थित शिव मंदिर की ऐतिहासिकता को संरक्षित करने और उसे आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए इसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की केन्द्रीय सूची में यथाशीघ्र शामिल किया जाये।

Demand to increase the retirement age of the High Court Judges and fill up the vacancies urgently

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Hon. Chairman, I rise today to draw the attention of hon. Law Minister, through this august House, to an important demand of the legal fraternity, of which I am also a part, to increase the age of retirement of Judges of the High courts across the country. At present, the age of retirement of the High Court Judges is 62 as per Article 217 (1). The reason why we need to increase the age of Judges is two-fold. One is the large number of pending cases before the Courts. The other reason is that Judges who attain the age of 62 or 65 are well-experienced Judges who would be well suited to tackle pendency. Their invaluable experience gained over the years at the Bench cannot be substituted. If we look to other countries, the USA has a lifetime tenure for Judges of its Supreme court and Federal Court. In the UK, the age of retirement is presently 70, though there have been calls to increase it to 75. At present, there are about 403 vacancies out of total 1,079 posts of Judges in the High Courts. I request the hon. Law Minister to expedite filling the vacancies. Therefore, through this august House, I would like to urge the hon. Minister for Law and Justice to increase the age of retirement of Judges of the High Courts to 65 by introducing suitable amendments in Article 217 (1) of the Constitution of India. Till such time, I urge the Government to recommend to the hon. President of India to give consent to make appointments under Article 224A to extend the term of Judges who are presently

retiring to enable them to serve till the age of 65. And expedite the filling of vacancies in all the High Courts. Thank you, Sir.

श्री सभापति: श्री हुसैन दलवई। हमारे दोस्त को क्या हुआ? He is not there...**(व्यवधान)**...

Demand to release funds for under construction bridges in Banda district, Uttar Pradesh

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में गत 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम द्वारा 6 पुलों का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। बांदा शहर में बन रहे रिंग रोड पर झांसी-मानिकपुर रेलवे मार्ग पर approach road 2017 से बननी शुरू हुई थी, जिसकी लागत पहले 21 करोड़ 61 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 57 करोड़ 95 लाख 35 हजार रुपए हो गई है। इसके लिए धनराशि को शीघ्र अवमुक्त कराया जाना आवश्यक है। इसी तरह सेतु निगम द्वारा यमुना नदी में मर्का घाट पुल, औगासी घाट पुल, वगै नदी में कमासिन-ओरा ममसी मार्ग पुल, केन नदी राजघाट पुल तथा नरैनी-महोबा रिंग रोड पर केन नदी पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इन पर 85 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद, धनाभाव के कारण, कई पुलों का कार्य बंद हो गया है। इसलिए अधूरे पुलों का काम पूरा कराने हेतु बजट दिया जाना आवश्यक है।

अत: मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बन रहे बांदा शहर रिंग रोड, झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर ऊपरिगामी पुल सहित 6 पुलों के निर्माण हेतु शीघ्र बजट अवमुक्त कराकर कार्य पूरे कराए जाएं।

Demand to expedite steps to notify Ecologically Sensitive Areas (ESA) in the Western Ghats

SHRI A. K. SELVARAJ (Tamil Nadu): Hon. Chairman, Sir, Western Ghats is nature's gift to humankind. Western Ghats run parallel to Western Coast starting from River Tapti in Gujarat to the South up to Kanyakumari. Many peninsular rivers originate here. Western Ghats is the home of many species. Variety of flora and fauna is found here.

UNESCO has included certain stretches of Western Ghats in UNESCO World Natural Heritage List. This shows the importance of Western Ghats and also its relevance to maintain ecological balance in the country.

Establishment of industries, thermal power stations, hydro-electric power stations, mining and quarrying in this areas has seriously affected this ecologically fragile zone. With a view to protect Western Ghats, the Government appointed Gadgil Committee.

[Shri A.K. Selvaraj]

This Committee submitted its report in 2011. To evaluate the recommendations of Gadgil Committee, the Government appointed a High Level Working Group. Demarcating Eco Sensitive Areas (ESA) is one among the various steps recommended by HLWG to protect Western Ghats.

The draft notification to declare Ecologically Sensitive Areas (ESA) of the Western Ghats has been republished thrice. But still the Government is unable to arrive at any consensus regarding the extent of area which has to be marked as Eco Sensitive Area. There is no progress in the issue after the first meeting held on 15th February, 2019 post-issuance of third notification. The Government should not prolong the decision-making process considering the importance of Western Ghats.

Therefore, I urge the Government to expedite steps to notify Eco Sensitive Areas (ESA) in order to save Western Ghats.

Demand to remove CSAT paper and give age relaxation to the candidates who appeared in the Civil Services Examination, 2015

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, 2011 में प्रारंभ CSAT पेपर के कारण हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा माध्यम अभ्यर्थियों की सफलता दर 1 प्रतिशत से भी कम रह गई है, जबकि अकेले अंग्रेजी माध्यम की सफलता दर लगभग 99 प्रतिशत है। इसीलिए लगभग 90 प्रतिशत सफल अभ्यर्थी कॉन्वेंट और टेक्नोलॉजी पृष्ठभूमि के हैं, जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि और मानविकी विषय वालों की सफलता 10 प्रतिशत से भी कम है। इससे सिविल सेवा में विविधता खत्म हो रही है। पूछे गए प्रश्नों की हिन्दी भाषा भी अत्यंत अव्यावहारिक, जटिल और तकनीकी होती है। जून, 2019 में UPSAT ने DoPT को CSAT हटाने का प्रस्ताव भेजा है, किन्तु CSAT के कारण लाखों अभ्यर्थियों के attempt बरबाद हो गए और 2015 में परीक्षा से केवल तीन माह पहले CSAT qualifying किया गया था, परंतु CSAT प्रभावित अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया गया था।

महोदय, यदि सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर लैटरल एंट्री से भर्ती के लिए नए नियम बना सकती है, तो CSAT प्रभावित अभ्यर्थियों को एक और मौका देने में कौन सी अड़चन है? ये अभ्यर्थी तो परीक्षा में बैठने का एक मौका मांग रहे हैं, नौकरी करने का नहीं। देश के 250 से ज्यादा सांसदों ने इनके पक्ष में सरकार को अनुशंसा पत्र लिखा है। इन अभ्यर्थियों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा 2020 में एक और मौका उम्र-सीमा में छूट के साथ प्रदान करने की कृपा करें।

Demand to address the stress and poor health of the IT employees

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, it is reported that a company by name RedSeer Consulting in Bengaluru has conducted a survey among more than 500

IT employees across 10 leading tech companies about productivity loss due to health and lifestyle habits of employees. The survey found that the loss is about 3.5 billion that is 7 per cent of the total revenue.

The survey has further listed five main causes for the fall in productivity. They are (i) physical inactivity, (ii) poor emotional and mental health, (iii) poor physical health (iv) poor diet, and (v) drugs abuse including drugs for psychological problems. The survey also points out that employees in the age group of 20 to 40 are the most affected. I bring to the kind attention of the Government that family disharmony, divorce, alcoholism are all happening more among IT sector employees. The Government cannot remain a silent spectator.

The Government has to come forward to find out the causes for this sad state of affairs among the IT employees and find out ways to reduce this ill effect. Maybe, the Government must think of bringing out regulation restricting the work hours and also for providing recreational facilities. Even periodical in-house counselling for psychological problems must also be ensured by way of legislation to bring a healthy life for the workers in the IT sector.

Demand to save people of Maharashtra from river water pollution caused by the industries

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, despite awareness, there is high level of pollution in the entire country, particularly, in Maharashtra, where a large number of factories and manufacturing units are continuously polluting the rivers. Maharashtra, the State with India's biggest economy, has also the highest number of polluted river stretches in the country-such as Warna, Sonpatra and Panchganga in Kolhapur, Ghot in Navi Mumbai, Savitri in Raigad, Godavari in Nashik and Krishna in Sangli and Satara - thanks to about 179 highly polluting units in the State. As per a latest report, Maharashtra is number one in pollution index followed by Gujarat, Telangana and UP. By draining the harmful effluent by polluting factories in the nearby rivers, the water of these rivers becomes unfit for human consumption. Factories have been discharging untreated effluents into rivers. Fishing communities also complain that their daily catch is only ten per cent of what it used to be. The rivers in Maharashtra are the filthiest in India and as a result unassuming people who consume this water are suffering from multiple health problems. No doubt, the management of factories is responsible for

[Shri Anil Desai]

water contamination but in my opinion, lax monitoring of and prosecution for water pollution is also responsible. Common Effluent Treatment Plants of these factories routinely flout environmental guidelines on discharging untreated effluents into rivers. Understaffed and lacking teeth, the Maharashtra Pollution Control Board seems to be unable to take any effective steps against polluting units. The Central Government must, therefore, monitor so as to save our people from serious health problems.

Demand to check Air Pollution and ensure fresh air for all citizens

श्री आर.के. सिन्हा (बिहार): महोदय, विभिन्न एजेंसियों की अनेकों रिपोर्ट्स मीडिया में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं, जो वायु प्रदूषण की एक डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। इन रिपोर्ट्स में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि वायु प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। इन मौतों का आंकड़ा प्रतिवर्ष लाखों में है।

महोदय, सरकार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र लाने पर विचार करना चाहिए, ताकि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रभावी योजना और समस्या के स्पष्ट निदान को प्रस्तुत किया जा सके। विभिन्न मौलिक अधिकारों में सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल का अधिकार भी शामिल करने की आवश्यकता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता।

महोदय, सरकार का प्रशंसनीय कार्यक्रम, एनसीएपी (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसे परिणामों के लिए कानूनी व वित्तीय समर्थन और ढांचे की आवश्यकता है, जिसके अभाव में यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। हालांकि बाजार में मास्क और air purifier की बढ़ती उपस्थिति उन लोगों को तो संभवत: कुछ राहत प्रदान कर सकती है, जो इसे खरीदने में समर्थ हैं, लेकिन इससे आम नागरिक में भय का माहौल भी बनता है, क्योंकि ज्यादातर लोग air purifier अथवा मास्क ही नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही, उनकी उपयोगिता एवं प्रभावी होने का प्रमाण भी साबित करने की जरूरत है। सरकार को इस सदन और सामान्य नागरिक को यह आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि अमीर या गरीब, सभी को स्वच्छ हवा में सांस लेने का समान अधिकार होगा और सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है।

MR. CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Reddy; not present. Shri Ram Nath Thakur; not present.

Demand to keep application fees of the non-creamy layer OBCs at par with the SC/ST candidates

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. The Other Backward Classes are the socially and educationally backward class in India. Article 15(4) empowers the State to make any special provision

for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, or, for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. By having these sections of the society mentioned in one provision in itself, makes a case for them to be treated at par in all provisions for advancement.

The OBC were segregated into the creamy and non-creamy layer, based on their financial standing, to ensure that the benefits of reservation and other provisions of advancement reached those who need it the most. Unfortunately, when it comes to the application fees of various national, level examinations, the fees of the non-creamy layer OBC is at par with that of the general category.

This is an anomaly because, on the one hand, the State is recognising that the non-creamy layer OBC are financially backward, and on the other hand, expecting them to pay exorbitant application fees for the national examinations. There is an intelligible differentia existing between the non-creamy layer OBC and the general candidates, and therefore, cannot be treated in the same manner.

For the non-creamy layer OBC, a couple hundred rupees is a financial barrier, and deter them from appearing in an examination. Hence, I urge the Government to take necessary steps and ensure that in all national examinations, the application fees of the non-creamy layer OBC be at par with the SC/ST candidates.

Demand to release the extra water of Ravi-Beas to Rajasthan as per the 1981 Agreement

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान): महोदय, दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बँटवारे के संबंध में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में यह प्रावधान था कि जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं होता, तब तक पंजाब, राजस्थान के आवश्यकता से अधिक पानी को अपने उपयोग में ले सकेगा।

इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के बाद राजस्थान अब अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थिति में है। राजस्थान ने अपने हिस्से के शेष 0.60 एमएएफ जल को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को कई बार प्रतिवेदन दिए हैं, किन्तु भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल 8.60 एमएएफ की जगह 8.00 एमएएफ पानी ही राजस्थान को दे रहा है।

पंजाब द्वारा "पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004" पारित कर रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया, जिसमें 31.12.1981 को सम्पादित समझौता व रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल हैं।

[डा. किरोड़ी लाल मीणा]

माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रकरण में सुनवाई करके दिनांक 10.11.2016 को राय व्यक्त की है कि "पंजाब अधिनियम" संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है तथा अधिनियम के द्वारा पंजाब राज्य पूर्ववर्ती निर्णय एवं हुक्मनामा तथा दिनांक 31.12.1981 के समझौते को निरस्त नहीं कर सकता।

राजस्थान ने दिनांक 25.2.2019 के पत्र द्वारा रावी-व्यास का 0.60 एमएएफ पानी दिलाने हेतु पंजाब एवं BBMB को निर्देश प्रदान करने हेतु भारत सरकार से पुन: निवेदन किया है। मैं आग्रह करता हूँ कि केन्द्र सरकार राजस्थान के हिस्से का 0.60 एमएएफ पानी दिलाने की पुख्ता कार्रवाई करे।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Binoy Viswam; not here. Dr. L. Hanumanthaiah.

Demand to make the draft New Education Policy available for three months in all Regional Languages for comments

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, the Draft New Education Policy (NEP) 2019 is available only in English and Hindi languages. The right to read in other languages is denied and it seems that it is not representative of the vast majority of the regional people of India. The policy is not available in all 22 languages in the Eighth Schedule of the Constitution and more than that it gives just one month to read and react on 480 pages of document. It is not possible for people to read and react in one month.

The Draft New Education Policy does not try to go deep into problems in the existing Indian education system. In the beginning, a mention has been made about the 'Indianization' of the education system but has not defined the term properly. There has been an intensive dialogue on 'Indianization' in recent years, involving Governments, NGO and academic, on the conceptualization of Indian (Desi) knowledge, its sustainability and continuation. And the higher education in India is rapidly changing and is ready to be governed by the business rules. As a result, English has become a national link language, resulted in creating global monoculture. In this context, how are we to protect, sustain and continue with our local/State languages?

I urge the Government of India that the draft New Education Policy should be available in all the 22 prescribed languages and should be given at least three months to respond.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Chhaya Verma.

Demand to extend benefits of OBCs to the women after their inter- State marriage

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): किसी भी राज्य की एक लड़की किसी अन्य राज्य के उसी जाति के लड़के से विवाह करती है और वह जाति दोनों राज्यों में ओ.बी.सी. वर्ग में आती है, तो उसके बावजूद भी यदि वह लड़की शादी के पश्चात? अपने पति के राज्य में राज्य सरकार की किसी सरकारी नौकरी में ओ.बी.सी. वर्ग के तहत आवेदन करती है, तो उसे ओ.बी.सी. वर्ग का लाभ नहीं मिलता। मान लीजिए हरियाणा की कोई लड़की दिल्ली के उसी जाति के किसी लड़के से शादी करती है और उस जाति को दोनों राज्यों में ओ.बी.सी. वर्ग में मान्यता प्राप्त है, उसके पश्चात् भी उसे दिल्ली सरकार की नौकरियों में उस वर्ग का लाभ नहीं मिलता। इसका तात्पर्य यह भी है कि उस महिला को, जो कि सारी उम्र अपने ससुराल में गुजारने वाली है, जीवन-पर्यन्त उस वर्ग में सरकारी नौकरी से वंचित रहना पड़ेगा। साथ ही, शादी के पश्चात् किसी भी महिला की आर्थिक स्थिति उसके पति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है, लेकिन ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र के लिए उसका सत्यापन उसके मायके में पिता की आय से किया जाता है, जो कि एकदम अनुचित एवं निराधार है। अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के विसंगतिपूर्ण नियमों में परिवर्तन किया जाए तथा उन समस्त महिलाओं को ओ.बी.सी. में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जहां उन्हें बाकी का जीवन बसर करना है, घन्यवाद।

STATUTORY RESOLUTIONS – *Contd.*

Cessation of all Clauses of Article 370 except Clause (1)

The Jammu and Kashmir Re-organisation Bill, 2019

AND

GOVERNMENT BILLS — *(Contd.)*

The Jammu and Kashmir Re-organisation Bill, 2019

The Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019

श्री सभापति: अभी माननीय गृह मंत्री जी।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order under Rule 258. From 11 a.m. this morning, we have been seeing procedural hara-kiri; we have been witness to constitutional immorality. This is happening.

MR. CHAIRMAN: What is the point of order?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, it is under Rule 258. Sir, on behalf of Trinamool Congress, we cannot see this constitutional immorality and *hara-kiri* of procedures any more. Our MPs themselves are now stuck midway because of a certain thing. Sir, on these two important grounds, in anguish, we walk out.

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

MR. CHAIRMAN: To whom should I express my anguish about Members coming and squatting here? I can only talk out; I cannot walk out. Now, the hon. Home Minister.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): सभापति महोदय, मैं आज इस सम्माननीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। महोदय, मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूं, उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ genuine concern भी सदन के पटल पर रखे हैं और कुछ ने अपनी पार्टी की विचारधारा की लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर, मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि as a legislator मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत, धारा 370 के समाप्त होने से होने जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं इसके विषय पर जाने से पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, मैं डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं, जो कश्मीर के अंदर वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2018 तक जो रक्तपात चला, उसकी भेंट चढ़ गए। कुछ सदस्यों ने कहा है कि इसका हिसाब कौन देगा? अंतत: क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है? मुझे बहुत स्पष्ट है कि 41,849 लोगों की जान नहीं जाती, अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग-अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35(A) पर बहुत सारी बातें कहीं, मगर ज्यादातर बातें technicality पर कहीं। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह. ..वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है, वह किसी ने भी नहीं बताया है। मगर, मैं सबसे पहले... मैं सब चीज़ों को डील करूंगा, परंतु सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। मान्यवर, धारा 370 के रहते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 35(A) और धारा 370 के जाने से क्या हो जाएगा? मान्यवर, मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रचना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान

से शरणार्थी आए - कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र में गए, कुछ जम्मू-कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू-कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए, उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिली, वे वहां councillor भी नहीं बन सकते हैं। क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है? यह अन्याय है या नहीं? मान्यवर , इस देश में क्या हुआ - इस देश को दो प्रधान मंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए - डा. मनमोहन सिंह और श्री इंदर कुमार गुजराल साहब। कोई प्रधान मंत्री तो बन सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में जिसने शरण ली, वह councillor भी नहीं बन सकता है - यह कहां का न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। यह कहां का न्याय है? यह अन्याय क्यों हो रहा है? मान्यवर, ये कहते हैं कि धारा 370 और 35ए चली जाएगी, तो कयामत आ जाएगी और धारा 370 के कारण ही जम्मू-कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बारे में बाद में बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। मान्यवर, धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में कभी-भी लोकतंत्र percolate नहीं हुआ। धारा 370 और 35ए के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, फला-फूला, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। धारा 370 और 35ए के कारण ही वहां गरीबी घर कर गयी। आज पूरे देश में विकास दिखायी देता है, लेकिन घाटी के गांवों को देखते हैं तो हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी वे क्यों गुरबत में जी रहे हैं, क्यों गरीबी में जी रहे हैं। मान्यवर, वहां पर आरोग्य की भी इतनी सुविधाएं नहीं मिलीं, उसका कारण भी धारा 370 है। वहां पर जो विकास नहीं हुआ, जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधक भी धारा 370 है, आज शिक्षा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, उसका भी कारण धारा 370 है। मान्यवर, यह धारा 370 महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी यही धारा 370 है।

मान्यवर, मैं अभी सामने देख रहा हूं, लेकिन मैं सभी चीज़ों का डिटेल्ड जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, देश में लागू हुआ। लेकिन चूंकि धारा 370 थी, इसलिए वह जम्मू-कश्मीर में apply नहीं हुआ। स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी उसे लेकर आए थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में वह apply नहीं हुआ। जब आज़ाद साहब मुख्य मंत्री थे, तब भी नहीं कर पाए - क्यों नहीं कर पाए - क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां consensus नहीं बन पा रहा था। मान्यवर, वहां पर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। आज भी वहां पर 73वां और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज यह सदन इसे पास करेगा, कल लोक सभा पास करेगी और 73वां और 74वां संशोधन automatically जम्मू-कश्मीर में apply हो जाएगा।

मान्यवर, वहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर और लेजिस्लेटर सुन रहे हैं - 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन पर क्यों भरोसा

[श्री अमित शाह]

नहीं था - मैं पूछना चाहता हूं कि 40 हज़ार से ज्यादा पंच-सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार धारा 370 है। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन आया। राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू-कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए और आज 40 हज़ार पंच-सरपंच गांव की सेवा-सिद्धी कर रहे हैं, उनके हाथ में 3,500 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। यह अधिकार उन्हें नहीं मिला था, लेकिन कोई नहीं बोलेगा।

वोट बैंक की राजनीति करते हैं। घाटी में क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? घाटी में मुसलमान भी रहते हैं, हिन्दू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। मान्यवर, तीन परिवारों के शासन ने जम्मू-कश्मीर में एकाधिकार करके रखा है। जम्मू-कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को percolate नहीं होने दिया और आज राष्ट्रपति शासन के अंदर, प्रधान मंत्री जी अगुवाई में वहां पर चुनाव हुए और 40 हजार पंच, सरपंच आज वहां काम कर रहे हैं। चुनाव में खून की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरी। चुनाव शांतिपूर्ण हुए और 5-5 परसेंट, 7-7 परसेंट वोट लेकर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वहां पर 50-50 प्रतिशत voting हुई। यह बात बताती है कि जम्मू-कश्मीर की जनता जम्हूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। अभी भी, मैं कहना चाहता हूं कि एक बार संपर्क बनाइए, राजनीति से ऊपर उठिए, वोट बैंक की राजनीति को किनारे करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 370 ने जम्मू-कश्मीर का कितना नुकसान किया है।

मान्यवर, मैंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की गरीबी के लिए धारा 370 जिम्मेदार है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। यह 2,77,000 करोड़ रुपया नरेन्द्र मोदी पैकेज के अलावा है। मान्यवर, जब हम देखते हैं, तो जमीन पर कुछ नहीं हुआ। मैं इस बात पर बाद में आता हूं कि क्यों कुछ नहीं हुआ। मगर 2011 और 2012 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3,683 रुपया भेजा था और जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा गया, मगर वहां विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेन्सियों को वहां एन्ट्री नहीं है। उन्हें कौन रोकता है? उन्हें धारा 370 रोकती है।

मान्यवर, 2017 से 2018 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज़ 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा था और जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया था, मगर यह नीचे तक नहीं जाता है, क्योंकि धारा 370 ने मोनोपॉली बनाई है। वहां का ही व्यक्ति बिज़नेस कर सकता है। चंद लोग जो इन तीन परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की agencies ले लीं, लोहे की agencies

ले लीं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि सीमेंट वहां पर देश के अन्य हिस्सों से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी को वहां बिज़नेस करने की परमिशन नहीं है। वहां स्पर्धा ही नहीं होती है। इन तीन परिवारों का आशीर्वाद जिस पर होता है, वही बिज़नेस कर पाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो धारा 370 की वकालत करते हैं कि यह रुपया कहां गया?

जम्मू-कश्मीर बैंक के अंदर auditor गया, administrator रखा, तो मैंने अच्छे-अच्छे के चेहरों पर सर्दियों में पसीना देखा है। यह जो हो-हल्ला हो रहा है, वह जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन है और जांच शुरु हुई है, इसलिए हो-हल्ला हो रहा है। मैं समझता हूं कि इसको एक अलग रंग देना चाहते हैं।

मान्यवर, घाटी के व्यक्ति को क्या मिला? देश आजाद हुआ, देश भर में एक एकड़ जमीन की average कीमत 3 हजार रुपये थी। वह देश के कई हिस्सों में 30 लाख हो गई, कई हिस्सों में 10 लाख हो गई और कहीं पर 3 करोड़ हो गई। शहर के आसपास कहीं पर भी जमीन का दाम 10 लाख से कम नहीं है। आज जम्मू-कश्मीर में जमीन का क्या भाव है? जमीन की कीमत 3 हजार से 30 हजार भी नहीं हुई। जिसके पास भूमि है, उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वहां खरीदार ही नहीं हैं, वहां कोई खरीद ही नहीं सकता है। जब कोई खरीद ही नहीं सकता है, तो भला दाम कहां से बढ़ेगा! मैं पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है, उसको आप गरीब क्यों रखना चाहते हो? आप उसकी wealth को क्यों नहीं बढ़ाते हो? अभी राम गोपाल जी भी कह रहे थे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ के आसपास जमीन का कितना भाव हुआ है? कितना रेट हो गया है ? तो राम गोपाल जी, क्या श्रीनगर वाले को अधिकार नहीं है क्या? क्या हमें उसे अधिकार नहीं देना है? उसको क्यों रोक कर रखना है? मान्यवर, वहां जो गरीबी बढ़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35(A) है। वहां पर अथाह भ्रष्टाचार हुआ है। जो करोड़ों रुपये, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वहां पर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाला कोई कानून apply नहीं होने दिया, जिसकी वजह धारा 370 है।

मान्यवर, पर्यटन के बारे में बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख, जमीन पर स्वर्ग है, मुगल काल से सभी लोग यह मानते हैं। मगर जितना पर्यटन बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा। वहां पर बर्फ भी है, तालाब भी हैं, घाटी भी है, वन भी है। वहाँ पर्यटन की अपार और अथाह संभावनाएं भरी पड़ी हैं, मगर वहाँ पर पर्यटन नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहाँ भूमि ही नहीं खरीद सकता है। वहाँ भला कौन जाएगा? पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने किया है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वहाँ जाना चाहती हैं, अच्छे-अच्छे होटल लगाना चाहती हैं, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनियाँ वहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं, घाटी के अंदर इनको खोलना चाहती हैं। यदि खुल गई, तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, वह टैक्सी चलाएगा, वहाँ नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा, परंतु वहाँ पर्यटन इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि धारा 370 गई बडी कंपनी के कारण कोई बड़ी ट्रैवल एजेंसी वहाँ जा नहीं सकती, कोई बड़ी कंपनी होटल भी नहीं बना सकती है।

[श्री अमित शाह]

महोदय, वहाँ हजरतबल है, शंकराचार्य है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है। वहाँ पर ढेर सारी रिलिजियस टूरिज्म की संभावनाएं भी पड़ी हैं, मगर इन सभी संभावनाओं का ढंग से दोहन नहीं हो पाता, वे एक्सप्लोर नहीं हो पाती, उनका विकास भी नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति आज जम्मू और कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो मुझे जरा समझा दें धारा 370 के पक्ष में बोलने वाले, मैं थोड़ी देर ज्यादा बैठूंगा कि वह कैसे लगाएगा? बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो बेरोजगारी कैसे रुकेगी? कोई वहाँ जाकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगाना चाहे, पंजाब से जाकर, हिमाचल प्रदेश से जाकर लगाना चाहे, तो वहाँ 35ए और 370 है, वह वहाँ कैसे लगाएगा? क्यों आप मोनोपॉली में आज भी कश्मीर को जकड़कर रखना रखना चाहते हैं?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि ये जो आपको 370 का स्वप्न दिखाते हैं, 370 से घाटी का, उन युवाओं को कोई भला नहीं होने वाला है, केवल कुछ सियासतदारों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियन्स का भला होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि घाटी को कोई फायदा नहीं हुआ है उसका। कोई मुझे गिना दे कि क्या फायदा है, समझा दे कि क्या फायदा है? हाँ, बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा, 370 चालू रखो, रोजगार मिल जाएगा, 370 चालू रखो, तनख्वाह, जो 5 हज़ार मिलती है, वह 15 हज़ार हो जाएगी, 370 चालू रखो।

संस्कृति, भाषा की बात की जाती है! बाकी सारे राज्यों की इतनी सारी रियासतें जुड़ गईं, सबकी संस्कृति, भाषा विलुप्त हुई हैं क्या? क्या विलुप्त हुई हैं भारत में? क्या आज महाराष्ट्र की नहीं बची, गुजरात की संस्कृति नहीं बची? मान्यवर, मैं इस पर बाद में आता हूं।

महोदय, आज वहाँ पर आरोग्य, हेल्थ का भी खस्ता हाल है। क्योंकि जिस प्रकार से देश भर में आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से अकेली सरकारें इस देश की हेल्थ को अप टू दि मार्क नहीं रख सकती हैं। महोदय, कई जगहों पर पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया है, कई जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाया गया है, मगर यहाँ न पीपीपी मॉडल हो सकते हैं, न प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। अगर किसी के प्रभाव से चले जाएं, तो चले जाएं, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है, तो कोई कैसे जाएगा? क्या तर्क है इसके पीछे? आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम। आज प्रधान मंत्री आयुष्मान् भारत योजना आ गई है, मगर अस्पताल कहाँ हैं? पाँच लाख रुपये उपयोग करने का अधिकार मिल गया है, लेकिन नर्स कहाँ है, डॉक्टर कहाँ हैं? वहाँ 35 ए है, कौन डॉक्टर वहाँ जाएगा? उसके बच्चे को न वहाँ मताधिकार प्राप्त है, न वह अपना मकान खरीद सकता है, न अपनी भूमि खरीद सकता है और न ही ढंग से वहाँ रहकर अपना मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकता है। विश्व का कौन-सा बड़ा डॉक्टर वहाँ जाकर रहेगा, मुझे जरा धारा 370 की वक़ालत करने वाले बताएं? मुंबई से कौन-सा डॉक्टर वहाँ जाकर रहेगा? ओडिशा में ढेर सारे डॉक्टर्स जाते हैं, देश भर के जाते हैं, दुनिया भर के

जाते हैं, गुजरात में दुनिया भर के, देश भर के डॉक्टर्स आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर घर खरीदने की परमिशन है। वह डॉक्टर वहाँ पर अपने आपको सेफ महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं चार पैसे कमाऊंगा, यहाँ इनवेस्ट करूंगा, तो वे सलामत हैं। मान्यवर, वहाँ कोई नहीं जाता, जिसके कारण आरोग्य पर भी जो ढेर सारी कमियाँ दिखती हैं, उसका मूल कारण भी यह 370 ही है।

महोदय, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे मैं यह आंकड़ों के साथ, बहुत डिटेल में भी बता सकता हूं। मैं कल एक पत्र लिखकर गुलाम नबी आज़ाद साहब को आंकड़े भेजने भी वाला हूं कि आप भी देखिए, जरा पुनर्विचार कीजिए, अभी भी समय है।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहूं, तो देश भर के 6-14 साल के बच्चों को 2009 में ही शिक्षा का अधिकार मिल गया था। संविधान के अंदर सुधार हुआ, राइट टू एजुकेशन मिला, लेकिन यह आज कश्मीर में नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे, जो लोग 370 के लिए बोलते थे, चाहे कपिल सिब्बल साहब हों, चाहे चिदंबरम साहब हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, कहना चाहता हूँ कि क्यों कश्मीर घाटी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब 370 के advocates को देना है। उनको वह अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने यहाँ संविधान में जो सुधार किए, उनको वहाँ स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। अगर कल लोक सभा इसको पारित करती है, तो शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू-कश्मीर के हर बच्चे को मिल जाएगा।

मान्यवर, वहाँ पर private educational institutions नहीं हैं। वे क्यों वहाँ जाएँगे? कौन प्रोफेसर वहाँ पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? उसके नाम पर तो सम्पत्ति ही नहीं हो सकती। Appreciation होगा, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। भला कौन वहाँ जाएगा? आप इसको क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं? कारण क्या है, मैं नहीं समझ पाता।

मान्यवर, इस प्रस्ताव के विरोध का कोई कारण हो, तो बताना चाहिए। आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमने यह नहीं किया। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम तो राष्ट्र हित का बिल लेकर आए थे, आपने इन्दिरा जी को इलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लाकर उसी दिन पारित कर इस देश की democracy को खत्म किया और हमें उपदेश देते हैं! मान्यवर, मैं बताता हूँ कि मैं तो जिस बिल को pilot करके आया हूँ, उस बिल के अन्दर मैं मानता हूँ कि मतभेद हो सकता है। मैं मानता हूँ कि 370 और 35-A हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और सच्चे अर्थ में जम्मू-कश्मीर 370 और 35-A हटने के बाद भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बताया कि Schedule 1 में जम्मू-कश्मीर राज्य है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर राज्य है, वह तो मैं मानता हूँ, मगर मुझे बताइए कि भारत के दोनों सदन, जो कानून पारित करते हैं, क्या वह जम्मू-कश्मीर में apply होता है? क्या जम्मू-

[श्री अमित शाह]

6.00 P.M.

कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है? सरकारें, सरकार चलाने के लिए कानून नहीं बनाती हैं, सरकारें नागरिकों के भले के लिए कानून बनाती हैं। अगर नागरिकों के भले के लिए इस देश की संसद ने, दोनों सदनों ने कोई कानून पारित किया, तो वह वहाँ पहुँचता ही नहीं है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे कहा, मुझे address करके कहा कि Inter-State शादियाँ होने लगी हैं। अब साहब सुनते ही नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, थोड़ा सुन लें। मान्यवर, उन्होंने कहा कि Inter-State शादियाँ हो रही हैं। मुझे बताइए कि जम्मू-कश्मीर की एक बच्ची ने किसी ओडिया भाषी से शादी कर ली, तो क्या उसको और उसके बच्चों को कश्मीर में कोई अधिकार मिलता है क्या? आप खुश हो रहे हैं कि शादियाँ हो रही हैं। ये शादियाँ तो कानून नहीं है, फिर भी हो रही हैं, एक बार खुला कर दो, जम्मू और कश्मीर सच्चे अर्थ में हिन्दुस्तान के साथ घुल-मिल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। एक mental barrier है, यह वोट बैंक की राजनीति है। खामख्वाह कुछ लोग बोझ लेकर घूमते रहते हैं कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, मान्यवर, कुछ नहीं होने वाला है।

मान्यवर, वहाँ शिक्षा के अधिकार को ले जाना है, तो भी 370 नहीं चाहिए; महिलाओं के सारे अधिकार के जो कानून बने हैं, अगर महिलाओं को और उनके बच्चों को अधिकार देना है, तो भी 370 नहीं चाहिए। मान्यवर, यह 370 दलित और आदिवासी विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ कितने परसेंट OBCs हैं? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राम गोपाल यादव जी से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी तो OBC की खैरख्वाह पार्टी है, हमेशा बात करती है। राम गोपाल यादव जी, आपको मालूम है कि कश्मीर में OBCs को रिजर्वेशन ही नहीं मिल पाता है।

Tribals को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता है, दलित को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसीलिए आज बहन मायावती जी की पार्टी ने इसका समर्थन किया है, वह इसके पक्ष में वोट डालेगी। मैं मिश्रा जी को सुन रहा था। मान्यवर, हम कब तक इनके साथ अन्याय करेंगे? ये जो tribals हैं, ये सिर्फ हिन्दू नहीं हैं। जो कहते थे वोट बैंक, वोट बैंक, भाई, वे तो गुर्जर हैं, मुस्लिम गुर्जर हैं। उनको भी रिजर्वेशन से वंचित किया गया है। कोई यह तो समझा दे कि प्राप्त क्या होगा? बिल 11.00 बजे लिया, 11.00 बजे चर्चा कर ली।

जब 11.00 बजे बिल लिया, तो कहा गया कि 11.00 बजे चर्चा कर ली। धारा 370 के लिए बिल लाए, तो कहा गया कि आप ऐसे ही बिल बदल देते हो। फिर कहा गया कि यह constitutionally ठीक नहीं है। साहब, मुझे भी मालूम है कि कुछ पार्टियों ने NGOs की brigade बनाकर रखी है और ये इस बिल को चैलेंज करेंगे, यह बात मुझे मालूम है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि किसी भी legal scrutiny से इस बिल को कुछ नहीं होने वाला है। हर legality इसमें दी गई है।

मान्यवर, जम्मू-कश्मीर के दलित, आदिवासी, ट्राइबल्स, इनके लिए आज तक कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसका कारण भी धारा 370 ही है।

मान्यवर, अब मैं आतंकवाद पर आता हूं। वहां पर आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा, लेकिन अब धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। हमें आतंकवाद की जड़ में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धारा 370 के भूत ने समय-समय पर वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन को गुमराह करके एक नाराज़गी की भावना खड़ी की और पाकिस्तान ने उस नाराज़गी की भावना का उपयोग किया। देश के बाकी राज्यों की तुलना में, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मान्यवर, आज तक आतंकवाद के कारण वहां 41,894 लोग मारे जा चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे क्यों मारे गए हैं? आप कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। चलो, यह एक मत हो सकता है, मगर आपकी पॉलिसी ने क्या किया? किसकी पॉलिसी के कारण 41,894 लोग मारे गए? पॉलिसी किसी ने नहीं बदली। जो पॉलिसी जवाहर लाल जी चालू करके गए थे, वही पॉलिसी आज तक चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? वहां इतने लोग क्यों मारे गए?

मान्यवर, स्वायत्तता की मांग उठी। तीन युद्ध हारने के बाद 1968 में पाकिस्तान के जनरल ज़िया उल हक़ ने Operation Tupac को स्वीकृति दी, उसके अंदर भी धारा 370 का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रुप खड़े करिए, जो कश्मीर के युवाओं को गुमराह करें और उन्हें भारत की mainstream से अलग करें और जब तक 370 कलम है, तब तक कश्मीर का युवा भारत के साथ जुड़ नहीं सकता है।

1988 में Operation Tupac की शुरुआत हुई और 1989 से घाटी में आतंकवाद शुरू हो गया। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो पाक प्रेरित ग्रुप्स हैं, आतंकवादी हैं, वे तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लेकिन क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता है और क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता? गुजरात में भी तो पाकिस्तान का बॉर्डर है! क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता है? क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता है? बाकी प्रदेशों के युवा इसलिए गुमराह नहीं होते, क्योंकि वहां धारा 370 नहीं है, वहां कोई अलगाववाद का भूत नहीं है।

मान्यवर, समय-समय पर, जब भी आतंकवाद खत्म होने के कगार पर आता है, कुछ लोग धारा 370 को लेकर वहां के लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं कि कश्मीर के युवाओं को हुर्रियत, आईएसआई और घुसपैठियों ने गुमराह किया है, यही कारण है कि 1990 से 2018 तक, वहां 41,894 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है।

[श्री अमित शाह]

फिर कहा गया कि रक्तपात हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ऐसी शुभकामनाएं क्यों देते हैं? हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में आपको तो कहना चाहिए कि चलो, सब अच्छे से हो, शांति से हो। जो आप कह रहे हैं, उससे घाटी में क्या संदेश जाएगा? आप यहां खड़े होकर यह कह रहे हैं कि रक्तपात हो जाएगा, क्या ऐसा कहना उचित है? क्या यह सदन और हम वहां रक्तपात कराना चाहते हैं? इस सदन के माध्यम से हम घाटी में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि आप 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में जीते रहो? क्या वहां के लोगों को 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का अधिकार नहीं है?

साहब, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लोग उकसाते हैं, उन सबके बेटे-बेटियां लंदन और अमरीका के अंदर पढ़ाई करते हैं। ज़रा वे भी वहीं रहकर वहां के स्कूल के अंदर पढ़ें, ज़रा वे भी वहां के कॉलेज के अंदर पढ़ें, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि धारा 370 क्या है। धारा 370 के जितने भी एडवोकेट्स हैं, ज़रा आप उनसे पूछिए कि उन सबके बेटे-बेटियां कहां पढ़ते हैं? उन्होंने तो अपने सब काम अच्छे से कर लिए हैं, इसलिए उनको इसकी चिंता नहीं है। घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने के लिए, उनका विकास न होने देने के लिए यह धारा 370 एक बहुत बड़ी बाधा है।

मान्यवर, मैं स्पष्टता से मानता हूं कि जब तक धारा 370 और धारा 35ए हैं, कश्मीर के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए, धारा 370 का हटना निहायत जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वे लोग घाटी के युवाओं को अपने गले लगाना चाहते हैं। हम युवाओं को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएँ देना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर में इंडस्ट्री लगेगी, तो उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ टूरिस्ट्स जायेंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा। हम उनको सम्पन्न बनाना चाहते हैं। बाकी भारत के अन्दर जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी तरह से कश्मीर के अन्दर भी विकास हो, इसके लिए धारा 370 का obstacle निकालना जरूरी है।

मान्यवर, मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था कि चिन्ता मत करो, धारा 370 घिसते-घिसते घिस जायेगी, मगर धारा 370 को इतने जतन से सम्भाल कर रखा कि 70 साल हो गये, मगर वह नहीं घिसी। अब आप मुझे बताइए, यह एक temporary provision है, इसे सब स्वीकार करते हैं, क्या 'temporary' शब्द 70 सालों तक चल सकता है? यह कब जायेगा, कैसे जायेगा? इस temporary provision को कब तक चलाना है? मान्यवर, मेरा तो आग्रह है कि इस प्रकार की बातों को आपको रिकॉर्ड से दूर कर देना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरदार पटेल ने देश के अन्दर 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़ कर अखंड भारत बनाने का प्रयास किया और मैं रिकॉर्ड साफ कर दूँ कि जम्मू-कश्मीर को कभी सरदार

पटेल ने डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ को डील किया था, जो आज भारत में है, without 370 है। उन्होंने हैदराबाद को डील किया था, जो आज भारत में है, without 370 है। जम्मू-कश्मीर को पंडित नेहरू ने डील किया था, वह with 370 है और आज हम भी डील कर रहे हैं। सरदार पटेल के पास यह मसला था ही नहीं। मैं अपने मंत्रालय की फाइल ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): That is not correct.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): सर ...**(व्यवधान)** ... जो Constituent Assembly थी, उसमें आयंगर और सरदार पटेल 370 के मामले में बराबर बात करते थे। ...**(व्यवधान)**...

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : سر ...مداخلت)... جو کانسٹی ٹوئنٹ اسمبلی تھی، اس میں آئنگر اور سردار پٹیل 370 کے معاملے میں برابر بات کرتے تھے ...(مداخلت)...

श्री अमित शाह: नहीं, मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, एक मिनट। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: पाकिस्तान को देने के लिए जो कहा गया, वह विषय...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ। गुलाम नबी आज़ाद जी ध्यान से सुनते नहीं हैं। शायद ये मेरी बात सुन कर rethinking करें। 370 के पक्ष में वोट डालना है, इसलिए ध्यान से वे सुन नहीं रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यह नहीं कहा कि Constituent Assembly में किसने क्या कहा। इस मामले को कौन देख रहा था, यह मैंने कहा। इसमें कहीं सरदार पटेल साहब का जिक्र ही नहीं है, दखल भी नहीं था। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको बताता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: बिल्कुल दखल था। ...**(व्यवधान)**...

† [جناب غلام نبی آزاد: بالکل دخل تھا ...(مداخلت)...]

श्री अमित शाह: ज़रा भी दखल नहीं था।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: क्या बात है! पंडित नेहरू अमेरिका में थे और 370 ...**(व्यवधान)**...

† **جناب غلام نبی آزاد:** کیا بات ہے! پنڈت نہرو امریکہ میں تھے اور 370 ...(مداخلت)...

†Transliteration in Urdu Script.

श्री अमित शाह: मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: 370 डिस्कस होता था। ...(**व्यवधान**)...

†[جناب غلام نبی آزاد: 370 ڈسکس ہوتا تھا۔]

श्री अमित शाह: अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आयंगर, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद 370 के बारे में बात करते थे। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام نبی آزاد:** آئنگر، سردار پٹیل اور مولانا آزاد 370 کے بارے میں بات کرتے تھے ---(مداخلت)---

श्री सभापति: विषय 370 के बारे में नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह: मैं 370 के बारे में कह ही नहीं रहा हूँ। मैं भारतीय संघ के साथ संधि के बारे में कह रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... इसमें कहीं भी सरदार पटेल नहीं थे।

मान्यवर, मेरा विनम्रता से यह कहना है कि धारा 370 जो है, यह आतंकवाद की जननी है, इसलिए धारा 370 के जाने का समय आ गया है। अगर आज धारा 370 नहीं जाती है, तो आतंकवाद को हम जम्मू-कश्मीर से नाबूद नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, कुछ लोगों ने कहा कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती है। अगर spirit से देखा जाये, तो वे ठीक हैं, मगर मैं दो तिथियों का जिक्र करना चाहता हूँ। महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर, 1947 को Instrument of Accession of Jammu-Kashmir में साइन किया गया। वह कब साइन किया गया, 26 अक्टूबर, 1947 को और धारा 370, 1949 में आयी। मान्यवर, भारत के साथ जुड़ाव का धारा 370 से कोई लेना-देना नहीं है। यह भ्रामक प्रचार किया गया है।

मान्यवर, कहते हैं कि धारा 370 नहीं रहेगी, तो जम्मू-कश्मीर भारत से अलग हो जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे अलग हो जायेगा। मैं घाटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारी रियासतें थीं। वे 370 के बगैर, 35ए के बगैर भारत के साथ घुल-मिल गयी हैं, मगर सबने अपनी-अपनी संस्कृति बनाकर रखी हैं। महाराष्ट्र ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा भी सम्भाल कर रखी है, गुजरात ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा भी सम्भाल कर रखी है, तमिलनाडु ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा को भी वे प्रोटेक्ट करते है, तेलुगू राज्यों ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा को भी सम्भाल कर रखी है। धारा 370 कहाँ से और किस प्रकार से आपकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करती है,

†Transliteration in Urdu Script.

यही मेरी समझ में नहीं आता है। वह केवल और केवल 3 सियासतदानों के परिवारों को प्रोटेक्ट करता है। वे यह नहीं चाहते हैं कि 370 हट जाए। धारा 370 को पूरे देश में वोट बैंक का मुद्दा बनाया गया था। गुलाम नबी साहब ने कहा कि आज तो बम फूट गया, धारा 370 और 35-ए से संबंधित बिल लाकर हमने बम फोड़ दिया। मुझे मालूम नहीं, 1950 से लगातार मेरी पार्टी के हर घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम धारा 370 को हटाएंगे। इस बार के घोषणा पत्र में भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि यह धारा जम्मू-कश्मीर के हित में नहीं है; भारत के हित में नहीं है और विशेषकर घाटी के लोगों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि धारा 370 तुरन्त हटनी चाहिए।

मान्यवर, 1964 में जब लोक सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी ,चर्चा में भाग लेते हुए राम मनोहर लोहिया जी ने, आपके माध्यम से मैं राम गोपाल जी को याद दिलाना चाहता हूं, मैं लोहिया जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि जब तक धारा 370 है, तब तक भारत और कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता, एकरूपता नहीं आ सकती। मधु लिमये जी ने, सरजू पाण्डे जी ने, एस.एम. मुकर्जी ने, इन्दर मल्होत्रा जी ने, समनानी जी ने, कश्मीर से आने वाले एक मुस्लिम सांसद, अब्दुल गनी साहब ने, गोपाल दत्त जी ने, श्याम लाल सर्राफ ने और कांग्रेस के 14 संसद सदस्यों ने भी यही कहा, लेकिन उस समय सदन को स्थगित कर दिया गया। उस समय भी यही भ्रम पैदा हुआ था। दूसरे दिन, व्हिप डालकर सदन में कांग्रेस के सदस्य इसके पक्ष में वोट न करें, इसकी व्यवस्था करके, चर्चा हुई, परन्तु उस वक्त देश के गृह मंत्री, गुलजारी लाल नंदा को कहना पड़ा कि बहुत से सदस्यों की भावना है कि अभी उचित समय नहीं आया है। उचित समय आने पर हम इस विषय पर सोच-विचार करके संवैधानिक कदम उठाएंगे।

महोदय, मेरा जन्म 1964 में हुआ था और मेरी आयु के 55 साल चले गए, लेकिन वह उचित समय अब तक नहीं आया। उचित समय तब आया, जब देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी बने। ...**(व्यवधान)**... महोदय, इसमें किसी उचित समय की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत थी। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर, देश के हित में फैसला करने का जिगर चाहिए था और वह जिगर हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी ने दिखाया। पॉलिटिकल विल के कारण ही आज धारा 370 को सीज़ करने का प्रस्ताव लेकर मैं सदन में उपस्थित हुआ हूं। धारा 370 का इससे पहले बहुत बार उपयोग और दुरुपयोग भी हुआ है। मैं यहां एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब देश में Emergency लगाई गई, इंदिरा जी एक प्रस्ताव लेकर आईं थीं कि सारे विधायक मंडलों और संसद सदस्यों का कार्यकाल 6 साल कर दिया जाए। उस समय जम्मू-कश्मीर असेम्बली ने, धारा 370 होते हुए, उस प्रस्ताव को adopt कर लिया और अपने सदस्यों का कार्यकाल 6 साल कर दिया। बाद में, मोरारजी देसाई देश के प्रधान मंत्री बने। उन्होंने इन फैसलों को पूर्ववत् कर दिया, 6 साल का कार्यकाल फिर से 5 साल कर दिया गया, लेकिन धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में कार्यकाल 5 साल नहीं हुआ। वहां आज भी सदस्यों का कार्यकाल 6 साल ही है। अगर इसी प्रकार आप operate करेंगे, तो मैं मानता हूं कि वह ठीक नहीं होगा।

[श्री अमित शाह]

कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी-अपनी जिज्ञासा प्रगट की। प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो आप रिजर्वेशन का बिल लेकर क्यों आए? मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम रिजर्वेशन का बिल लेकर इसलिए आए हैं कि इस सदन में तो आज यह पास हो जाएगा, मगर दूसरा सदन क्या रेगा, मुझे मालूम नहीं है। अगर वहां का सदन भी इसे पहले पास कर दे तो मैं रिजर्वेशन के बिल को मूव नहीं करूंगा, क्योंकि फिर रिजर्वेशन बिल को मूव करने की जरूरत ही नहीं होगी। 10 परसेंट रिजर्वेशन automatically जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिल जाएगा। स्वपन दासगुप्ता जी ने कहा कि धारा 370 के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है या नहीं - मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर सभापति महोदय की आज्ञा हो तो मैं पूरी constitutional position सदन के सामने रखने को तैयार हूं। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि कब तक यह UT रहेगा? मैं माननीय गुलाम नबी साहब और जिन अन्य माननीय सदस्यों ने UT बनने पर आपत्ति दर्ज की है... मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, इसको फिर से स्टेट बनाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं आज इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें कोई मतभेद नहीं है। जब भी उचित समय आएगा... मगर आज जिस प्रकार के भाषण हो रहे थे, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय रहेगा, क्योंकि यह भाषण बाद में घाटी में भी होने वाला है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है, तो हमें इसको कोई ज्यादा लंबा करने का शौक नहीं है और न हम करना चाहते हैं। वाइको जी ने कहा कि कश्मीर Kosovo बन जाएगा। वाइको जी, आश्वस्त रहिए, कुछ Kosovo नहीं हो जाएगा, यह स्वर्ग था, है और रहने वाला है। हम इसको Kosovo नहीं बनने देंगे, आप चिंता मत कीजिए।

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): I stick to my ground.

श्री अमित शाह: आपको वही करना है। श्रीमान् तिरुची शिवा ने कहा कि बाकी सारे राज्यों के अंदर भी आप यह रूट लेंगे। मैं माननीय सदस्य शिवा जी को और सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बाकी किसी राज्य में 370 नहीं है, इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति भी नहीं है, आज़ादी के बाद ढेर सारे विभाजन हुए हैं, हमने भी किया है | हमने उत्तराखंड बनाया , आरखंड बनाया, छत्तीसगढ़ 8 बनाया, आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया। मान्यवर, मुझे इतनी सारी सलाह देते हैं, वे आन्ध्र और तेलंगाना के डिवीजन का दृश्य जरा आंख बंद करके याद करें कि उन्होंने कैसे किया था। मैं तो सिर्फ आज बिल लाया और आपसे आज पारित करने का आग्रह किया। आपने अपना विशेषाधिकार का उपयोग करके मुझे अनुमति दे दी, आपकी कृपा हो गई, इसलिए मैं यह बिल पास कर रहा हूँ। तेलंगाना राज्य विधेयक के समय आपने तो सबको सदन से उठा कर बाहर डाला, दरवाजे बंद किये, टीवी बंद किया और उसके बाद आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया था, जो आज नहीं हो रहा है, इसलिए हमें मत समझाइए कि किस तरह से होता है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि कश्मीर के इस 370 को बचाने के लिए हजारों महिलाएं विधवा हुई हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, 370 को बचाने के लिए या कश्मीर को बचाने के लिए विधवाएं कम हुई हैं। विधवाएं जरूर हुई हैं। 41 हजार से ज्यादा लोग मारे गए, विधवाएं हुई हैं, लेकिन 370 के कारण हुई हैं। मैं घाटी के लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि 70 साल 370 के साथ जिए, ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार-बार दोहराया, गुमराह किया। मैं कहता हूँ कि हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएंगे। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पर भरोसा कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी politics के लिए कर रहे हैं, उनकी मत सुनिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कश्मीर के युवाओं को यह कहना चाहता हूँ कि इस 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जिस चीज को लेकर निकले, वह चीज़ ही ठीक नहीं थी।

मान्यवर, बाद में final solution के बारे में टिप्पणियां की गईं, मगर मैं मानता हूँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, एक सदस्य ने कहा था कि यह कश्मीर समस्या का final solution है, मान्यवर, समय जरूर लगेगा, मगर 370 का removal ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, यह मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। चिदम्बरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं? जो constitutional order है, 367 read with 371D है। आप एक बार ध्यान से उसे देख लीजिएगा, तो constitutional order की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी।

मान्यवर, मैं आज इस भाषण के अंदर कोई politics नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे materials हैं, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बेंच और विपक्ष, दोनों के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि अलग-अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सबने अपने-अपने तरीके से, मन से किया है। मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसी ने मन के बगैर किया है या आधा -अधूरा किया है। सबने मन से किया है, मगर कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, इस वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं यह जो संकल्प और विधेयक लेकर आया हूँ, मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यहीं से होकर निकलेगा। मान्यवर, मुझे यह विश्वास है। मैं सभी को कहता हूँ कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाएं और कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सरकार की भी सहायता करें, कश्मीर के युवाओं की भी सहायता करें। कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं, वे सब लोग एकत्रित होकर धारा-370 हटाने का जो यह कदम हुआ है, उस कदम को हम कश्मीर की जनता के बीच में लेकर जाएं। यह सदन यूनाइटेड होकर, सदन की काफी सारी पार्टियां, आमतौर पर जो पार्टियां हमारे साथ नहीं रहती हैं, ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन भाषण दिया है। आप (आम आदमी पार्टी) पार्टी ने इसका समर्थन किया है, बसपा ने किया है, वाईएसआरसीपी ने किया है, टीडीपी ने किया है, बहुत सारे सांसदों ने समर्थन किया है।

[श्री अमित शाह]

...**(व्यवधान)**...बीजेडी ने किया है। बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए हैं और सब लोग मानते हैं। एआईडीएमके ने भी किया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI NAVANEETHA KRISHNAN (Tamil Nadu): We are 100 per cent supporting it.

श्री सभापति: जो नए जुड़े हैं, उनका नाम ले रहे हैं। आप पुराने हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं सबको यह बात भी कहना चाहता हूँ कि रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि धारा-370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। मान्यवर, जब जनता का इतना दृढ़ विश्वास है, तो आज जनता का विश्वास देखकर मेरा भी विश्वास बहुत बढ़ा है। मैं तो पहले से मानता हूँ कि कश्मीर को नॉर्मल बनाने में धारा-370 सबसे बड़ा hurdle है। मुझे यह भी मालूम है कि अगर कुछ पार्टियों ने इस पर वोट बैंक की राजनीति करना चालू किया, इसे चैलेंज करके इसके रास्ते में hurdle भी खड़े किए जाएंगे, तो सारे hurdles को पार करते हुए ये दो संकल्प, एक बिल और चौथा रिज़र्वेशन बिल, ये सभी कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे। मुझे भरोसा है कि कुछ दिनों में हम हँसता, डोलता, खिलता कश्मीर देखेंगे और वहाँ जो बम धमाके, गोलियाँ, बंदूकें और आतंकवाद पर दिख रहा है, उसकी जगह हँसते-खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलेगी और डल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा। हम ऐसे कश्मीर की रचना करेंगे। मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इन दोनों संकल्पों का और दोनों बिल्स का समर्थन करिए और कश्मीर में एक अच्छा मैसेज भेजिए। इतनी करबद्ध विनती करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment (No. 1) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not here.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 4 also, there is one Amendment (No. 2) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह: सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall put the first Resolution moved by Shri Amit Shah... ...*(Interruptions)*... Is this on the first Resolution? ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, both together. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Chidambaram.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: Please, I have just called him.

SHRI P. CHIDAMBARAM (Maharashtra): Sir, the hon. Minister gave an elaborate reply on why he is doing away with article 35A and article 370. Now, he may have convinced a large number of people, but I am not convinced. But I am not raising that issue. What I want to ask is, doing away with article 35A and article 370 was part of your manifesto and you are bringing the Resolution, but why are you reducing the status of the State of Jammu and Kashmir to that of a Union Territory? You are carving out Ladakh as a Union Territory. Why is Jammu and Kashmir becoming a Union Territory? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: All right. You have made your point. Shri Ghulam Nabi Azad.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान सिर्फ दो-तीन चीज़ों की ओर दिलाना चाहता हूँ, ताकि रिकॉड्र्स ठीक रहे। ...**(व्यवधान)**...

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** سر، میں مانئے گرہ منتری جی کا دھیان صرف دو تین چیزوں کی اور دلانا چاہتا ہوں، تاکہ ریکارڈس ٹھیک رہے ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: You have to raise questions only. You know that. I need not tell you. Seek clarifications only.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, मैं बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी ने कहा कि दलित और आदिवासियों के साथ सुलूक ठीक नहीं होता है। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب غلام نبی آزاد :** سر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ گرہ منتری جی نے کہا کہ دلت اور آدی واسیوں کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہوتا ہے ...(مداخلت)...

श्री अमित शाह: नहीं, नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... सर, ऐसा भाषण देख लिया जाए। मैंने कहा है कि इनको राजनीतिक रिज़र्वेशन नहीं मिला। ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: ठीक है। वैसे सर्विसेज़ में आदिवासियों को 10 परसेंट रिज़र्वेशन है, ...**(व्यवधान)**...

†**جناب غلام نبی آزاد :** ٹھیک ہے، ویسے سروسیز میں آدی واسیوں کو دس فیصد رزرویشن ہے ...(مداخلت)...

श्री अमित शाह: एक सेकंड। सर, आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिए, मैंने "राजनीतिक रिज़र्वेशन" शब्द प्रयोग किया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: लेकिन यह जम्मू-कश्मीर पहली रियासत है, जहाँ पोलिटिकल रिज़र्वेशन होने के बगैर भी सात से आठ एससी और एसटी मिनिस्टर्स रहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب غلام نبی آزاد :** لیکن یہ جموں-کشمیر پہلی ریاست ہے، جہاں پولیٹیکل رزرویشن ہونے کے بغیر بھی سات سے آٹھ ایس-سی-اور ایس-ٹی- منسٹرس رہتے ہیں ...(مداخلت)...

श्री अमित शाह: क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि पूरे देश में से इसी तर्ज पर रिज़र्वेशन हटा लिया जाए? ...**(व्यवधान)**...

†Transliteration in Urdu Script.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: पिछले 12 साल से कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد :** پچھلے بارہ سال سے کانگریس کا ہی چیف منسٹر ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... What is your clarification? You are being clarified instead of asking. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसा कहना चाहते हैं कि इसी तर्ज पर पूरे देश से रिज़र्वेशन हटा लिया जाए? ...(**व्यवधान**)... क्या कहना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)... सर, पोलिटिकल रिज़र्वेशन जम्मू-कश्मीर के ट्राइबल्स का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए और उनको वह अधिकार 370 हटने से ही मिलेगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: What is the clarification you want?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: दूसरा, ...(**व्यवधान**)... नहीं सर, गलत रिपोर्ट दी है। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد :** دوسرا، ...(مداخلت)... نہیں سر، غلط رپورٹ دی ہے...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आपने कहा कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना हमने -- मिस्टर चिदम्बरम या मिस्टर सिब्बल ने यह पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में आपने जितने भी ये कदम उठाए, उसके लिए आपने क्या कंसल्टेशन की? अब मैं आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बताऊँगा, क्योंकि गवर्नमेंट और पार्टी की तरफ से मैं negotiation कर रहा था। आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के एमएलएज़, मिनिस्टर्स और एमपीज़ के साथ हमारी तकरीबन 20 मीटिंग्स हुईं। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد :** آپ نے کہا کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ ہم نے – مسٹر چدمبرم یا مسٹر سبّل نے یہ پوچھا تھا کہ جموں کشمیر میں آپ نے جتنے بھی یہ قدم اٹھائے، اس کے لئے آپ نے کیا کنسلٹیشن کی؟ اب میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے بارے میں بتاؤں گا، کیوں کہ گوورنمینٹ اور پارٹی کی طرف میں میں negotiation کر رہا تھا۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے ایم۔ایل۔ایز، منسٹرس اور ایم۔پیز کے ساتھ ہماری تقریبا بیس میٹنگس ہوئیں ...(مداخلت)...

श्री सभापति: नहीं, वह तो ठीक है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: एक साल तक बराबर मीटिंग्स हुईं।

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

† جناب غلام نبی آزاد : ایک سال تک برابر میٹنگس ہوئیں۔

MR. CHAIRMAN: You are trying to respond to him. There is no need to discuss it further. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: जब आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों के एमएलएज़ और एमपीज़ ने कहा कि हम केन्द्र पर छोड़ते हैं, तब हमने किया। ...**(व्यवधान)**...

† جناب غلام نبی آزاد : جب آندھرا پردیش اور تلنگانہ، دونوں کے ایم.ایل.ایز اور ایم.پیز نے کہا کہ ہم کیندر پر چھوڑتے ہیں، تب ہم نے کیا...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Ghulam Nabiji, please. Prof. Manoj Jha. ...*(Interruptions)*... Shri Ghulam Nabi Azad, please. If everybody starts giving their views, then we cannot move.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: तीसरा, यह कहा गया कि वहाँ कोई होटल नहीं बना सकता। ...**(व्यवधान)**... वहाँ सबसे बड़ा होटल आज से 70 साल पहले, आज़ादी के बाद होटल ओबेराय बना था। ...**(व्यवधान)**... आज भी वहाँ जो बड़ा फाइव स्टार होटल है, वह ललित का है, आउटसाइटर का है। ...**(व्यवधान)**...

† جناب غلام نبی آزاد : تیسرا، یہ کہا گیا کہ وہاں کوئی ہوٹل نہیں بنا سکتا ...(مداخلت)... وہاں سب سے بڑا ہوٹل آج سے ستّر سال پہلے، آزادی کے بعد ہوٹل اوبرائے بنا تھا ...(مداخلت)... آج بھی وہاں جو بڑا فائیو اسٹار ہوٹل ہے، وہ للت کا ہے، آوٹ سائڈر کا ہے ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: I have called Prof. Jha. What is your point of order? ...*(Interruptions)*... Please, let me make one thing clear. After the Minister's reply, any Member can ask for clarification. They cannot give clarification. If they start giving clarification, then others would ask questions.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, if wrong statements are made, they have to be corrected.

MR. CHAIRMAN: That is what I am saying. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: यह कहा गया कि वहाँ बाहर से कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता

†Transliteration in Urdu Script.

है। ...(**व्यवधान**)... वहाँ कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है, होटल खोल सकता है। ...(**व्यवधान**)... यह गलत बात है। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد :** یہ کہا گیا کہ وہاں باہر سے کوئی انڈسٹری نہیں لگا سکتا ہے ...(مداخلت)... وہاں کوئی بھی انڈسٹری لگا سکتا ہے، ہوٹل کھول سکتا ہے...(مداخلت)... یہ غلط بات ہے ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: You may have your opinion. The Andhra Pradesh and Telangana issue is a matter of history now. Everybody knows that. Prof. Jha, what is your point of order? ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I wish to make just a small submission under Rule 234. Reference was made to Pandit Nehru and Sardar Patel and it is going on the record of the House. I would make a request. Sardar Patel's biography ...

श्री अमित शाह: सर, इनका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is just making a suggestion to me.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I would say that the House should set the records straight. I have certain papers. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I would look into that. ...*(Interruptions)*... मंत्री जी, अब आप यह सेकेंड बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह: सर, मैं इनको ज़रा जवाब दे दूँ।

श्री सभापति: क्या?

श्री अमित शाह: इन्होंने जो दोनों मुद्दे उठाए हैं। सर, दो मिनट मुझे भी दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I have no problem.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, चिदम्बरम साहब ने कहा कि हमारे manifesto में है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गत चुनाव 2014 में हम पूर्ण बहुमत से आए और इस चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत से आए हैं, मगर यह हमारे manifesto में आज से नहीं है। जब हम पार्लियामेंट तो क्या, जब हम municipaliry में भी नहीं जीतते थे, तब भी manifesto में इसलिए रखते थे, क्योंकि हम मानते थे कि यह गलत रास्ता है और गलत रास्ते पर देश 70 साल तक चला, इसलिए आज मौका आया है इसको उठाने का।

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री अमित शाह]

दूसरी बात यह है कि आज़ाद साहब ने कहा कंसल्टेशन ...**(व्यवधान)**... सर, लद्दाख को यू.टी. ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, ऐसे नहीं होता है।

श्री सभापति: प्लीज़, आप बैठिए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, इन्होंने कहा कि कंसल्टेशन कहां हुआ।

श्री सभापति: आपको कुछ प्रॉब्लम है। If the hon. Member has any health problem, he may leave. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, लद्दाख यू.टी. की मांगग ढेर सारे वर्षों से... आज़ाद साहब वहां स्वयं इंटरलॉक्यूटर बनकर मंत्री के नाते गए थे। ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, लेह की, लद्दाख नहीं ...**(व्यवधान)**...

†**جناب غلام نبی آزاد :** سر، لیہہ کی، لدّاخ کی --(مداخلت)---

श्री अमित शाह: मान्यवर, लेह और लद्दाख दोनों की ...**(व्यवधान)**...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Leh is different; Kargil is different. ...*(Interruptions)*... Kargil people are anti-UT and Leh people are pro-UT. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, कंसल्टेशन करते-करते 70 साल में स्थिति ऐसी हो गई कि कंसल्टेशन किसके साथ करना है, वहां पर भी असमंजस हो गया, इतनी स्थिति बिगड़ी। सर, ललित का जो उदाहरण देते हैं, ललित को भी वहां किसी स्थानीय बाशिंदे को खड़ा करना पड़ा, उसके नाम से होटल लेना पड़ा।

MR. CHAIRMAN: I shall put the first Resolution moved by the hon. Minister to vote. The question is:

> That this House recommends the following public notification to be issued by the President of India under Article 370 (3):
>
> 'In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 370 read with clause (1) of Article 370 of the Constitution of India, the President, on the recommendation of the Parliament, is pleased to declare that, as from (*date) all clauses of the said Article 370 shall cease to be operative except clause (1) thereof which shall read as under, namely:—

---

*date means the date on which the President of India signs the Declaration and published in the official Gazette.

"All provisions of this Constitution, as amended from time to time, without any modifications or exceptions, shall apply to the State of Jammu and Kashmir notwithstanding anything contrary contained in Article 152 or Article 308 or any other article of this Constitution or any other provision of the Constitution of Jammu and Kashmir or any law, document, judgement, ordinance, order, byelaw, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law in the territory of India, or any other instrument, treaty or agreement as envisaged under article 363 or otherwise."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the second Resolution moved by the hon. Minister to vote. The question is:

"That the President of India has referred the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 to this House under the proviso to Article 3 of the Constitution of India for its views as this House is vested with the powers of the State Legislature of Jammu and Kashmir, as per proclamation of the President of India dated 19th December, 2018. This House resolves to express the view to accept the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the reorganization of the existing State of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I want division.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Sir, I have asked for ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No; I have already moved ahead. ...*(Interruptions)*... No further requests can be entertained. ...*(Interruptions)*... All the Members should take their

[Mr. Chairman]

respective places. ...*(Interruptions)*..., Dasguptaji, I have told you; I am not accepting it. I have already moved on to the Reorganisation Bill.

SHRI ANAND SHARMA: We have given notice. It was given in time.

श्री सभापति: आप लोग एक मिनट के लिए बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए। Shri Anand Sharma, Shri Derek O'Brien, Shri Tiruchi Siva, Shri Majeed Memon, Shri K.K. Ragesh, Shri T.K. Rangarajan, Shri Jose K. Mani and some other Members of the Rajya Sabha have submitted notices disapproving the Statutory Resolutions moved by the Minister of Home Affairs on 5th August, 2019 recommending issuance of Public Notification by the hon. President of India under Article 373 read with Clause (1) of the Article 370. In this connection, it may be stated ...*(Interruptions)*... Please, I would then have to name people. Don't force me to do it. I am on a very serious Business. In this connection, it may be stated that there is no provision for disapproving a Statutory Resolution moved under Article 373 of the Constitution of India. The Resolutions moved by the Government will be put to vote. It will be either carried in the House or rejected. The Members will have the option to vote against the Resolution when it will be put to vote. However, the Members could have given amendments subject to Rule 231 (2), that is, the Amendments will not have the effect of a negative vote. Do you understand now? I have gone to the other one. Lobbies are cleared. While, the voting process is on, I request all the Members not to speak among themselves because the attention will drift and even if a small mistake happens, it will be a historical mistake. That is why, time and again, I tell everybody, please be there in your respective seats.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, what about those Members, who have not been given their Division Nos.?

MR. CHAIRMAN: I am clarifying it. Those Members who have not been given their Division Nos., earlier, I think there are 11 Members, they will be given slips and they can vote through slips. The Secretary-General will now explain the voting procedure.

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, you are aware that while most of the Members have their seats, Division Nos. in the House, eleven newly elected Members do not have a seat number allotted to them as yet. Therefore, even though today's voting would be through automatic recording machine, the 11 newly elected Members will cast their votes using division slips, only those eleven Members.

MR. CHAIRMAN: Please, this is for the Reorganisation Bill. The Reservation Bill is already over.

SECRETARY-GENERAL: The eleven Members —I am mentioning their names to whom the officials will give a slip —are Shri Ram Vilas Paswan, Shri S. Jaishankar, Shri Ashwini Vaishnaw, Shri Jugalsinh Mathurji Lokhandwala, Shri N. Chandrasegharan, Shri Muhammathjohn, Shri M. Shanmugam, Shri P. Wilson, Shri Vaiko and Dr. Anbumani-Ramadoss. The voting slips to these Members will be distributed by the officials of the Secretariat.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there seems to be some technical problem. Now, slips will be given to all the Members. They have to register their vote on the slip, like they have done earlier. Slips may be distributed.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to provide for the reorganization of the existing State of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The House divided.

MR. CHAIRMAN:

Ayes : 125

Noes : 61

Abstentions : 1

AYES-125

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyan, Shri S. R.

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasegharan, Shri N.

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Desai, Shri Anil

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gokulakrishnan, Shri N.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Narain Dass

Gupta, Shri Sushil Kumar

Hembram, Shrimati Sarojini

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaishankar, Shri S.

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kakade, Shri Sanjay Dattatraya

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kashyap, Shri Ram Kumar

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Lachungpa, Shri Hishey

Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji

Mahatme, Dr. Vikas

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr.Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Misra, Shri Satish Chandra

Mohammedjan, Shri A.

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nanda, Shri Prashanta

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Nathwani, Shri Parimal

Navaneethakrishnan, Shri A.

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Paswan, Shri Ram Vilas

Patnaik, Shri Amar

Patra, Shri Sasmit

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ram Shakal, Shri

Ramesh, Shri C. M.

Rane, Shri Narayan

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Raut, Shri Sanjay

Reddy, Shri V. Vijayasai

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selvaraj, Shri A. K.

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Amar

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Sanjay

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swain, Shri Narendra Kumar

Swamy, Dr. Subramanian

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C.P.

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vaishnaw, Shri Ashwini

Vaithilingam, Shri R.

Vats, Dr. D.P.

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Vijayakumar, Shri A.

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

NOES- 61

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachohan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajwa, Shri Partap Singh

Bharathi, Shri R. S.

Bharti, Shrimati Misha

Bhattacharya, Shri P.

Biswal, Shri Ranjib

Bora, Shri Ripun

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chidambaram, Shri P.

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Prem Chand

Hanumanthaiah, Dr. L.

Hariprasad, Shri B. K.

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kareem, Shri Elamaram

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Mani, Shri Jose K.

Mistry, Shri Madhusudan

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Rajmani

Punia, Shri P. L.

Ragesh, Shri K. K.

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Rathwa, Shri Naranbhai J.

Ravi, Shri Vayalar

Selja, Kumari

Shanmugam, Shri M.

Sibal, Shri Kapil

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Digvijaya

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K.T.S.

Vaiko, Shri

Verma, Shrimati Chhaya

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

Vora, Shri Motilal

Wilson, Shri P.

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yajnik, Dr. Amee

Abstained-01

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 103 and the First to Fifth Schedules were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGE FROM LOK SABHA – *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Message from Lok Sabha.

The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 2019."

I lay a copy of the Bill on the Table.

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 11.00 a.m. on Tuesday, the 6th August, 2019.

The House then adjourned at fifty two minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 6th August, 2019.